S.NO-278
00312

सत्यमेव जयते

XIX राष्ट्रमण्डल खेल 2010 हेतु तैयारी पर प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली, जुलाई 2009

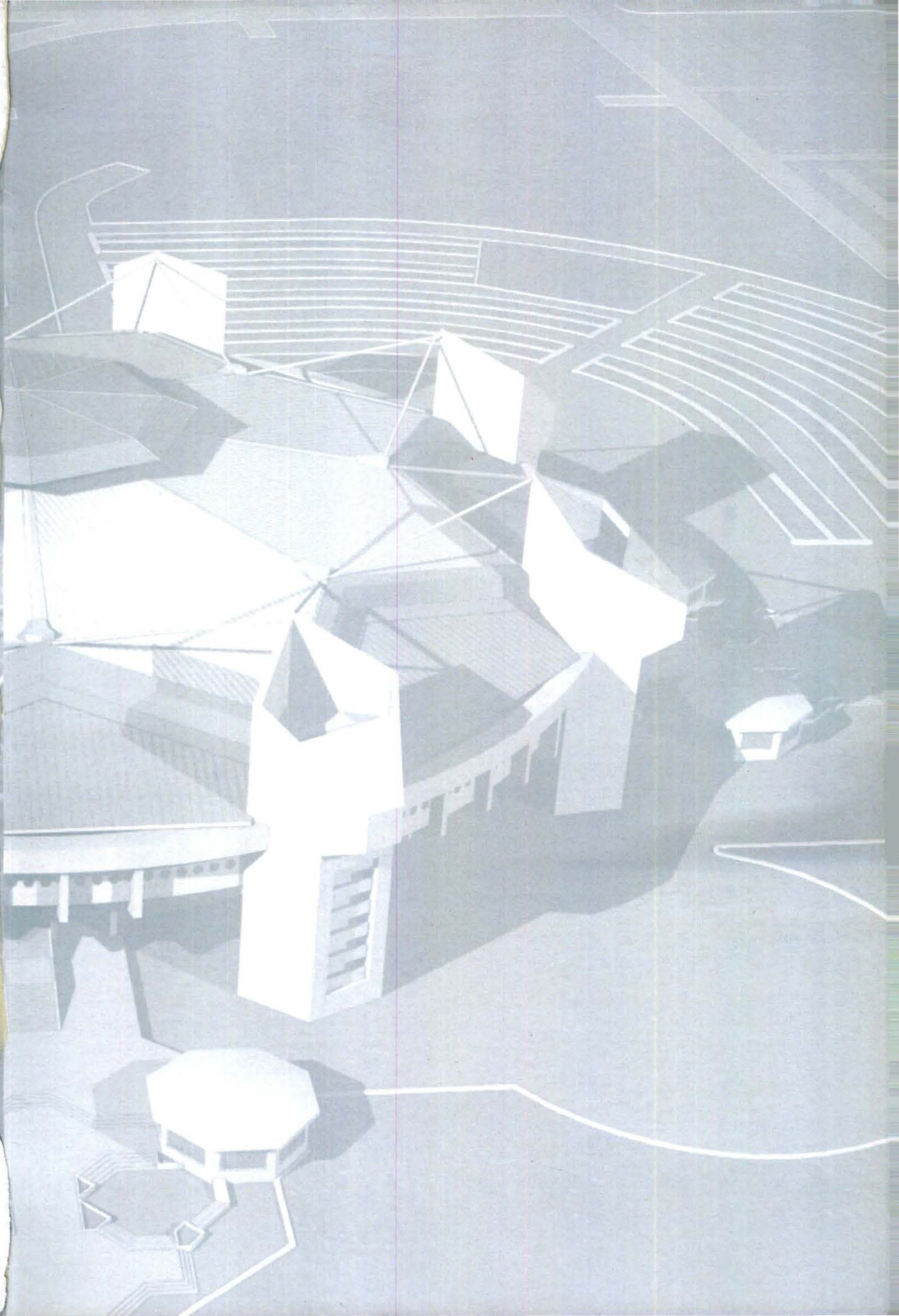

विषय-सूची

प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सारांश		v
अनुशंसाओं का सार		vii
अध्याय-1	प्रस्तावना	3
अध्याय-2	लेखापरीक्षा पद्धति	7
लेखापरीक्षा निष्कर्ष		
अध्याय-3	समग्र योजना एवं प्रबन्धन	9
अध्याय-4	क्रीड़ास्थल विकास	15
अध्याय-5	खेल गाँव	29
अध्याय-6	शहरी अवसंरचना परियोजनाएं	33
अध्याय-7	अतिथियों एव पर्यटकों हेतु आवास	39
अध्याय-8	मीडिया एवं प्रसारण की स्थिति	41
अध्याय-9	वित्तीय प्रबंधन	43
अध्याय-10	अन्य क्षेत्र	47
अनुलग्नक I - IX		53
	शब्दावली	69

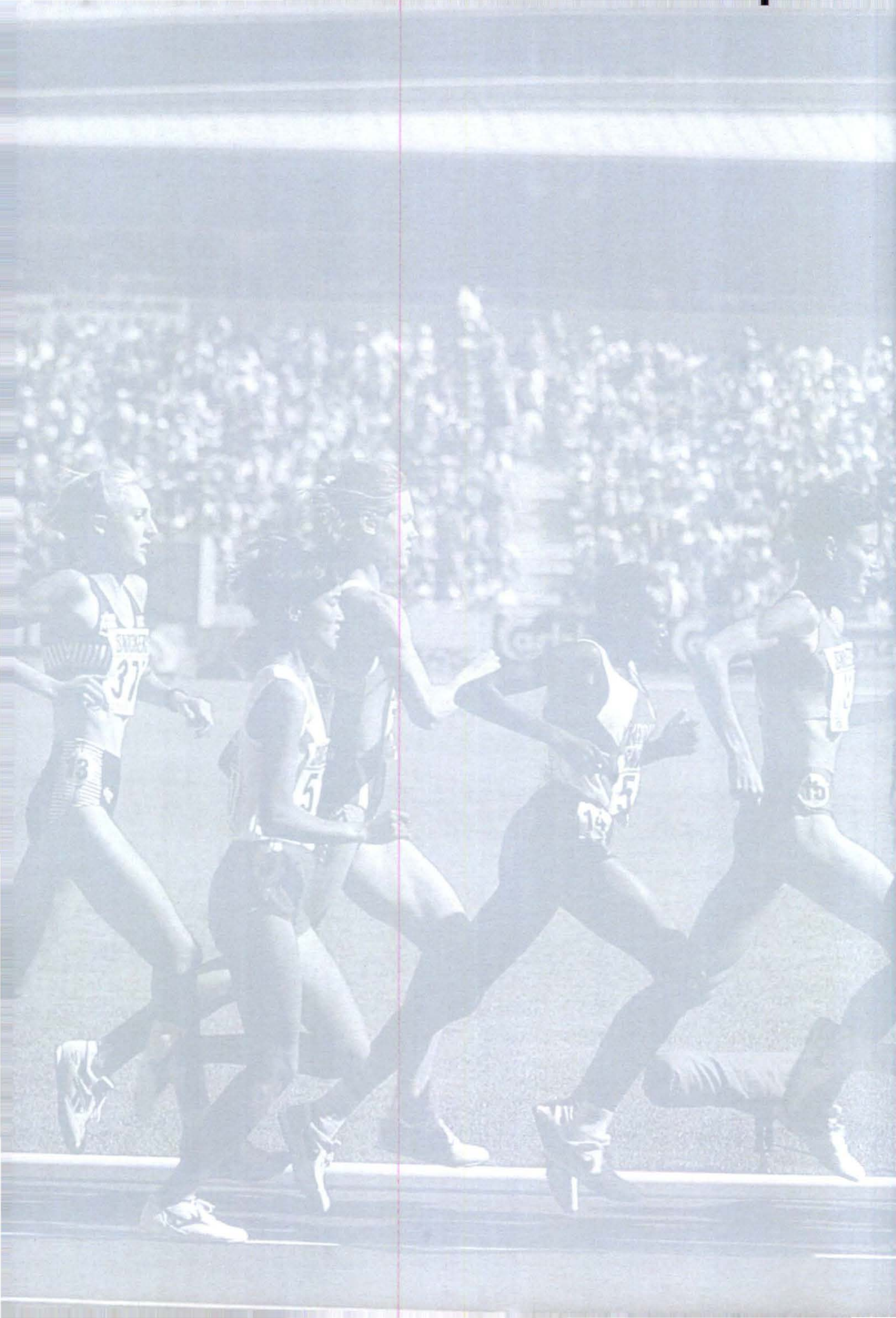

प्राक्कथन

भारत में उन्नीसवें राष्ट्रमण्डल खेल 2010 का आयोजन अक्तूबर 2010 में किया जाना है। खेलों की तैयारी, देश के लिए एक बहुत प्रतिष्ठाग्राही परियोजना है। यह एक वृहत कार्य है तथा इसमें एक दर्जन से भी अधिक एजेंसियों का आपसी समन्वय शामिल है। समय से परिणाम सुनिश्चित करने हेतु इन सभी एजेंसियों का समन्वय कोई आसान काम नहीं है। खेलों की तैयारी में लोगों की काफी रूचि देखने में आयी है। विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में चिंता भी जताई जा रही है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने एक निष्पक्ष अध्ययन करने का निर्णय लिया जो कार्यकारिणी को कार्य की प्रगति को मॉनीटर करने तथा यथासंभव मध्यावधि सुधार हेतु एक मानक के रूप में कार्य करेगा। इस उद्देश्य के प्रति एक व्यापक प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन का संचालन श्री के.आर. श्रीराम, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, श्री राजवीर सिंह, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली, तथा श्रीमती अतूर्वा सिन्हा, उप-निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, के नेतृत्व में एक विशिष्ट दल द्वारा किया गया था। अध्ययन में मई 2003 से मई 2009 तक की अवधि को सम्मिलित किया गया है तथा इस मार्च एवं मई 2009 के बीच युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों में संचालित किया गया था। मई 2009 एवं जुलाई 2009 के बीच बताई गई प्रगति को भी उपलब्ध तथा सत्यापन योग्य सूचना के आधार पर यथासम्भव समाविष्ट कर लिया गया है।

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रमण्डल खेल
2010

उन्नीसवें राष्ट्रमण्डल खेल अक्तूबर 2010 में दिल्ली में होने वाले हैं। इन खेलों का आयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया जा रहा है-

- अब तक के सबसे बढ़िया राष्ट्रमण्डल खेल का प्रस्तुतिकरण
- उत्कृष्ट खेल व शहरी अवसरंचनाओं का निर्माण
- भारत की संस्कृति एवं विरासत का प्रदर्शन और
- भारत का एक आर्थिक शक्ति एवं दिल्ली का एक वैश्विक स्थान के रूप में प्रस्तुतीकरण

हमने स्पर्धा केन्द्रों व शहरी बुनियादी ढाचें के निर्माण तथा खेलों के आयोजन पर रू. 12888 करोड़ के खर्च का अनुमान किया है। किन्तु इसमें अवसरंचना तथा अन्य क्रियाकलापों पर कई अन्य एजेन्सियों जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आदि द्वारा किया जा रहा निवेश शामिल नहीं है।

हमने 'उन्नीसवें राष्ट्रमण्डल खेल 2010 हेतु तैयारी' की समीक्षा विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और खेल के आयोजन में विभिन्न संस्थानों की तैयारी को समझने और ऐसे महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान करने के लिये की है, जिनका निदान आवश्यक है। हम चाहते हैं कि यह प्रतिवेदन कार्यपालिका तथा आयोजकों हेतु खेलों की तैयारी की प्रगति के निरीक्षण और उसमें समय रहते संशोधन करने में सहायक हो। हम आशा करते हैं कि कार्यकारी एजेन्सियों से अलग, निष्पक्ष लेखापरीक्षकों के रूप में हमारे द्वारा बनाये गये, इस प्रतिवेदन का प्रयोग एक जाँचसूची तथा सुलभ सन्दर्भ हेतु हो सकेगा जिससे खेलों के आयोजन तथा उसके लिये बन रही ढाँचागत परियोजनाओं की आगे की प्रगति का मूल्यांकन हो सके।

हमारी समीक्षा मार्च 2009 व मई 2009 के बीच की गई थी। जुलाई 2009 में हमने स्टेकधारकों के साथ निकास (Exit) सम्मेलन आयोजित किये। इन सम्मेलनों में की गई चर्चाओं तथा प्राप्त लिखित जवाबों का अवलोकन किया गया है एवं उन्हें यथासंभव इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। हमें यह देखकर प्रसन्नता है कि हमारे कार्य की समाप्ति होने के समय तक, एजेन्सियों में नवसंचारित उत्साह व दुगुने प्रयास देखने में आये। साथ ही इस समीक्षा द्वारा हम आयोजकों के सामने खड़ी चुनौतियों को भी पहचानने में सफल हुए। काफी समय बीत चुका है और अब यह आवश्यक है कि समयसीमाओं में जल्दबाजी और निर्णयों के एकत्रीकरण में निहित पारदर्शिता के साथ समझौतों, जवाबदेही और स्पर्धाकेन्द्रों की संरचनात्मक सुरक्षा में जोखिम को समझते हुए तुरन्त कदम उठाये जायें। इन चुनौतियों के निदान में ढील दिये जाने पर, खेलों के सफल आयोजन की महत्वपूर्ण उद्देश्यप्राप्ति में विफलता होने की दशा में, देश को शर्मिन्दगी उठानी पड़ सकती है।

मुख्य चुनौतियाँ इस प्रकार हैः-

- आयोजन समिति मूल रूप से खेलों के सफल आयोजन हेतु उत्तरदायी है एवं युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय इस कार्य हेतु भारत सरकार का केन्द्रक मंत्रालय है। इसके अतिरिक्त कई संस्थायें एवं एजेन्सियां इस कार्य की योजना एवं संचालन के विभिन्न हिस्सों के लिये काम कर रही है। अक्तूबर 2010 की अचल समयसीमा को देखते हुए अब और अधिक विलम्बों व समयसीमा में चूकों के लिये कोई समय नहीं बचा है। गतिविधियों व संस्थानों की जटिलता एवं बहुलता और आज तक की प्रगति को देखते हुए इस खेल परियोजना हेतु तथा भविष्य में होने वाले इस प्रकार के आयोजनों हेतु, शासन प्रारूप पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

- हालांकि हम मानते हैं कि ऐसी जटिल परियोजना के लिये विनिर्देशन गतिमान व सदा परिवर्तित होने वाले ही होंगे, विनिर्देशों (चाहे जितने भी छोटे हो) को अन्तिम रूप में तय करने को, और टाला नहीं जा सकता है।

- हमें यह देखकर प्रसन्नता है कि स्पर्धा केन्द्रों के विकास से सम्बन्धित कार्यो में तेजी आयी है। फिर भी एस.पी.एम. जलीय परिसर, हमारे द्वारा अब भी उच्च जोखिम में ही आंका गया है। हमारी राय में, अब तक हुए कार्य की खराब प्रगति के आधार पर, इस जलीय परिसर हेतु फरवरी/मार्च 2010 की संशोधित समयसीमा का पालन कर पाना भी चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त 13 अन्य स्पर्धा केन्द्र मध्यम जोखिम में हैं; इन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

- खिलाड़ियों के रहने के लिए बनाई जा रही खेल गांव परियोजना की राह में कई बाधाएं मौजूद हैं- जिसमें आवासीय परिसर को पूरा करने में निजी हिस्सेदार की वित्तीय कठिनाईयाँ, शोर कम करने के उपाय तथा नोएडा लिंक रोड़ से पहुँच मार्ग का अनसुलझा मुद्दा उल्लेखनीय हैं। हालाँकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मई, 2009 में "बेल-आउट" पैकेज के माध्यम से निजी हिस्सेदार की कुछ कठिनाइयों को सुलझाने का प्रयत्न किया, फिर भी इस परियोजना को सफलता के साथ तथा समयानुसार पूरा करने के लिए गहन निगरानी तथा निरीक्षण की आवश्यकता है।

- शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनायें दर्शकों के साथ-साथ खेल परिवार के स्पर्धा केन्द्रों के बीच आवागमन हेतु आवश्यक है। 20 महत्वपूर्ण पुल व फ्लाईओवर परियोजनाओं में से, धीमी प्रगति के आधार पर हमने 9 परियोजनाओं को उच्च जोखिम पर व 2 परियोजनाओं को मध्यम जोखिम पर आंका है। इन जोखिमों का समय से निदान न करने की दशा में सड़कों पर ट्रैफिक की अधिकता को उप-इष्टतम उपायों जैसे गैर खेल ट्रैफिक में कटौती, उसका विचलन और उस पर प्रतिबन्ध करके संभालना पड़ सकता है जिससे जन साधारण को असुविधा की आशंका भी है। खेल के लिये महत्वपूर्ण 20 पुल व फ्लाईओवर परियोजनाओं में से तीन परियोजनाओं को हटाने से यह स्थिति और गम्भीर हो गई है।

- एच डी टी वी प्रोडक्शन तथा प्रसारण हेतु बाह्य प्रबंधन, अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण केन्द्र के निर्माण, खेल पूर्व प्रोग्रामिंग, घरेलू प्रसारण अधिकार अनुबन्ध को अतिंम रूप दिये जाने, पे (Pay) टी वी, डी टी एच (DTH), मोबाइल व इण्टरनेट हेतु अधिकारों तथा अधिकार धारक प्रसारणकर्ताओं हेतु रेटकार्ड को अन्तिम रूप दिये जाने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काफी काम बचा है।

- खेल परियोजना को आयोजन समिति की दृष्टि से, राजस्व निरपेक्ष परियोजना के रूप में सोचा गया था और आयोजन समिति को सरकारी वित्तपोषण, ऋण के रूप में दिया गया है जिनका उपयुक्त राजस्व सृजन के माध्यम से पुनर्भुगतान किया जाना है। आयोजन समिति को विश्वास है कि खेल राजस्व निरपेक्ष ही होंगे। किन्तु राजस्व जुटाने के अनुमानों के दस्तावेजीकरण के आधार पर और इस तथ्य के आधार पर कि प्रयोजकता द्वारा आने वाला अधिकांश राजस्व वस्तुओं के रूप में (Value in kind) होगा, यह सुनिश्चित करना कठिन है कि खेल राजस्व निरपेक्ष हो सकेंगे।

अनुशंसाओं का सार

हम अक्तूबर 2010 की अचल समयसीमा को प्राप्त करने के लिए परियोजना के सभी स्तरों को पूरा करने में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय; आयोजन समिति तथा अन्य एजेंसियों द्वारा सामना कर रही चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। अब केवल अनुकूल समर्थ नेतृत्व, व्यापक योजना और कड़े निरीक्षण के माध्यम से ही इन चुनौतियों का प्रभावी रूप से निदान किया जा सकता है।

- *क्रियाकलापों तथा संगठनों की जटिलता तथा विविधता तथा अब तक की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, इस खेल परियोजना के अतिरिक्त ऐसे ही अन्य बड़े आयोजनों के लिये शासन प्रारूप पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।*

- *मेजबान शहर अनुबंध में बचनबद्धता के अनुसार लम्बित मूल योजना दस्तावेजों को, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अनुमोदन के लिए परम प्राथमिकता पर अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए, लम्बित परिचालन योजनाओं को तुरन्त अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए ताकि ये क्षेत्र, समय के अनुसार सक्रिय हो सकें।*

- *वेब आधारित परियोजना मानीटरिंग प्रणाली को डाटा के बेहतर वैधीकरण/पिछली रिपोर्टों के अभिलेखीकरण तथा इन रिपोर्टों के माध्यम से चिह्नित मुद्दों/कमियों पर अनुवर्ती कार्यवाही को भी इस प्रणाली में सम्मिलित करते हुए और भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।*

(अध्याय 3 - समग्र योजना एवं प्रबन्धन)

- *विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सीरी फोर्ट खेल परिसर के बेसमेन्ट को नियमित करने की अनुमति दी गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस संरक्षित स्मारक की संरचनात्मक स्वस्थता का मूल्यांकन करने हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिये।*

- *अक्तूबर 2010 की समीप आती अचल निर्धारित समय सारिणी को ध्यान में रखते हुए आयोजन समिति को खेल स्थलों के अन्तिम डिजाइन एवं विस्तृत विशिष्टताओं के अनुमोदन में शीघ्रता करनी चाहिए।*

- *युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण को एस.पी.एम. जलक्रीड़ा परिसर, जो हमारे आंकलन के अनुसार उच्च जोखिम में है, को पूर्ण करने को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।*

- *युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय तथा खेल स्थल स्वामियों को अपर्याप्त निधियों, विलम्बित अनुमतियों, कार्य के क्षेत्र एवं डिजाइनों आदि को अंतिम रूप देने आदि जैसी बाधाओं को हटाकर प्राथमिकता के आधार पर सभी खेल स्थलों पर शेष कार्य की समाप्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।*

- *खेल स्थल स्वामियों को कार्यान्वयन ऐजेन्सियों द्वारा कार्य निष्पादन को ध्यान से मॉनीटर करना चाहिए।*

- *दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं जामिया मिलिया इस्लामिया को आवश्यक अनुमतियां जैसे कि अग्निशमन, जल, सीवरेज इत्यादि की प्राप्ति सुनिश्चित करनी चाहिये।*

- *हालांकि निकास सम्मेलन के दौरान युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृतियों की प्राप्ति हेतु कानून के अनुसार, प्रत्यक्ष रूप में इनकी कोई भूमिका नहीं है, हम मानते हैं कि चूँकि स्थलों का समय पर पूरा होना संकट में है, मंत्रालय को इस विषय में आवश्यक नेतृत्व देना चाहिए।*

(अध्याय 4 - क्रीड़ा स्थल विकास)

- *खेल गाँव परियोजना हेतु अड़चनों का सरकार द्वारा अच्छे सामंजस्य से उच्च प्राथमिकता पर निदान किया जाना चाहिए।*

(अध्याय 5 - खेल गाँव)

- *यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं हेतु कम से कम, संशोधित समय सीमा का अनुपालन किया जाये। इस उद्देश्य हेतु ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की आवश्यकता है।*

- *विभिन्न एजेन्सियों से लम्बित अनुमतियों/अनापत्ति प्रमाण पत्रों की समस्या को उच्चतम स्तर पर उच्च प्राथमिकता पर हल किया जाना चाहिए।*

- *बाधा रहित निर्माण स्थल की अनुपलब्धता भी एक मुख्य अड़चन हैं तथा भूमि अधिग्रहण के मामलों की भी शीघ्रता से निदान करने की आवश्यकता है।*

(अध्याय 6 - शहरी अवसंरचना परियोजनाएं)

- *"निश्चित" रूप में प्रक्षेपित अधिकांश कमरे दिल्ली से बाहर हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। सड़क एवं शहरी बुनियादी ढॉचे की परियोजनाओं को समय से पूरा करने सहित इन स्थानों से आगंतुकों के सुगम आवागमन को सुविधाजनक बनाने हेतु उपायों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।*

- *"निश्चित" एवं "संभावित" कमरों में अपेक्षित कमी को ध्यान में रखते हुए नियत समय सीमाओं के भीतर, व्यवहार्यता को देखते हुए, अतिथि आवास स्थान हेतु अन्य विकल्पों तथा विकास योजनाओं पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।*

(अध्याय 7 - अतिथियों एव पर्यटकों हेतु आवास)

- *प्रायोजकता तथा अन्य स्त्रोतों से राजस्व सृजन के लिए जल्दी कदम उठाने की कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि खेलों के लाभ लेने का सुअवसर समय के बीतने के साथ तेजी से घट रहा है।*

- *भारतीय ओलम्पिक संघ को प्रायोजकता राजस्व के 5 प्रतिशत का भुगतान, खेलों के केवल नगद राजस्व आधिक्य यदि कोई हो, में से ही किया जाना चाहिए।*

(अध्याय 9 - वित्तीय प्रबंधन)

मुख्य प्रतिवेदन

अध्याय **1**

प्रस्तावना

1.1 राष्ट्रमण्डल खेल

राष्ट्रमण्डल खेल (CWG) एक बहु-खेल स्पर्धा हैं जिसका आयोजन राष्ट्रमण्डल देशों के बीच प्रत्येक चौथे वर्ष होता है। राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ (CGF), जो इन राष्ट्रमण्डल खेलों के आयोजन एवं नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है इसके 53 देशों के 71 राष्ट्रमण्डल खेल संघ (CGA) सदस्य है।

1.2 राष्ट्रमण्डल खेल 2010

भारतीय ओलम्पिक संघ (IOA)[1] ने मई 2003 में, भारत सरकार (GOI)[2] और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली (दिल्ली राज्य सरकार) के सहयोग से 2010 में XIX राष्ट्रमण्डल खेलों (CWG -2010) की मेजबानी के लिए आवेदन किया था। नवम्बर 2003 में, राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ की आम सभा ने भारतीय ओलम्पिक संघ को राष्ट्रमण्डल खेल 2010 का आयोजन तथा मेजबानी करने का उत्तरदायित्व दिया तथा राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ, भारतीय राष्ट्रमण्डल खेल संघ, आयोजन समिति (जिसे गठित किया जाना था)[3], भारत सरकार तथा दिल्ली राज्य सरकार के बीच एक मेजबान शहर अनुबन्ध (एच.सी.सी.) पर हस्ताक्षर किये गये। इस अनुबन्ध के अन्तर्गत, भारतीय पक्ष बिना किसी सीमा के वित्तीय दायित्वों के साथ, खेल के आयोजन एवं मंचन करने से संबंधित, सभी वचनबद्धताओं के लिए संयुक्त एवं एकल रूप से जिम्मेदार हैं।

3 अक्तूबर से 14 अक्तूबर 2010 तक दिल्ली में सम्पन्न होने वाले इन खेलों में, 17 खेल विधाओं में भाग लेने वाले 8,000 से अधिक खिलाड़ी तथा खेल अधिकारी होंगे। भारत में होने वाले प्रथम राष्ट्रमण्डल खेल, राष्ट्रमण्डल खेल-2010 को आज तक की सबसे बड़ी बहुखेल स्पर्धा के रूप में निर्धारित किया गया है। राष्ट्रमण्डल खेल के उद्देश्य बाक्स 1 में इंगित हैं। राष्ट्रमण्डल खेल-2010 के कार्यान्वयन में शामिल संगठनों को बाक्स 2 में प्रस्तुत किया गया है।

बॉक्स 1

राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के उद्देश्य

DELHI 2010
XIX COMMONWEALTH GAMES

- अब तक के सबसे बढ़िया राष्ट्रमण्डल खेलों का प्रस्तुतीकरण।
- उत्कृष्ट खेल एवं शहरी अवसंरचनाओं का निर्माण।
- नागरिकों को खेलों से जोड़ने के लिये उपयुक्त माहौल व अवसर बनाना।
- भारत की संस्कृति एवं विरासत का प्रदर्शन।
- भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में तथा दिल्ली को वैश्विक केन्द्र के रूप में प्रदर्शित करना
- एक चिर स्थायी विरासत छोड़ जाना

(स्त्रोतः आयोजन समिति द्वारा तैयार की गई सामान्य आयोजन योजना)

[1] भारतीय ओलम्पिक संघ, भारतीय राष्ट्रमण्डल खेल संघ है।

[2] इसे मई 2003 में प्रधानमन्त्री द्वारा स्वीकृत किया गया एवं सितम्बर 2003 में कैबिनेट द्वारा कार्योपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

[3] आयोजन समिति फरवरी 2005 में ही गठित की गई और इसने मार्च 2005 में मेजबान शहर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये।

बॉक्स 2

राष्ट्रमण्डल खेल-2010 में शामिल मुख्य संगठन

(विवरण अनुलग्नक I, I-क और I-ख में उपलब्ध हैं)

राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ (CGF)	राष्ट्रमण्डल खेल का स्वामी
आयोजन समिति (OC)	फरवरी 2005 में पंजीकृत एक सोसाइटी; जो खेलों के सफल संचालन के लिये मूलतः उत्तरदायी होगी।
भारत सरकार	
युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (खेल मंत्रालय)	इन खेलों के लिए भारत सरकार का केन्द्रक मंत्रालय
मंत्रियों का समूह (GoM)	इन खेलों से संबंधित उच्च स्तरीय नीति निर्धारण हेतु उत्तरदायी समूह
सचिवों की समिति (CoS)	कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बनी; नीति निर्णयों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु उत्तरदायी समिति
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार	
उप-राज्यपाल	सुरक्षा, कानून और व्यवस्था तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों सहित दिल्ली सरकार द्वारा पूरे किए जा रहे कार्यों का समग्र उत्तरदायित्व
मुख्य मंत्री की समिति	दिल्ली राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शहरी बुनियादी ढांचे एवं अन्य क्रियाकलापों पर निर्णय हेतु उत्तरदायी समिति
अधिकृत समिति	मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार एवं उसकी एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के निरीक्षण हेतु उत्तरदायी समिति
अन्य एजेन्सियां	
क्रीड़ास्थल स्वामी	भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC), दिल्ली राज्य सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), अखिल भारतीय टेनिस संघ (AITA) जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (JMI), दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) आर.के. पुरम, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)
कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सियाँ (क्रीड़ास्थल एवं अवसंरचना विकास हेतु)	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD), दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम (MCD), लोक निर्माण विभाग (दिल्ली राज्य सरकार), इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL), RITES Ltd.,
दूरदर्शन (प्रसार भारती)	खेलों का मुख्य प्रसारणकर्ता
गृह मंत्रालय एवं दिल्ली पुलिस	खेल सुरक्षा
पर्यटन मंत्रालय	अतिथियों एवं पर्यटकों के आवास के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	खेलों के लिए दिल्ली में संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों का समय पर नवीकरण
स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (दिल्ली राज्य सरकार)	खेलों के दौरान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबद्ध गतिविधियों हेतु केन्द्रक विभाग

1.3 राष्ट्रमण्डल खेल-2010 हेतु बजटीकरण

राष्ट्रमण्डल खेल-2010 को अब तक के राष्ट्रमण्डल खेलों में सबसे अधिक खर्चीले होने का अनुमान है। राष्ट्रमण्डल खेल-2010 का बजट कई संशोधनों से गुजरा जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:-

- मई 2003 में, जब भारत सरकार ने भारतीय ओलम्पिक संघ को राष्ट्रमण्डल खेल-2010 हेतु बिड़ (Bid) करने की अनुमति दी तब 296 करोड़ रू.[4] का खर्चा खेल के ढ़ांचों के सुधार और खेलों के आयोजन हेतु इंगित किया गया। इसमें यह भी प्रावधान था कि सुरक्षा तथा खेल गाँव हेतु खर्चा क्रमशः भारत सरकार व दिल्ली विकास प्राधिकरण करेगा।
- किन्तु दिसम्बर 2003 के संशोधित बिड़ (Bid) दस्तावेज[5] में मात्र संचालन खर्च ही 635 करोड़ रू. आंका गया। कुल 1200 करोड़ रू. का व्यय (संचालन खर्च के सिवाय) अनुमानित किया गया जिसमें 518 करोड़ रू. का सरकारी अनुमानित अनुदान था।
- आयोजन समिति का पहला बजट अप्रैल 2007 में कैबिनेट द्वारा पारित किया गया जिसमें खेलों के लिए 3566 करोड़ रू. ± 300 करोड़ रू. का कुल व्यय अनुमानित था।
- मई 2009 तक, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रमण्डल खेल 2010 हेतु 9599 करोड़ रू. का खर्चा अनुमानित किया गया जिसमें से 5645 करोड़ रू. अनुमोदित हो चुके थे। इसके अतिरिक्त, 3,289 करोड़ रू. की निधि अन्य स्त्रोतों (2,950 करोड़ रू. दिल्ली राज्य सरकार के बजट से, 221 करोड़ रू. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के बजट से तथा 118 करोड़ रू. दिल्ली विकास प्राधिकरण के बजट से) से राष्ट्रमण्डल खेल 2010 से संबद्ध परियोजनाओं हेतु आबंटित हुई हैं।

हमने खेलों की मेजबानी हेतु संचालनात्मक व्यय के साथ-साथ खेल स्थलों एवं शहरी बुनियादी ढाँचे के सृजन की लागत को 12,888 करोड़ रू. पर अनुमानित किया है। तथापि, इसमें अवसंरचना एवं अन्य क्रियाकलापों पर कई अन्य ऐजेंसियों जैसे दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन (DMRC), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (DIAL) एवं भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (ITDC) इत्यादि का निवेश शामिल नहीं है।

राष्ट्रमण्डल खेल 2010 से संबंधित परियोजनाओं हेतु अनुमानित लागतों का एजेन्सी-वार और क्रियाकलाप-वार ब्यौरा चार्ट 1 व 2 में दिया है, जबकि विस्तृत विवरण अनुलग्नक-II में प्रदर्शित है;

हालांकि हम मानते हैं कि, खेलों के आयोजन के खर्चे का सटीक अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण कार्य है, पिछले दो वर्षों में इन अनुमानों में आया बड़ा उछाल यह दर्शाता है कि अनुमान लगाते समय खेलों के आयोजन के कार्य क्षेत्र व उसकी व्यापकता को पूरी तरह समझा नहीं गया था।

चार्ट-1 - एजेन्सी-वार अनुमानित लागत (करोड़ रू. में)

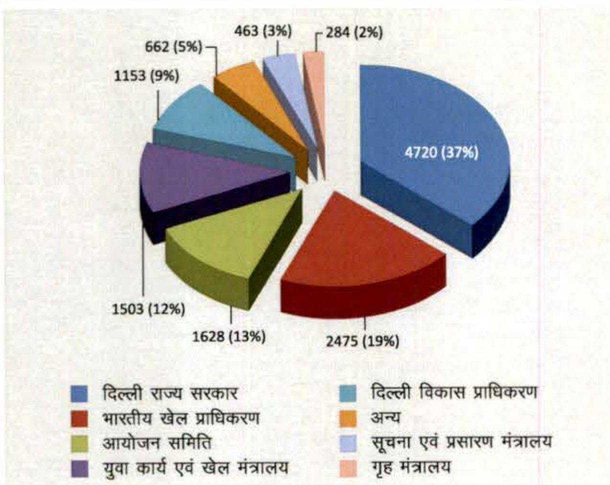

चार्ट 2 - अनुमानित लागत का क्रियाकलाप-वार ब्यौरा (करोड़ रू. में)

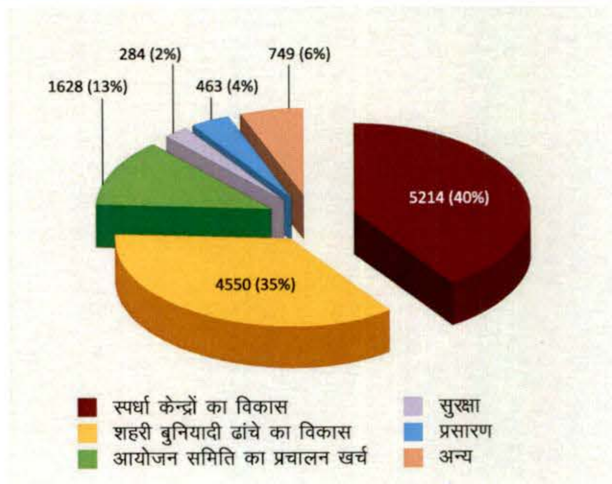

[4] इसे भारतीय ओलम्पिक संघ ने सितम्बर 2003 में संशोधित करके 400 करोड़ रू. कर दिया।
[5] अमरीकी डालर के आकड़ों को 45 रू. प्रति अमरीकी डालर की दर से परिवर्तित किया गया है।

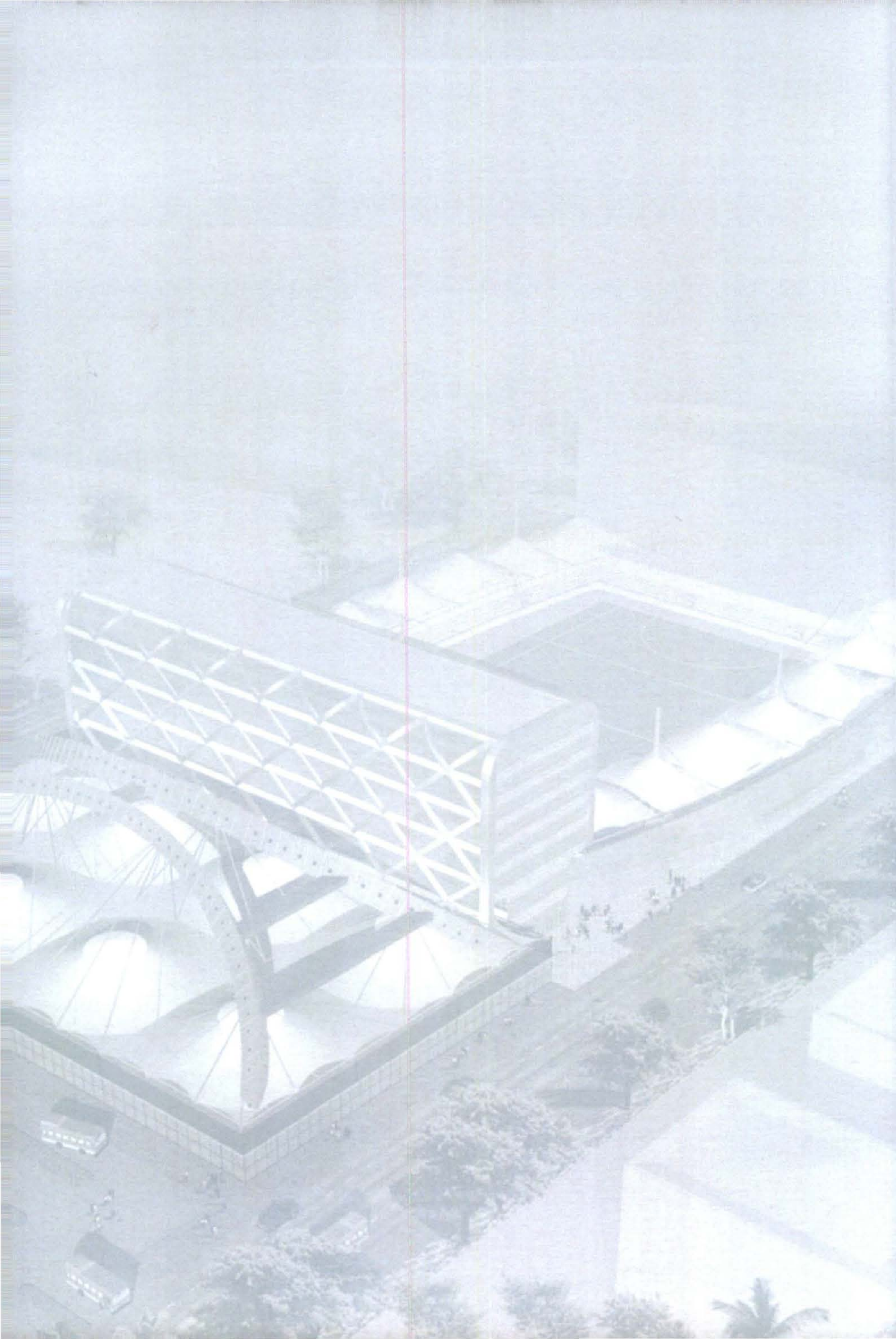

अध्याय 2 लेखापरीक्षा पद्धति

हमारे इस प्रतिवेदन का निर्माण इस प्रतिबद्धता के साथ हुआ है कि यह कार्यपालिका एवं आयोजकों द्वारा प्रगति पर नजर रखने एवं समय रहते संशोधन करने में सहायक हो।

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

"राष्ट्रमण्डल खेल 2010 की तैयारी" विषय पर हमारी समीक्षा का मूल उद्देश्य परियोजनाओं की प्रगति एवं खेलों के आयोजन हेतु विभिन्न एजेंसियों की तैयारी पर जानकारी प्राप्त करना तथा उन बड़े जोखिमों का पता लगाना है, जिनका निदान किये जाने की आवश्यकता है।

हमारी लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र मई 2003 (बोली प्रस्तुतीकरण) से मई 2009 तक किये गये कार्यकलापों तक सीमित है। यह प्रतिवेदन खेलों के लिए न तो सुरक्षा तैयारियों को शामिल करता है और न ही अनुपालन तथा नियमितता के मुद्दों को शामिल करता है क्योंकि लेखापरीक्षा खेलों की तैयारियों पर केन्द्रित है।

2.2 लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्रोत

लेखापरीक्षा मानदण्ड के मुख्य स्रोत थे :

- बोली (Bid) दस्तावेज, मेजबान शहर अनुबंध एवं सामान्य आयोजन योजना (GOP);
- क्रीड़ा स्थल, निर्देशवृत संकल्पना परिरूप, डी.पी.आर.[6] (DPR) एवं प्रत्येक परियोजना के लिए पी.ई.आर.टी./सी.पी.एम. (PERT/CPM) चार्ट; तथा
- मंत्रियों के समूह, सचिवों की समिति एवं विभिन्न स्टेक धारकों की अन्य समितियों की सभाओं का विवरण।

2.3 लेखापरीक्षा पद्धति

हमने 13 अप्रैल 2009 के दिन, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, आयोजन समिति एवं अन्य स्टेकधारकों से लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं पद्धति की व्याख्या करने के लिए एक प्रवेश (Entry) सम्मेलन का आयोजन किया।

यह कार्य मार्च 2009 और मई 2009 के बीच किया गया था, इसमें विभिन्न एजेंसियों के दस्तावेजों की संवीक्षा, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की वेब मानिटरिंग पर ऑनलाइन (Online) प्रगति प्रतिवेदनों की जाँच तथा खेल स्थलों एवं अवसंरचना परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन सम्मिलित हैं। निर्माण की स्थिति को दर्ज करने के लिए चित्रों का संग्रहण 15 मई 2009 तथा 1-2 जुलाई 2009 में किया गया।

हमने लेखापरीक्षा के संचालन में बचे हुए मुख्य मुद्दों का समाधान करने के लिए सचिव, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय एवं अन्य स्टेकधारकों के साथ 28 मई 2009 के दिन एक सभा भी आयोजित की थी।

16 जून 2009 के दिन हमने ड्राफ्ट प्रतिवेदन जवाबों तथा टिप्पणियों हेतु खेल मन्त्रालय को जारी किया। खेल मन्त्रालय एवं आयोजन समिति तथा अन्य स्टेकधारकों के साथ निकास (Exit) सम्मेलन 14 एवं 15 जुलाई 2009 के दिन आयोजित किये गये थे।

युवा कार्य एवं खेल मन्त्रालय व अन्य स्टेकधारकों से प्राप्त जवाब तथा निकास सम्मेलनों के दौरान की गई चर्चा को, यथासंभव इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। मई 2009 तथा जुलाई 2009 के बीच खेल परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रगति में बदलावों को भी उपलब्ध तथा प्रमाणित करने योग्य सूचना के आधार पर आवश्यक मानते हुए सम्मिलित किया गया है।

[6] डी पी आरः विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

अध्याय 3 समग्र योजना एवं प्रबन्धन

3.1 आयोजन समिति का गठन

मेजबान शहर अनुबंध (HCC) के अनुसार, आयोजन समिति (OC) का गठन मई 2004 तक किया जाना था लेकिन इसका गठन फरवरी 2005 में जाकर हुआ। इसके विपरीत हमने पाया कि 2014 में ग्लासगो में सम्पन्न होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए, खेलों को औपचारिक रूप से सौंपे जाने के पहले ही आयोजन समिति गठित हो गई है।

3.2 खेल का प्रबन्धन

खेल के महत्व को देखते हुए, योजना निष्पादन एवं आयोजन में शामिल एजेंसियों की संख्या भी अधिक होगी। राष्ट्रमण्डल खेल-2010 के इस अभ्यास में 21 मुख्य संगठन/एजेंसी शामिल हैं। इन एजेंसियों की, विभिन्न स्तर की स्वायत्तता के साथ, अलग-अलग रिपोर्टिंग सीमाएं हैं। विभिन्न एजेंसियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व की स्पष्टता और उनका प्रबन्धन, खेल के सफल प्रदर्शन के अभिभावी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समक्रमिक एवं निर्बाध संचलन हेतु अनिवार्य है।

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, शीर्ष-स्तर निर्णयों एवं उच्च स्तरीय निगरानी के लिए मंत्री समूह (GOM) एवं सचिव समिति (COS) सहित, खेल परियोजना हेतु भारत सरकार (GOI) का केन्द्रक (नोडल) मंत्रालय है। हाँलाकि, सामान्य संगठन योजना (GOP) परियोजना के लिए प्रत्येक एजेंसी से अपेक्षित सेवाओं को सूचीबद्ध करता है फिर भी हमने एजेंसियों के बीच समन्वय के सुधार और उनकी भूमिकाओं के बेहतर स्पष्टता के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र पाया। विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कुछ ऐसे उदाहरणों को बाक्स 3 में सूचीबद्ध किया गया है। अधिकतर एजेंसियाँ या तो अपनी भूमिकाओं से अनभिज्ञ थी या फिर परियोजना निष्पादन के दौरान सामान्य संगठन योजना (GOP) के तहत स्वयं से अपेक्षित भूमिकाओं का खण्डन किया; ये मुद्दे अन्तिम चरण में जाकर स्पष्ट हुए। ऐसे भी कुछ दृष्टांत थे जहाँ विभिन्न स्तर की एजेंसियाँ एक ही परियोजना के लिए संशोधित समय-सीमाओं का अनुरक्षण कर रही थीं। ये मुद्दे विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति में विलम्ब में महत्वपूर्ण रूप से कारक सिद्ध हुए हैं।

हम पाते हैं कि अब इस समय, जब अक्तूबर 2010 में अटल समयसीमा तय कर दी गयी है तो उद्देश्यों में और अधिक विलम्ब की कोई गुंजाइश नहीं बचती तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय तथा आयोजन समिति (OC) को अब और अधिक समय नष्ट किए बिना प्रभावी नेतृत्व को अपनाना अनिवार्य है।

बॉक्स 3

समन्वय की कमी के उदाहरण

कार्य क्षेत्र	सामान्य आयोजन योजना के अनुसार केन्द्रक ऐजेन्सी	भूमिका एवं दायित्वों से संबंधित मुद्दे
उद्घाटन एवं समापन समारोह	आयोजन समिति	दिसम्बर 2008 में, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने आयोजन समिति को सूचित किया कि आरम्भ एवं समापन समारोह से संबंधित मामले निर्णयाधीन थे तथा उनको अंतिम स्थिति सामने आने तक इन समारोहों के संबंध में कोई वचनबद्धता न करने का अनुरोध किया। राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ ने आग्रह किया कि यह गतिविधि आयोजन समिति को एकमात्र प्राधिकारपूर्ण थी तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने बताया कि मंत्रियों की समिति ने इन समारोहों हेतु सर्जनात्मक निदेशक निर्धारित कर लिया था जो भारत की विशाल एवं परिवर्तित इतिहास, संस्कृति तथा विरासत को उपयुक्त रूप से दिखाने हेतु संकल्पना एवं विषयवस्तु विकसित करेगा। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने बताया कि आयोजन समिति इन समारोहों का विवरण देने, डिजाइन करने एवं प्रस्तुत करने हेतु एकमात्र एजेन्सी होगी।

कार्य क्षेत्र	सामान्य आयोजन योजना के अनुसार केन्द्रक ऐजेन्सी	भूमिका एवं दायित्वों से संबंधित मुद्दे
प्रसारण	दूरदर्शन (प्रसार भारती)	यद्यपि 2003 के बोली (Bid) दस्तावेजों ने दूरदर्शन को मेजबान प्रसारणकर्ता के रूप में दर्शाया परन्तु आयोजन समिति ने मार्च 2007 में ही स्थिति सुनिश्चित की।
स्वयंसेवक कार्यक्रम	दिल्ली राज्य सरकार	दिल्ली राज्य सरकार को पूर्ण कार्यक्रम हेतु उत्तरदायी होना था। तथापि, दिल्ली राज्य सरकार ने बाद में जिम्मेवारी को सम्भालने में अपनी असमर्थता दर्शाई। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने सुनिश्चित किया कि स्वयंसेवक कार्यक्रम का, आयोजन समिति द्वारा पूर्ण रूप से समायोजन एवं प्रबंधन किया जाएगा परन्तु कार्य विभिन्न निर्धारित एजेन्सियों के बीच बांटा जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाएं	दिल्ली राज्य सरकार	सचिवों की समिति ने इस कार्य को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपा। तथापि, व्यक्तिगत एजेंसियाँ दिल्ली राज्य सरकार के अधीन थी, और बिना स्पष्ट समन्वय के कार्य करती रहीं। निकास सम्मेलन के दौरान, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डी.एच.एस.), दिल्ली राज्य सरकार ने बताया कि अब स्वास्थ्य सेवाओं हेतु स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय केन्द्रक एजेन्सी होगी।
प्रैस संबंधित	प्रैस सूचना ब्यूरो	प्रैस सूचना ब्यूरो ने बताया कि उनके कार्य का क्षेत्र मई 2009 में हुई आयोजन समिति एवं अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों के साथ कार्यशाला के पश्चात ही परिभाषित हुआ था तथा अब वह अपने परिभाषित कार्य की समाप्ति के प्रति कार्य कर रहे थे।

3.3 चरण-वार क्रियान्वयन

ओलम्पिक और राष्ट्रमण्डल खेल जैसी अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद स्पर्धाओं के प्रदर्शन के लिए चरण-वार कार्यान्वयन का अनुकरण किया जाता रहा है। उदाहरणस्वरूप, बीजिंग ओलम्पिक 2008 तथा लन्दन ओलम्पिक 2012 ने

- योजना एवं अनुमोदनों के लिए दो वर्ष;
- निष्पादन, निर्माण एवं विकास के लिए चार वर्ष; तथा
- परीक्षण स्पर्धा और जांच प्रतियोगिताओं के लिए अन्तिम वर्ष के साथ, सात वर्ष के परियोजना चक्र को अपनाया।

बोली दस्तावेज ने राष्ट्रमण्डल खेल- 2010 की परिकल्पना चार चरणों में की, जो इस प्रकार है:

चरण-I	योजना बनाना	जनवरी 2004 से मई 2006
चरण-II	सृजन करना	मई 2006 से मई 2008
चरण-III	सौंपना	मई 2008 से दिसम्बर 2010
चरण-IV	समाप्त करना	दिसम्बर 2010 से मार्च 2011

हमें वर्ष 2004 से 2006 के न तो प्रथम चरण के दौरान और न ही चरण-II के अधिकांश भाग के दौरान चारों चरणों को क्रियाकलापों में बदलने के कोई साक्ष्य मिले। परिणामस्वरूप, परियोजना क्रियान्वयन में परिकल्पित[7] चरण-वार तरीका नहीं अपनाया गया। योजना और निष्पादन दोनों ही 2006 के आखिर से प्रारम्भ हो सके। इन विलम्बों का बाद के क्रियाकलापों पर लगातार प्रभाव पड़ता रहा, जैसा कि अध्याय 4 - क्रीड़ास्थल विकास में वर्णित है।

निकास सम्मेलन के दौरान, आयोजन समिति ने बताया कि 2006 में तकनीकी एवं एच.आर. सलाहकारों की नियुक्ति तक इसके पास इस महत्व के अवसर का आयोजन करने का थोड़ा या कोई अनुभव नहीं था। हम आयोजन समिति (OC) की सीमाओं को स्वीकारते हैं और पाते हैं कि सीमाओं की अनुभूति को सलाहकारों की नियुक्ति में शीघ्रता करनी चाहिए थी ताकि 2004 से प्रारम्भ होने वाले समय का इष्टतम उपयोग हो सकता।

3.4 योजना दस्तावेजों का अन्तिम रूप दिया जाना

मेजबान शहर अनुबन्ध (HCC) के अन्तर्गत, निर्धारित समय सीमा के अन्दर कई महत्वपूर्ण योजनाओं का राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित था। इसमें:

[7] अगस्त 2007 में स्वीकृत सामान्य आयोजन योजना (GoP) ने चार चरण खेल योजना प्रक्रिया I-योजना, II-चलन्त बनाना, III-निपन्न करना तथा IV- विरासत में दर्शाया। तथापि, इन सभी चरणों हेतु समय सीमाएं नहीं दर्शाई गई थीं।

- सामान्य आयोजन योजना (GoP)
- मास्टर प्लान/आयोजन समिति और खेलों की समय सूची;
- खेलकूद कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम;
- परीक्षण स्पर्धा रणनीति एवं योजना;
- अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय व्यवसाय कार्यक्रम तथा व्यापक विपणन रणनीति, प्रायोजक सेवा रणनीति हेतु योजना तथा वाणिज्यिक अधिकार के उपयोग हेतु योजना; तथा
- प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रणाली (IS) के लिए क्रियान्वयन शामिल था।

तथापि, इसमें से कोई भी योजना मूलरूप से निर्धारित समयसीमा के अन्दर न तो तैयार हो सकी और न ही अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हो सकी थी। इसके अतिरिक्त, बहुत सी योजनाएं जैसे, व्यापक विपणन रणनीति, प्रायोजक सेवा रणनीति, एवं वाणिज्यिक अधिकार के उपयोग हेतु क्रियान्वयन योजना, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय व्यावसायिक योजना, तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। विलम्ब के ब्यौरे, जो 1 से 54 महीने के बीच थे, अनुलग्नक - III में प्रदर्शित किए गए हैं। योजना दस्तावेज की तैयारी में विलम्ब के परिणामस्वरूप संबंधित क्रियाकलापों का विलम्ब या अयोजनागत तथा तदर्थ निष्पादन हुआ, जैसा कि अध्याय 4 - क्रीड़ास्थल विकास में वर्णित है।

विलम्बित मुख्य योजनाएं

दो मुख्य योजना दस्तावेजों, सामान्य आयोजन योजना एवं खेल मास्टर योजना, को मई 2004 तक तैयार कर दिया जाना चाहिए था; इन्हें क्रमशः अगस्त 2007 और नवम्बर 2008 में जाकर राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ के अनुमोदन के लिए अन्तिम रूप दिया जा सका।

इसी प्रकार परीक्षण-स्पर्धा रणनीति, जिसकी वास्तविक समयसीमा अक्तूबर 2008 थी, लेखापरीक्षा समाप्त होने तक नहीं बनाई जा सकी थी।

लेखापरीक्षा जांच के प्रत्युत्तर (मई 2009) में, आयोजन समिति ने स्वीकार किया कि कई स्तरों पर विलम्ब था। फिर भी उन्होंने निम्न मुद्दों पर विशेष बल दिया:

- खेल की योजना चुनौतीपूर्ण एवं जटिल थी और योजना दस्तावेज क्रियात्मक क्षेत्रों एवं वितरण साझेदारों के बीच बढ़ती निर्भरता के कारण खेल के समय तक बढ़ता रहा।
- हालांकि आयोजन समिति ने नवम्बर 2005 में अपने बजट को प्रस्तुत किया फिर भी इसका अनुमोदन भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2007 में किया गया था।
- सामान्य आयोजन योजना अगस्त 2007 में पूर्ण हुई थी, परियोजना एवं जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ मार्च 2008 में नियुक्त किये गये और राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ के अनुमोदन के लिए खेल के मास्टर रोड़ मैप को नवम्बर 2008 में अन्तिम रूप दिया गया था।
- खेल हेतु मास्टर रोड़ मैप क्रियात्मक क्षेत्रों, क्रीड़ास्थल प्रचालनों तथा अधिचित्र हेतु समानान्तर योजना को अपनाते हुए योजना चक्र को संक्षिप्त करने के लिए एक निर्णायक रणनीति पर आधारित था। वर्तमान रोड़ मैप में, 12-15 महीने के वितरण प्रक्रिया समय से समझौता नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त निकास सम्मेलन के दौरान, आयोजन समिति ने बताया कि राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ द्वारा निर्धारित यह समय सीमाएं बाध्य नहीं थीं तथा ये श्रमशक्ति एवं वित्तीय संसाधन के घटक थे। इसके अतिरिक्त, जून 2009 में राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ, आयोजन समिति के नवीनतम निर्णयों के अनुपालन में, 31 अगस्त 2009 तक शेष दस्तावेजों हेतु समय सीमाओं को बढ़ाने के लिए सहमत हो गया था। हम मानते हैं कि इस अन्तिम चरण पर राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के पास इस संशोधित समय सीमा से सहमत होने के सिवाय संभवतः कोई अन्य उपाय नहीं है।

सामान्य आयोजन योजना ने भी खेल परियोजना का स्पष्ट रूप से निर्धारित क्रियाकलापों एवं उद्देश्यों के साथ 34 क्रियात्मक क्षेत्रों में विस्तार किया। इन क्रियात्मक क्षेत्रों में प्रत्येक के लिए प्रचालन योजनाएं तैयार की जानी थी। तथापि, मई 2009 तक, प्रारूप प्रचालन योजनाएं केवल 16 क्रियात्मक क्षेत्रों के लिए ही तैयार की गई थी। प्रचालन योजनाओं की तैयारी की स्थिति के विवरण अनुलग्नक - IV में दर्शाये गये हैं। ड्राफ्ट प्रतिवेदन के प्रत्युत्तर में, आयोजन समिति ने उत्तर दिया कि सभी क्रियात्मक क्षेत्र संचालनात्मक योजनाओं (संस्करण 1) को अब अंतिम रूप दे दिया गया है तथा अपेक्षित राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ की स्वीकृतियों[8] को 31 अगस्त 2009 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। हम आयोजन समिति को यह स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि योजना दस्तावेजों की तैयारी में विलम्ब जोखिम पैदा करते हैं जो समयबद्ध, सुरक्षित एवं प्रभावी निष्पादन पर प्रभाव डालते हैं।

[8] ड्राफ्ट प्रतिवेदन के उनके प्रत्युत्तर में, आयोजन समिति ने इंगित किया कि 34 क्रियात्मक क्षेत्र योजनाओं में से केवल 12 में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का अनुमोदन अपेक्षित था। तथापि, उन्होंने यह इंगित नहीं किया कि किस योजना में अनुमोदन अपेक्षित था और न ही ब्यौरेवार समर्थक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए ।

3.5 मानीटरिंग व्यवस्थाएं

आयोजन समिति तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा मानीटरिंग की मुख्य व्यवस्था, दैनिक एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट (PMS) सहित एक वेब आधारित परियोजना मानीटरिंग प्रणाली है (प्रकरण 1 देखें)।

आयोजन समिति की ओर से तकनीकी मानीटरिंग एक सलाहकार M/s इवेंट नॉलेज सर्विस (EKS) के द्वारा की जा रही थी, जिसने सभी क्रीड़ा स्थलों की भौतिक जांच संचालित की और आयोजन समिति को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हमने आयोजन समिति के लिए EKS की मानीटरिंग को मोटे तौर पर संतोषजनक पाया।

सभी संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों को समाविष्ट करते हुए, स्टेडियम समितियों को सभी स्थलों के लिए गठित किया जाना था। हमने पाया कि जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टेडियम समिति गठित नहीं की गई थी जबकि संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि कुछ मामलों में स्टेडियम समितियों में शामिल नहीं थे।

3.6 आयोजन समिति में प्रलेखन

हमने पाया कि आयोजन समिति में प्रलेखन तथा फाइल प्रणाली में सुधार की काफी गुंजाइश है।

हालांकि हम मानते हैं कि आयोजन समिति कोई सरकारी संस्था नहीं है और न ही इसमें कोई इस प्रकार का स्टाफ है फिर भी प्रलेखीकरण एवं फाइल प्रणाली के लिए प्रणालीगत प्रक्रिया आवश्यक है; विशेषतौर पर निम्न से संबंधितः

- विभिन्न एजेंसियों और राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ के साथ पत्राचार;
- आयोजन समिति के विभिन्न स्तरों (अध्यक्ष, कार्यकारी बोर्ड, क्रियात्मक क्षेत्र प्रमुख आदि) पर विभिन्न कार्यों से संबद्ध निर्णयों को दर्ज करना
- योजना एवं क्रियान्वयन प्रलेखनों के विभिन्न Versions पर नियन्त्रण से संबंधित।

हमारी राय में ऐसी प्रक्रियाएं हस्तचालित या इलेक्ट्रानिक या इन दोनो के मिश्रित रूप में विकसित की जा सकती है।

प्रकरण 1 वेब आधारित परियोजना प्रबंधन एवं मानीटरिंग

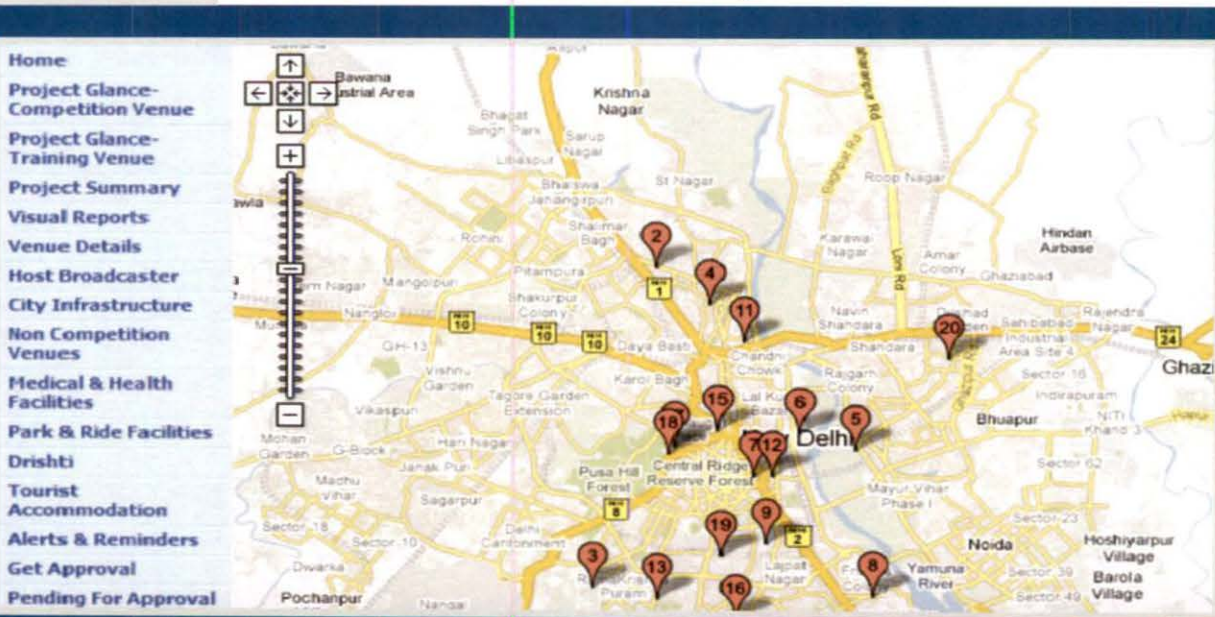

मई 2007 में, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने वेब आधारित परियोजना मानीटरिंग प्रणाली (पी.एम.एस.) को स्थापित किया। यह प्रणाली www.cwg2010projectmanagement.in पर उपलब्ध है। एजेंसियों को माह की 25 तारीख तक अपनी गतिविधियों से संबंधित सूचना इसमें डालनी होती है ताकि उनकी रिपोर्ट बनाकर 35 मॉनिटरिंग एजेंसियों को भेजी जा सके। हमारे विचार में यह प्रणाली अच्छी तरह से डिजाइन की गई हैं और क्रीड़ा स्थलों तथा अवसंरचना विकास, पर्यटकों के लिए आवास, प्रसारण आदि विभिन्न क्षेत्रों के लिए ब्यौरों की सूचना संतोषजनक रूप से उपलब्ध कराती है।

तथापि, इसमें सुधार तथा मूल्य संवर्धन की गुंजाइश है विशेषतौर पर प्रमाणिकता तथा प्रगति रिपोर्ट की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु, क्योंकि डाटा विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा अपलोड किया जा रहा है। हमने यह भी पाया कि वहाँ वैब मानीटरिंग प्रणाली में अनुरक्षित किए जा रहे पूर्व मासिक प्रगति प्रतिवेदनों का कोई अभिलेखन नहीं है। परियोजना रूपांकन बदलावों एवं प्रगति की माह-दर-माह जाँच रखने हेतु यह अपेक्षित है।

अनुशंसा 1

हम अक्तूबर 2010 की अचल समयसीमा को प्राप्त करने के लिए परियोजना के सभी स्तरों को पूरा करने में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय; आयोजन समिति तथा अन्य एजेंसियों द्वारा सामना कर रही चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। अब केवल अनुकूल समर्थ नेतृत्व, व्यापक योजना और कड़े निरीक्षण के माध्यम से ही इन चुनौतियों का प्रभावी रूप से निदान किया जा सकता है।

- *क्रियाकलापों तथा संगठनों की जटिलता तथा विविधता तथा अब तक की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, इस खेल परियोजना के अतिरिक्त ऐसे ही अन्य बड़े आयोजनों के लिये शासन प्रारूप पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।*
- *मेजबान शहर अनुबंध में बचनबद्धता के अनुसार लम्बित मूल योजना दस्तावेजों को, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अनुमोदन के लिए परम प्राथमिकता पर अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए, लम्बित परिचालन योजनाओं को तुरन्त अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए ताकि ये क्षेत्र, समय के अनुसार सक्रिय हो सकें।*
- *वेब आधारित परियोजना मानीटरिंग प्रणाली को डाटा के बेहतर वैधीकरण/पिछली रिपोर्टों के अभिलेखीकरण तथा इन रिपोर्टों के माध्यम से चिह्नित मुद्दों/कमियों पर अनुवर्ती कार्यवाही को भी इस प्रणाली में सम्मिलित करते हुए और भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।*

अध्याय 4 क्रीड़ास्थल विकास

क्रीड़ास्थल का स्थान

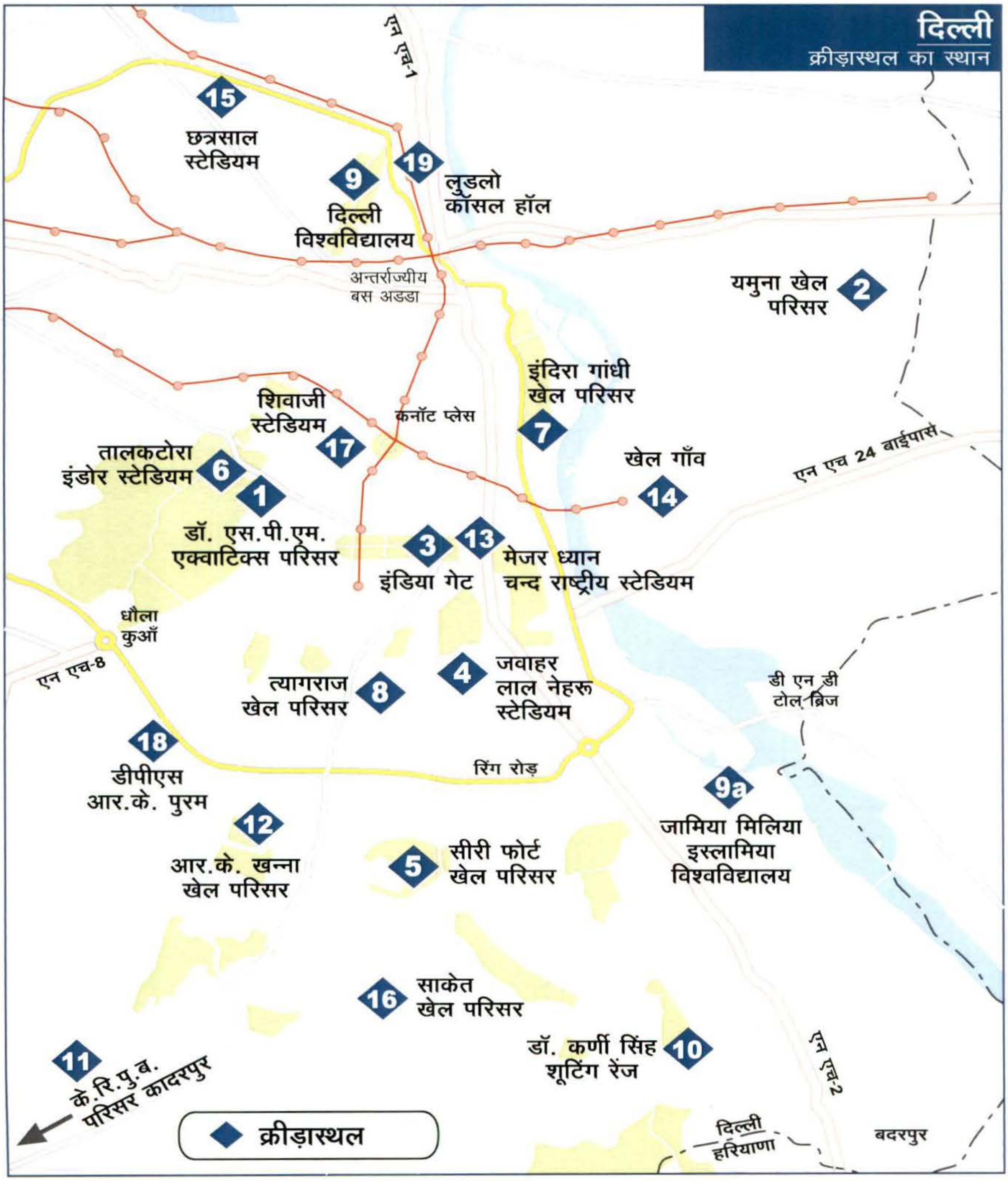

4.1 जोखिम निर्धारण मापदण्ड[9]

हमने निम्न मापदण्डों के अनुसार क्रीड़ा स्थलों हेतु जोखिम निर्धारण किया है:

1. निम्न जोखिम, जहाँ पर कार्य पूर्ण करने में कमी 25 प्रतिशत से कम है
2. मध्यम जोखिम, जहाँ कमी 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है
3. उच्च जोखिम, जहाँ कमी 50 प्रतिशत से अधिक है
4. सभी विशिष्ट प्रशिक्षण क्रीड़ा स्थलों को मध्यम अथवा कम जोखिम के रूप में निर्धारण किया गया है क्योंकि अन्य प्रतियोगिता क्रीड़ा स्थलों से इसमें कार्य की गुंजाइश कम है।
5. ड्राफ्ट प्रतिवेदन जारी करने के उपरान्त चार क्रीड़ा स्थलों की नियोजित समापन समय सीमा को संशोधित किया गया था। (पृष्ठ 26 पर बॉक्स 5 देखें) हम नियोजित समापन में हुए संशोधनों के आधार को सत्यापित नहीं कर सके। इन 4 मामलों में हमने मई 2009 तक की नियोजित प्रगति तथा जून 2009 की वास्तविक प्रगति के आधार पर जोखिम निर्धारण किया है।

4.2 क्रीड़ा स्थलों का जोखिम निर्धारण

क्रीड़ास्थलों के समापन के जोखिम का हमारा निर्धारण इंगित करता है कि एस.पी.एम. जलक्रीड़ा परिसर उच्च जोखिम पर है (प्रकरण-5 देखें) जबकि 13 क्रीड़ास्थल मध्यम जोखिम पर हैं (विवरण अनुलग्नक VII में इंगित है)

उच्च जोखिम
मध्यम जोखिम
न्यून जोखिम

1 डॉ. एस.पी.एम. जलक्रीड़ा परिसर

समय सीमा : अक्तूबर 2009

स्पर्धा स्थल	**प्रतिशत पूर्णता**
तैराकी	42

2 यमुना खेल परिसर

समय सीमा : दिसम्बर 2009

	प्रतिशत पूर्णता
▪ स्पर्धा स्थल	
तीरंदाजी, टेबल टेनिस	7, 46
▪ प्रशिक्षण स्थल	
एक्वाटिक्स, जिमनास्टिक, लॉन बॉल तीरंदाजी	12, 12, 10, 10

3 इण्डिया गेट

समय सीमा : सितम्बर 2010

▪ स्पर्धा स्थल	**प्रतिशत पूर्णता**
तीरंदाजी	उ.न.

[9] समापन प्रतिशतता, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के 25 जून 2009 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार है।

4 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम

समय सीमा : नवम्बर-दिसम्बर 2009

■ **स्पर्धा स्थल**	**प्रतिशत पूर्णता**
एथलेटिक्स, भारोत्तोलन	54, 43
लॉन बॉल	उ.न.

5 सीरी फोर्ट खेल परिसर

समय सीमा : दिसम्बर 2009

■ **स्पर्धा स्थल**	**प्रतिशत पूर्णता**
बैडमिंटन एवं स्क्वैश	46
■ **प्रशिक्षण स्थल**	**प्रतिशत पूर्णता**
बैडमिंटन, एक्वाटिक्स, स्क्वैश, टेनिस	0, 2, 5, 0

6 तालकटोरा इंडोर स्टेडियम

समय सीमा : अक्तूबर 2009

■ **स्पर्धा स्थल**	**प्रतिशत पूर्णता**
बॉक्सिंग	73

7 इंदिरा गांधी स्टेडियम

समय सीमा साइक्लिंग: मार्च 2010
जिमनास्टिक: अक्तूबर 2009
कुश्ती: दिसम्बर 2009

■ **स्पर्धा स्थल एवं प्रशिक्षण स्थल**	**प्रतिशत पूर्णता**
साइक्लिंग, जिमनास्टिक, कुश्ती	35, 56, 43

8 त्यागराज खेल परिसर

समय सीमा : सितम्बर 2009

■ **स्पर्धा स्थल**	**प्रतिशत पूर्णता**
नेट बॉल	69
■ **प्रशिक्षण स्थल**	**प्रतिशत पूर्णता**
एथलेटिक्स	69

9 दिल्ली विश्वविद्यालय

समय सीमा : जनवरी 2010

■ **स्पर्धा स्थल**	**प्रतिशत पूर्णता**
रग्बी 7एस	34
■ **प्रशिक्षण स्थल**	**प्रतिशत पूर्णता**
एथलेटिक्स, बॉक्सिंग एवं नेट बॉल, कुश्ती	12, 30, 10
रग्बी 7एस (विभिन्न कालेजो के मैदानों पर)	28 to 69

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय 9a

- **प्रशिक्षण स्थल** — प्रतिशत पूर्णता
  रग्बी 7एस एवं टेबल टेनिस — 14

आर.के. खन्ना खेल परिसर 12

समय सीमा : दिसम्बर 2009

- **स्पर्धा स्थल एवं प्रशिक्षण स्थल** — प्रतिशत पूर्णता
  टेनिस — 45

डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज 10

समय सीमा : दिसम्बर 2009

- **स्पर्धा स्थल एवं प्रशिक्षण स्थल** — प्रतिशत पूर्णता
  शूटिंग — 42

मेजर ध्यान चंद स्टेडियम 13

समय सीमा : सितम्बर 2009

- **स्पर्धा स्थल एवं प्रशिक्षण स्थल** — प्रतिशत पूर्णता
  हॉकी — 75
- **प्रशिक्षण स्थल** — प्रतिशत पूर्णता
  एक्वाटिक्स — 0

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर कादरपुर 11

समय सीमा : दिसम्बर 2009

- **स्पर्धा स्थल** — प्रतिशत पूर्णता
  शूटिंग — 40

खेल गांव 14

समय सीमा : मार्च 2010

- **प्रशिक्षण स्थल** — प्रतिशत पूर्णता
  एथलेटिक्स, एक्वाटिक्स, भारोत्तोलन, कुश्ती — 40, 55, 55, 30

छत्रसाल स्टेडियम 15

- **प्रशिक्षण स्थल**
  एथलेटिक्स

प्रतिशत पूर्णता
19

दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम 18

- **प्रशिक्षण स्थल**
  लॉन बॉल

प्रतिशत पूर्णता
उ.न.

साकेत खेल परिसर 16

- **प्रशिक्षण स्थल**
  बैडमिंटन

प्रतिशत पूर्णता
6

लूडलो कैसल हॉल 19

- **प्रशिक्षण स्थल**
  कुश्ती

प्रतिशत पूर्णता
12

(नोट : क्रीड़ा स्थलो के फोटो 1–2 जुलाई 2009 को लिए गए थे)

शिवाजी स्टेडियम 17

- **प्रशिक्षण स्थल**
  हॉकी

प्रतिशत पूर्णता
26

बॉक्स

4

क्रीड़ा स्थलों हेतु मुख्य मुद्दे

	क्रीड़ा स्थल	मुख्य मुद्दे
1.	डा. एस.पी.एम. जलक्रीड़ा परिसर (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/भारतीय खेल प्राधिकरण)	उच्च जोखिम/विस्तृत निष्कर्ष प्रकरण 5 में दिये गये हैं
2.	यमुना खेल परिसर (दिल्ली विकास प्राधिकरण)	■ परियोजना हेतु सलाहकारों के चयन में 11 माह का विलम्ब हुआ था। ■ टेबल-टेनिस क्रीड़ा स्थल हेतु, फेस-I (नींव) और फेस-II (अधिरचना) में विलम्ब डिजाइनों के उपलब्धता में देरी के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त, फेस-I के समापन तथा फेस-II के आरम्भ के मध्य लगभग 6 सप्ताह का विलम्ब था। ■ तीरंदाजी प्रतियोगिता स्थल तथा सभी प्रशिक्षण स्थलों के लिए विलम्ब निविदाओं के पुनः मांगने तथा कार्य को मार्च 2009 में जाकर ही अंतिम रूप से प्रदान करने के कारण था।
3.	इंडिया गेट (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)	■ इसे अस्थाई संरचना के निर्दिष्ट माना गया है। आयोजन समिति ने क्रीड़ा स्थल हेतु 14 जुलाई 2009 को सशर्त स्वीकृति प्रदान की है। तथापि, हमें कार्य के क्षेत्र के बारे में कोई सूचना नहीं है।
4.	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/भारतीय खेल प्राधिकरण)	■ एथलेटिक्स क्रीड़ा स्थल (लोअर टीअर) हेतु, प्रेस नोटिस तकनीकी संस्वीकृति से पहले जारी किया गया था तथा कार्य पांच माह के विलम्ब के बाद पूरा किया गया। ■ भारोत्तोलन सभागृह हेतु, प्रेस नोटिस तकनीकी संस्वीकृति से पहले जारी किया गया था तथा कार्य डिजाइनों तथा परिव्यय योजना, जो विलम्बित थी, के बिना आरम्भ किया गया था। ■ लॉन बॉल कार्यक्षेत्र हेतु पूर्व योग्यता, आयोजन समिति की सिंथेटिक ग्रीनस के ब्रांड की स्वीकृति की प्रत्याशा में मांगी गई थी तथा बाद में निरस्त कर दी गई थीं। आयोजन समिति की ब्रांड की स्वीकृति 2 जुलाई 2009 को जाकर ही प्रदान की गई। प्रैस नोटिस जारी कर दिया गया है किन्तु कार्य अभी प्रदान किया जाना था। ■ दो छात्रावास ब्लाकों हेतु प्रैस नोटिस, तकनीकी संस्वीकृति के लगभग एक वर्ष पहले ही जारी कर दिया गया था जबकि तकनीकी संस्वीकृति केवल एक ब्लाक के लिये ही प्राप्त हुई।
5.	सीरी फोर्ट परिसर (दिल्ली विकास प्राधिकरण)	■ परियोजनाओं हेतु सलाहकारों के चयन में 11 माह की देरी थी। ■ फेस-I (नींव) चार माह देरी से पूर्ण हुआ तथा फेस-II (अधिरचना) अभिचित्रों तथा डिजाइनों की अनुपलब्धता के कारण बाधित हुआ था। ■ स्थलों को पार्किंग हेतु चिन्हित स्थान पर पेड़ों के काटने के मुद्दे पर मुकद्दमेबाजी का सामना करना पड़ा। ■ शहरी कला आयोग दिल्ली (DUAC) से प्रस्ताव हेतु अनुमति अक्तूबर 2008 से लम्बित थी क्योंकि मामला न्यायाधीन था। ■ बैडमिंटन स्थल के पूर्ण रूप से तैयार न होने के कारण वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जोकि दिल्ली में अगस्त 2009 में टेस्ट इवैंट के रूप में आयोजित होनी थी, को हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया गया।
6.	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम (दिल्ली नगर पालिका परिषद)	■ इस परियोजना में विद्यमान स्टेडियम का उन्नयन तथा नए सुविधा ब्लाक एवं पार्किंग लॉट का निर्माण सम्मिलित था। ■ प्रत्युत्तर में, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने बताया कि सुपुर्दगी हेतु अंतिम अवधि दिसम्बर 2009 थी परन्तु राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ को दिखाए जाने के लिए अक्तूबर 2009 तक कम से कम विद्यमान स्टेडियम का उन्नयन समाप्त करने हेतु प्रयास जारी थे।
7.	इन्दिरा गांधी स्टेडियम (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/भारतीय खेल प्राधिकरण)	■ वार्म-अप हॉल के लिए निविदा दोबारा बुलानी पड़ी। कार्य बिना अभिन्यास योजना के आरम्भ कर दिया था तथा फिर शहरी कला आयोग दिल्ली की अनुमति की कमी के कारण रोक दिया था। ■ कुश्ती खेल स्थल हेतु बैठने की क्षमता को वर्ष-2007 के अंत में पहले से निर्धारित 5,000 से 7,500 तक बढ़ा दिया गया था। अनुमानों एवं निविदा करने को अंतिम रूप देने में विलंब थे जो कार्य को देरी से प्रारम्भ करने का कारण बने। ■ अंतर्राष्ट्रीय साईक्लिंग संघ के कथनानुसार सितम्बर 2008 में साइक्लिंग वेलोड्रॉम हेतु विशिष्टताओं को बदल दिया गया था। ■ छत कार्य हेतु प्रैस नोटिस तकनीकी संस्वीकृति के पहले जारी किया गया था; कार्य डिजाइन की गैर-उपलब्धता के कारण अवरूद्ध था।

	क्रीड़ा स्थल	मुख्य मुद्दे
8.	त्यागराज खेल परिसर (लोक निर्माण विभाग)	■ तृतीय दल गुणवत्ता आश्वासन हेतु अनुबंध निर्माण के प्रारम्भ के पश्चात सौंपा गया था। प्रत्युत्तर में, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली राज्य सरकार ने बताया कि यद्यपि अनुबंध को देरी से सौंपा गया था परन्तु इसमें पहले से पूर्ण मद हेतु निर्माण जाँच बाद में करके पूर्ण कार्य का गुणवत्ता आश्वासन सम्मिलित किया था।
9.	दिल्ली विश्वविद्यालय	■ दिल्ली विश्वविद्यालय ने बताया कि कार्य, निधि प्राप्त करने एवं खेल मंत्रालय द्वारा संशोधित बजट की अनुमति में विलंब के कारण समय पर आरम्भ नहीं हो सका। ■ तृतीय दल गुणवत्ता आश्वासन हेतु सलाहकारों को अभी भी नियुक्त नहीं किया गया था।
9क	जामिया मिलिया इस्लामिया	■ अनुमतियों हेतु आवेदन नहीं किया गया था, जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया की मुख्य योजना अभी भी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जानी थी। ■ आयोजन समिति से इस्तेमाल की जाने वाली घास की किस्म की प्रारम्भिक सूचना की अनुपस्थिति में जामिया मिलिया इस्लामिया ने घास की भारतीय किस्म का उपयोग किया जिसे बाद में मई 2009 में आयोजन समिति के निर्देशों पर अमरीकी किस्म (बर्मुडा घास) द्वारा बदला जाना था। ■ निकास सम्मेलन के दौरान, जामिया मिलिया इस्लामिया ने बताया कि, क्योंकि CCTV लगाने के स्थानों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था इसलिए वो प्लास्टर एवं फिनिशिंग कार्य (फाल्स सीलिंग सहित) को अभी तक प्रारम्भ नहीं कर सके हैं।
10.	कर्णी सिंह शूटिंग रेंज (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/भारतीय खेल प्राधिकरण)	■ खेल स्थल विशिष्टताओं का विद्यमान रेंज के उन्नयन से विद्यमान रेंजों को ढ़हा कर नई रेंजों के निर्माण तक संशोधन किया गया था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुसार, संशोधित प्रस्तावों को अगस्त 2008 में सुनिश्चित किया गया था तथा कार्य अक्तूबर 2008 में प्रारम्भ हुआ। इसके अतिरिक्त, लागत अनुमानों को कार्य के बढ़े हुए क्षेत्र के कारण 16 करोड़ रू. से 65 करोड़ रू. तथा बाद में 149 करोड़ रू. तक संशोधित किया गया था। ■ सीमा रेखाओं को दिल्ली शहरी कला आयोग एवं वन अनुमतियों की प्राप्ति में विलंब तथा स्थानों की सुपुर्दगी में देरी करने के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका।
11.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर, कादरपुर (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)	■ परियोजना में चार पैकेज- प्रवेश मार्ग, मुख्य प्लेटफार्म, सुविधा ब्लाक तथा बैफल वॉल सम्मिलित हैं। प्रथम दो पैकेज हेतु प्रैस नोटिस, तकनीकी संस्वीकृति के पहले जारी किए गए थे। ■ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुसार, समाप्ति में विलम्ब आंशिक रूप से खेल मंत्रालय द्वारा प्राप्त निधियों की कमी तथा अनिर्धारित देयताओं के संचयन के कारण था; प्रथम किश्त मार्च 2009 में प्राप्त की गई थी। ■ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुसार, बैफल वॉल का निर्णय एवं डिजाइन अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्टिंग शूट महासंघ, आयोजन समिति तथा राष्ट्रमण्डल शूटिंग महासंघ के स्थान दौरे के दौरान मार्च 2009 में ही निश्चित किया गया था; बैफल वॉल हेतु अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की अभ्युक्तियों एवं मापदण्डों की पूर्ति के तहत आयोजन समिति द्वारा अस्थाई आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान की। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अब डिजाइनों को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा निविदाएं मांगी गई हैं।
12.	आर.के. खन्ना खेल परिसर (अखिल भारतीय टेनिस संघ) (दिल्ली नगर निगम)	■ चूंकि अखिल भारतीय टेनिस संघ एक निजी भू-स्वामी था इसलिए सितम्बर 2008 में, खेल मंत्रालय ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को स्वतंत्र परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया था। जबकि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने तकनीकी-वित्तीय लेखापरीक्षा प्रस्तावित की जिसे अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था। प्रत्युत्तर में, अखिल भारतीय टेनिस संघ ने बताया कि वह स्वयं उपयुक्त गुणवत्ता नियंत्रण कर रहे थे। ■ वित्तीय स्वीकृतियों में विलम्ब थे जो, अखिल भारतीय टेनिस संघ के अनुसार, कार्य की प्रगति को प्रभावित कर रहे थे।
13.	मेजर ध्यान चन्द राष्ट्रीय स्टेडियम (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/ भारतीय खेल प्राधिकरण)	■ अति विशिष्ट व्यक्ति गैलरी एवं नई ओपन गैलरी पैकेज हेतु निपादन, स्पष्ट स्थान तथा अभिचित्र की गैर-उपलब्धता के कारण विलम्बित था। ■ छात्रावास/ मीडिया आवास स्थान हेतु पैकेज को, केन्द्रीय विस्ता लाईन पर आने से, दिल्ली शहरी कला आयोग की आपत्ति के कारण रद्द करना पड़ा।
14.	खेल गाँव प्रशिक्षण खेल स्थल (दिल्ली विकास प्राधिकरण)	■ प्रशिक्षण स्थान का कार्य विलम्बित हैं। विस्तृत जानकारी अध्याय 5 खेल गाँव में सम्मिलित है
15.	छत्रसाल स्टेडियम (लोक निर्माण विभाग)	■ विलम्ब दिल्ली शहरी कला आयोग से अनुमति प्राप्ति में देरी के कारण हुआ।

	क्रीड़ा स्थल	मुख्य मुद्दे
16.	साकेत खेल परिसर (दिल्ली विकास प्राधिकरण)	■ विद्यमान हॉल के नवीकरण का कार्य निविदा दोबारा माँगे जाने के कारण विलम्बित था; कार्य को अंतिम रूप से मार्च 2009 में सौंपा गया था।
17.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम	■ लॉन बॉल क्षेत्र हेतु सिंथेटिक सतह का ब्राण्ड आयोजन समिति से जुलाई 2009 में प्राप्त हुआ था। प्रैस नोटिस को जुलाई 2009 में जारी किया गया था, परन्तु कार्य अभी भी सौंपा जाना था।
18.	शिवाजी स्टेडियम (नई दिल्ली नगरपालिका परिषद)	■ परियोजना को जून 2010 तक आयोजन समिति को सुपुर्द करने के लिए मई 2010 तक पूर्ण किया जाना था।
19.	लूडलो कॉसल हॉल (लोक निर्माण विभाग)	■ योजना की स्थिति खराब है। विवरण प्रकरण 2 में दिए गए हैं।

4.3 क्रीडा स्थलों के विनिर्देशन की योजना में विलम्ब

क्रीडा स्थल विनिर्देशन की सही योजना को सुनिश्चित करने के लिए, अवसंरचना समन्वय समिति ने अगस्त 2007 में, समयसीमा के साथ, निम्न चरणों का निर्धारण किया:

	चरण	समयरेखा
1.	ई.के.एस. (EKS) द्वारा क्रीड़ा स्थल आकलन तथा उनके स्वामियों को क्रीडास्थल निर्देशवृत का प्रस्तुतिकरण	दिसम्बर 2006
2.	क्रीडा स्थल स्वामियों द्वारा रिटर्न निर्देशवृत का एवं संकल्पना अभिचित्र प्रस्तुतिकरण	मई 2007
3.	संकल्पना अभिचित्र हेतु आयोजन समिति का अनुमोदन	जून 2007
4.	पूर्ण अन्तिम डिजाइन हेतु आयोजन समिति का अनुमोदन	जुलाई 2007
5.	निर्माण का प्रारम्भ	सितम्बर 2007
6.	निर्माण का समापन	दिसम्बर 2009

प्रकरण 2 कुश्ती हेतु अभ्यास स्थल के रूप में लुडलो कॉसल विद्यालय में असमंजस

दिसम्बर 2007 में, लोक निर्माण विभाग (दिल्ली सरकार) ने परामर्श कार्य, आयोजन समिति द्वारा स्वीकृत विद्यालय संख्या 2 के स्थान पर गवर्नमेंट माडल लूडलो कॉसल विद्यालय सं.1 को कुश्ती के अभ्यास स्थान हेतु सौंप दिया। इसे जून 2008 में संशोधित किया गया। परिणामस्वरूप, जून 2009 तक परियोजना की प्रगति मात्र 12 प्रतिशत है।

तथापि हमने पाया कि उक्त समय रेखाओं के संदर्भ में प्रक्रिया के सभी चरणों में विलम्ब थे, जैसा कि नीचे सारांश दिया गया है; विवरण अनुलग्नक-V में दिए गए हैः

- ई.के.एस. (EKS) /आयोजन समिति ने क्रीड़ा स्थल स्वामियों को क्रीड़ा स्थल का निर्देशवृत सौंपने में 3 से 6 महीने का विलम्ब किया;
- क्रीड़ा स्थल स्वामियों/एजेन्सियों ने संकल्पना डिजाइन/रिटर्न निर्देशवृत आयोजन समिति को प्रस्तुत करने में 1 से 14 महीने का विलम्ब किया;
- आयोजन समिति ने संकल्पना अभिचित्रण के अनुमोदन में 2 से 10 महीने का विलम्ब किया;
- आयोजन समिति ने अधिकतर स्थलों के लिए अंतिम अभिचित्रों को केवल सशर्त अनुमोदित किया है। 3 स्थलों हेतु, सशर्त अनुमोदन मार्च 2009 से जुलाई 2009 के बीच प्रदान किए गए थे।

11 स्थलों के 13 मामलों में, एजेन्सियों ने आयोजन समिति द्वारा अन्तिम डिजाइन के सशर्त अनुमोदन के पहले ही निर्माण प्रारम्भ कर दिया था।

साइकिल वेलोड्रोम की निर्माण योजना में परिवर्तन

इन्दिरा गांधी स्टेडियम में साइक्लिंग वेलोड्रोम के निर्माण में विलम्ब हुआ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय साइक्लिंग संघ (UCI) ने, बाद के चरण में एक खुले स्टेडियम के बजाय पूर्ण रूप से वातानुकूलित इंडोर टिम्बर ट्रैक के लिए विशिष्टताओं का परिवर्तन कर दिया। इसने समय सीमाओं के पूरा होने में परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर दिया।

विनिर्देशों का अंतिम रूप से तय न किया जाना

निकास सम्मेलन के दौरान एवं अपने प्रत्युत्तर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया कि आयोजन समिति के सलाहकारों के साथ कई बैठकें की गई थीं तथा प्रत्येक क्रीड़ा स्थल, जिनके लिए अभिचित्रों को कई बार संशोधित किया गया था, हेतु कई संशोधन किए गए तथा अनुमोदन हेतु आयोजन समिति को प्रस्तुत किये गये। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम जैसे क्रीड़ा स्थल हेतु अंतिम अभिचित्रों के संशोधन के लिए कुछ अभ्युक्तियां विचाराधीन थीं।

इसके अतिरिक्त, लैन, सी.सी.टी.वी., प्रसारण परिव्यय, ओवरलेज, वीडियो स्क्रीन तथा स्कोर बोर्ड, साइनेजों इत्यादि हेतु विवरण अभी भी प्रतीक्षित थे। ट्रेक एवं टर्फ (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की समयरेखाओं के अनुपालन में अक्तूबर 2008 में अपेक्षित) हेतु, विवरण तथा ब्रांड हाल ही में प्राप्त हुए थे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फोटो फिनिश कमरे का स्थान तथा आवश्यकताओं को आयोजन समिति द्वारा मई 2009 में जाकर ही अंतिम रूप दिया गया था।

हमने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बताई गई परेशानियों को नोट किया है। जबकि हम ऐसी पेचीदा परियोजना हेतु विशिष्टताओं की गतिशील तथा निरन्तर विकासशील प्रकृति को समझते हैं तथापि, सभी परियोजनाओं तथा निर्माण कार्यों हेतु सभी प्रकार से सभी विनिर्देशों को अन्तिम रूप से और विलम्बित नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण 3 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सीरी फोर्ट परिसर के बेसमेंट का अनुमोदन

जून 2007 में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सीरी फोर्ट खेल परिसर में बैडमिंटन एवं स्क्वैश कोर्ट (बेसमेंट सहित) के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था क्योंकि यह स्थल ऐतिहासिक-स्मारकों के पास बसे क्षेत्र में आता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने प्रारम्भ में मार्च 2008 में अनुमति प्रदान की। परन्तु बाद में दिसम्बर 2008 के निरीक्षण में, विशाल बेसमेंट के निर्माण को देखते हुए, दावा किया कि इतने विशाल बेसमेंट के लिए अनुमति नहीं दी गई है और अनापत्ति को रद्द करने की चेतावनी देते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। फिर मार्च 2009 में ही, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने "लाचार होकर" बेसमेंट को नियमित कर दिया।

4.4 अनुमति की प्राप्ति

क्रीड़ा स्थल निर्माण के प्रारम्भ से पहले भारत सरकार तथा दिल्ली सरकार एजेंसियों की अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाने अपेक्षित थे, जिनमें निम्न भी शामिल हैः

- डी.यू.ए.सी. (दिल्ली शहरी कला आयोग);
- एन.डी.एम.सी (नई दिल्ली नगरपालिका परिषद) एवं एम.सी.डी.; (दिल्ली नगर निगम)
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.इ.एफ.); तथा
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.)

अधिकतर अनुमतियों के आवेदन तथा स्वीकृतियों हेतु प्रक्रिया पेचीदा होती है तथा कई मामलों में विभिन्न स्तरों पर अनुमति ली जानी होती है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में अंतिम अनुमति आवश्यक रूप से स्थानीय निकाय के माध्यम से न कि सीधे स्थल स्वामी/कार्यान्वयन एजेन्सी से प्राप्त की जानी होती है ।

हमने स्थल स्वामियों/क्रियान्वयन करने वाली एजेन्सियों द्वारा अनुमति हेतु आवेदन करने में काफी विलम्ब पायेः

- भारतीय खेल प्राधिकरण के 5 मुख्य स्टेडियमों- जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, एम.डी.सी. राष्ट्रीय स्टेडियम, इन्दिरा गांधी स्टेडियम, एस.पी.एम. स्वीमिंग परिसर, तथा डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में - 24 अनापत्ति प्रमाणपत्रों हेतु आवेदन, सम्बद्ध परामर्श कार्य जिसका वे एक भाग थे, के पूर्ण होने की अनुबंधित तिथि के 11 महीने बाद प्रस्तुत किये गये थे।
- जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने अपने रग्बी7 क्रीड़ा स्थल एवं टेबल टेनिस प्रशिक्षण स्थल हेतु अभी तक किसी भी अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने उत्तर में बताया कि यह विश्वविद्यालय हेतु मुख्य योजना के दिल्ली विकास प्राधिकरण से लम्बित अनुमति के कारण था।

इसके अतिरिक्त, कई नियामक एजेन्सियाँ अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र समयानुसार जारी नहीं कर रहीं थीं:

- 27 मामले विभिन्न एजेन्सियों के पास लम्बित थे जिसमें से 22 मामले छः माह से अधिक से लम्बित थे;

प्रकरण 4 दिल्ली शहरी कला आयोग की अनुमतियाँ

हमने दिल्ली शहरी कला आयोग के पास 11 अनुमतियों, 7 लम्बित मामले तथा 4 मामले छः माह या अधिक के विलम्ब के बाद निपटाए गए, की एक त्वरित समीक्षा की। हमारी समीक्षा ने प्रकट किया कि अधिकतर मामलों में, दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा आवेदन अपूर्ण पाए गए थे। एक मामले के अलावा (जब दिल्ली शहरी कला आयोग लगभग तीन महीनों तक अस्तित्व में नहीं था तथा मई 2008 में पुनर्गठित किया गया था), हमने दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा "प्रस्तावकों" के आवेदनों हेतु तत्काल प्रतिक्रिया पाई।

दिल्ली शहरी कला आयोग के अभिलेखों के अनुसार, विलम्ब सामान्य रूप से दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा किए अवलोकनों के अनुपालन हेतु प्रस्तावकों के प्रतिरोधों के कारण थे। छत्रसाल स्टेडियम के मामले में यह विशिष्ट परिस्थिति थी जहाँ लोक निर्माण विभाग, दिल्ली राज्य सरकार ने दावा किया कि कार्य को शुरू करने में विलम्ब हेतु कारण दिल्ली शहरी कला आयोग अनुमोदन का जारी न करना था तथा सभी योजनाएं/नमूने दिल्ली शहरी कला आयोग को समय पर प्रस्तुत किए गए थे। खेल गाँव में सुविधा ब्लाक के मामले में, दिल्ली शहरी कला आयोग ने जनवरी 2008 में टिप्पणी की कि प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण में स्थानीय निकाय निदेशक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए लेकिन इस अवलोकन पर जून 2009 तक विचार नहीं किया गया था। एस पी एम जलक्रीड़ा परिसर के मामले में, प्रस्तावक द्वारा छः महीने के विलम्ब के पश्चात ही दिल्ली शहरी कला आयोग के अवलोकनों पर अनुपालन प्रेषित किया गया था।

जबकि यह स्पष्ट है कि ऐजेन्सियों एवं दिल्ली शहरी कला आयोग के बीच प्रायः विभाजन है लेकिन भारत सरकार को दिल्ली शहरी कला आयोग अधिनियम 1973 की धारा 13 एवं 14 के अंतर्गत दिल्ली शहरी कला आयोग के निर्णय के विरुद्ध निर्णय देने हेतु अधिकृत किया गया है। यह भारत सरकार पर निर्भर है कि ऐसे मामलों में दोनों पक्षों के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात तत्काल एवं तीव्र निर्णय ले।

- 39 मामलों में, एजेन्सियों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने में 6 महीने से अधिक लिये। प्रकरण-3 में सीरी फोर्ट खेल परिसर में बैडमिंटन एवं स्क्वैश कोर्ट की अनुमति प्रदान करते समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संवीक्षा में चूक का वर्णन है।

एकल अनुमति प्रणाली बनाने के लिए प्रयास निम्नलिखित कारणों के कारण सफल नहीं हुए थेः

- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के कारण वे एकल अनुमति प्रणाली का हिस्सा नहीं बन सकते।
- अनुमतियों के सरलीकरण के लिए गठित दिल्ली राज्य सरकार की एक अधिकृत समिति, जिसे सचिवों की समिति के निर्देशों पर बनाया गया था, प्रभावी नहीं हो सकी क्योंकि दिल्ली शहरी कला आयोग (DUAC) एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) जैसी एजेन्सियां इसके क्रमबद्ध क्षेत्राधिकार में नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, इसका हस्तक्षेप मात्र संबंधित एजेन्सी से अनुरोध तक सीमित रह सका।

प्रत्युत्तर में, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया कि एकल अनुमति प्रणाली पर विभिन्न स्थानीय निकायों से स्वीकृतियों पर विचार करके योजना हेतु समय सीमाएं निर्धारित कर ली गई थीं परन्तु विभिन्न स्थानीय निकायों ने योजना स्तर में बदलावों को प्रस्तावित किया जिसने अनुमोदन को विलम्बित किया तथा जिसका परिणाम अधिकांश खेल स्थलों का देरी से प्रारम्भ करने में हुआ।

लम्बित अनुमतियों का विवरण तथा इन अनुमतियों को प्रदान करने में विलम्बों को अनुलग्नक-VI में दर्शाया गया है।

4.5 कार्य निष्पादन के अन्य मुद्दे

हमने पाया कि काफी खेल स्थल विकास कार्य अपर्याप्त योजना के कारण विलम्बित या बाधित हो रहे थे, जैसा नीचे सार दिया है:-

- कई क्रीड़ा स्थल स्वामियों तथा कार्यकारी एजेन्सियों ने कार्य की विभिन्न मदों हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए सलाहकारों को नियुक्त किया था; अब तक इन सलाहकारों को शुल्क के रूप में 30 करोड़ रू. से अधिक अदा किये जा चुके थे। हमने यह पाया कि सलाहकार अपेक्षित कार्यों का समय से प्रस्तुतीकरण (प्राथमिक डिजाइनों, अभिचित्रों तथा निविदा दस्तावेजों) सुनिश्चित करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप क्रीड़ा स्थल विकास में निरन्तर विलम्ब हुआ।
- तकनीकी संस्वीकृति तथा विस्तृत अनुमान/डिजाइन जो अनुमानों की संरचनात्मक स्वस्थता तथा यथार्थता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं, विलम्बित थे।
- कई मामलों में, कार्यों हेतु प्रैस नोटिस सलाहकारों से पृथक अनुमानों तथा निविदा दस्तावेजों की प्राप्ति से पहले ही जारी किए गए थे। इसका परिणाम शुद्धिपत्र के माध्यम से लागत एवं योग्यता मापदण्ड में अनुवर्ती संशोधनों के रूप में सामने आया।

बॉक्स

5

अच्छी प्रगति अंकित करने हेतु मई 2009 से जून 2009 तक नियोजित प्रगति में बदलाव

ड्राफ्ट प्रतिवेदन को जारी करने के बाद, हमने युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की वेब मॉनीटरिंग प्रणाली की जून 2009 की प्रगति रिपोर्ट में कुछ खेल स्थलों के संबंध में वास्तविक के प्रति नियोजित प्रगति में पर्याप्त सुधार पाया। संवीक्षा ने प्रकट किया कि यह मई 2009 से जून 2009 तक नियोजित प्रगति में वास्तविक अधोगामी कटौती द्वारा उत्पन्न था। तथापि हमने अपने जोखिम निर्धारण के उद्देश्य हेतु इन परियोजनाओं के लिए मई 2009 तक नियोजित परियोजना प्रगति को लिया है।

खेल स्थल	नियोजित परियोजना प्रगति (प्रतिशत)		अंकित की गई वास्तविक प्रगति (प्रतिशत)	
	मई 2009	जून 2009	मई 2009	जून 2009
एस.पी.एम. जलक्रीड़ा परिसर	93	46	36	42
जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम (दौड़)	75	61	40	54
जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम (भारोत्तोलन)	78	64	46	43
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	39	26	12	14
मेजर ध्यान चन्द स्टेडियम	90	78	72	75

यह रोचक तथ्य है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के भारोत्तोलन सभागार के मामले में दर्शायी गई वास्तविक प्रगति मई से जून 2009 तक में 3 प्रतिशत कम हुई है।

- ऐसे मामले भी पाए गए जहाँ तकनीकी संस्वीकृतियाँ अक्तूबर-नवम्बर 2008 में जारी की गई थीं परन्तु प्रैस नोटिस जून 2009 तक प्रकाशित नहीं किए गए थे।

- कई मामलों में, सीमारेखाएं प्राप्त नहीं की गई थीं तथा कई बार बदली गई थीं। अप्रयुक्त दस्तावेजीकरण विशेषतः हिन्डरेंस रजिस्टर के न होने या ठीक से न बनाये जाने के कारण ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

4.6 ओवरलेज (Overlays) एवं अन्य उपकरण

खेल स्थलों हेतु ओवरलेज (Overlays) घटना-विशिष्ट अस्थाई संस्थापनों जैसे सीटिंग, टैन्ट, प्लेटफार्म, रैम्प, सिग्नेज के साथ-साथ विद्युत, वायु-संचार तथा वातानुकूलन, यांत्रिक, बेकार जल सेवाओं से समाविष्ट है। आयोजन समिति के अधिचित्र विभाग को मार्च-अप्रैल 2009 में ही संस्थापित किया गया था तथा अधिचित्र वास्तुकला अभिचित्रों तथा मुख्य विशिष्टताओं के निरूपण के चरण-1 का कार्य समाप्त कर लिया था। आयोजन समिति के अनुसार व्यक्तिगत खेल स्थलों एवं क्रियात्मक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, अधिचित्र की विभिन्न मदों हेतु खेल स्थान-वार स्थिति का मैट्रिक्स 1200 से अधिक होगा। जुलाई 2009 में, आयोजन समिति ने अपने खेल स्थलों के संबंध में भारतीय खेल प्राधिकरण को मात्रा बिल (BOQs) तथा व्यक्तिगत खेल स्थलों हेतु अधिचित्र आवश्यकताएं प्रेषित की।

प्रकरण 5 एस.पी.एम. तैराकी परिसर का निर्माण अत्यधिक विलम्बित

सूचित की गई समाप्ति	– जून 2009 तक 42%
के.लो.नि.वि. की समयसीमा	– 16 जून 2009, 7 कार्यसीमाओं में से केवल 2 ही तिथि तक प्राप्त किया
आयोजन समिति की समयसीमा	– अक्तूबर 2009

छत को समय से पूरा न कर पाने के कारण, इस तरणताल को 1982 एशियाई खेलों के जल क्रीड़ा हेतु खाली स्तम्भों सहित अपूर्ण स्थिति में प्रयोग किया गया था। राष्ट्रमण्डल खेल-2010 हेतु विद्यमान संरचना को गिरा कर परिसर का पूरी तरह नवीकरण किया जाना था। तथापि, जून 2009 (समाप्ति हेतु ठेकेदार की समयसीमा) तक परियोजना की प्रगति खराब है क्योंकि 7 कार्यसीमाओं में से केवल 2 को ही समाप्त किया गया है। इस परियोजना के उच्च जोखिम परिच्छेदिका के दृष्टांत में, हमने अप्रैल से जुलाई 2009 के बीच कुछ प्रत्यक्ष निरीक्षण किए। हमारे 16 जुलाई 2009 के नवीनतम निरीक्षण ने प्रकट किया कि जबकि 32 शीयर वाल्स का निर्माण कर लिया गया था फिर भी 32 दबाव रिंगों (जो छत को सहारा देंगे) में से केवल 6 को पूरा किया गया था तथा तीन रिंग निर्माणाधीन थे। आंतरिक कार्य जैसे बैठने की व्यवस्था, डाइविंग पूल, वार्म-अप पूल आदि सहित केबल डालने, स्तम्भ निर्धारित करने, तथा द्वितीयक संरचनाओं से संबंधित गतिविधियाँ अभी भी पूरी की जानी थीं। इसके अतिरिक्त, विद्युत कार्य, वातानुकूलन तथा स्वच्छता एवं सुंदरीकरण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुए थे।

जबकि समाप्ति हेतु वास्तविक समयसीमा अक्तूबर 2009 थी फिर भी जून 2009 की वेब मॉनीटरिंग रिपोर्ट ने जनवरी 2010 के अंत की समयसीमा को दर्शाया, हमारी दृष्टि से दोनों ही तिथियाँ अव्यवहारिक हैं। निकास सम्मेलन के दौरान, भारतीय खेल प्राधिकरण ने सूचित किया कि खेल स्थल को अप्रैल 2010 में परीक्षण खेलों से पहले फरवरी/मार्च 2010 तक पूरा कर लिया जाएगा। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने भी अपने प्रत्युत्तर में सूचित किया कि अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण हेतु कदम उठाए जा चुके थे तथा प्री-इंजीनियर्ड संरचना होने से वे समयसीमा के पूर्ण नियंत्रण में थे। तथापि, हमारे विचार में, अब तक कार्य की खराब प्रगति को ध्यान में रखते हुए, फरवरी/मार्च 2010 भी चुनौतीपूर्ण समय सीमा होगी।

16.07.09 को स्थिति

एस.पी.एम. परिसर का प्रतिमान

हमने पाया किः

- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने विस्तृत अनुमानों तथा तकनीकी संस्वीकृति तथा आयोजन समिति-स्वीकृत विस्तृत अभिचित्रों के बिना प्रैस नोटिस जारी किया।
- परियोजना को जनवरी 2008 में प्रारम्भ किया जाना था; तथापि, विद्यमान संरचना को तोड़ने का कार्य ही अप्रैल 2009 तक चल रहा था। प्रत्युत्तर में, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया कि कोई वास्तविक संरचनात्मक अभिचित्र उपलब्ध[12] नहीं थे; इसलिए, संरचना को तोड़ने के निर्णय से पहले प्रतिष्ठान का वास्तविक सत्यापन किया गया था।
- कार्य अभिचित्रों की अनुपलब्धता एवं स्वीकृत संरचनात्मक डिजाइनों, बाधा मुक्त स्थान की कमी, अनुमतियों/अनापत्ति प्रमाणपत्रों में विलम्ब जैसे कारणों तथा ठेकेदारों द्वारा विलम्ब के कारण रूका हुआ था। अनुमति हेतु आवेदन के प्रत्युत्तर में दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा माँगा गया स्पष्टीकरण भी छः महीनों से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सलाहकार के पास उपेक्षित पड़ा था। प्रत्युत्तर में, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया कि छः लेन वार्म-अप पूल (विद्यमान चार लेन पूल से) हेतु विशिष्टताओं में बदलाव था जिसके परिणामस्वरूप डिजाइनों के बदलाव में हुआ। पर्यावरणीय अनुमति भी अपेक्षित थी क्योंकि क्षेत्र रिज के सामीप्य था।
- तृतीय दल गुणवत्ता आश्वासन सलाहकार की नियुक्ति कार्य के प्रारम्भ के नौ महीने के पश्चात की गई थी।

ड्राफ्ट प्रतिवेदन (जिसमें परियोजना का उच्च जोखिम के रूप में निर्धारण किया), को जारी करने के बाद, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 93 प्रतिशत (मई 2009) से 46 प्रतिशत (जून 2009) तक नियोजित परियोजना प्रगति को अधोगामी संशोधित किया।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रत्युत्तर के साथ संलग्न दस्तावेजों से पता चलता है कि यह अधिचित्र मदें खेल स्थल स्वामियों द्वारा ड्राई/वेट लीज पर प्रदान की जानी थी तथा निकास सम्मेलन के दौरान, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने इंगित किया कि अधिचित्रों के प्रापण एवं वित्तपोषण पर आयोजन समिति एवं खेल स्थल स्वामियों का कार्य एवं उत्तरदायित्व को अभी भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ, आयोजन समिति के अभिलेखों ने दर्शाया कि वह ही अधिचित्रों के प्रापण एवं संस्थापन हेतु जिम्मेदार होगी।

निकास सम्मेलन के दौरान, आयोजन समिति ने बताया कि अधिचित्रों का प्रापण कार्य सितम्बर 2010 तक जारी रहेगा तथा वे बिल्कुल समय से चल रहे थे। यद्यपि, विभिन्न खेल स्थलों हेतु साधारण मदों का प्रापण करने में समानता एवं मितव्ययता सुनिश्चित करने हेतु एक संयुक्त निविदा प्रणाली निर्धारित की गई है फिर भी हम चिंता करते हैं कि खेलों के करीब कम समयसीमा के भीतर प्रापण एवं अन्य निर्णयों के एकत्रीकरण का परिणाम उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता के साथ समझौतों के रूप में हो सकता है।

अनुशंसा 2

- *विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सीरी फोर्ट खेल परिसर के बेसमेन्ट को नियमित करने की अनुमति दी गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस संरक्षित स्मारक की संरचनात्मक स्वस्थता का मूल्यांकन करने हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिये।*
- *अक्तूबर 2010 की समीप आती अचल निर्धारित समय सारिणी को ध्यान में रखते हुए आयोजन समिति को खेल स्थलों के अन्तिम डिजाइन एवं विस्तृत विशिष्टताओं के अनुमोदन में शीघ्रता करनी चाहिए।*
- *युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण को एस.पी.एम. जलक्रीड़ा परिसर, जो हमारे आंकलन के अनुसार उच्च जोखिम में है, को पूर्ण करने को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।*
- *युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय तथा खेल स्थल स्वामियों को अपर्याप्त निधियों, विलम्बित अनुमतियों, कार्य के क्षेत्र एवं डिजाइनों आदि को अंतिम रूप देने आदि जैसी बाधाओं को हटाकर प्राथमिकता के आधार पर सभी खेल स्थलों पर शेष कार्य की समाप्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।*
- *खेल स्थल स्वामियों को कार्यान्वयन ऐजेन्सियों द्वारा कार्य निष्पादन को ध्यान से मॉनीटर करना चाहिए।*
- *दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं जामिया मिलिया इस्लामिया को आवश्यक अनुमतियां जैसे कि अग्निशमन, जल, सीवरेज इत्यादि की प्राप्ति सुनिश्चित करनी चाहिये।*
- *हालांकि निकास सम्मेलन के दौरान युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृतियों की प्राप्ति हेतु कानून के अनुसार, प्रत्यक्ष रूप में इनकी कोई भूमिका नहीं है, हम मानते हैं कि चूँकि स्थलों का समय पर पूरा होना संकट में है, मंत्रालय को इस विषय में आवश्यक नेतृत्व देना चाहिए।*

अध्याय 5 खेल गाँव

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर विकसित किए जा रहे खेल गाँव में :

- खिलाड़ियों तथा अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर;
- अस्थाई अधिचित्र (overlay) द्वारा विकसित अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र;
- प्रशिक्षण क्षेत्र तथा इंडोर हॉल; तथा

एक खेल गांव प्रचालन तथा सहायता क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट मॉल तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित होंगे

विभिन्न समयों पर खेल गाँव के कार्य पूर्ण करने हेतु समयसूची की तुलना से निम्न स्थिति उजागर होती है-

खेल गाँव समय सूची में बदलाव

	अवसंरचना समन्वय समिति (मई 2006)	दिल्ली विकास प्राधिकरण का उत्तर (जुलाई 2009)
कार्य प्रदान करना	अप्रैल 2007	दिसम्बर 2007
कार्य का पूर्ण होना	दिसम्बर 2009	मार्च 2010
खेल गाँव आयोजन समिति को हस्तान्तरित करना	—	जून 2010
अधिचित्र कार्य तथा फिनिशिंग	अगस्त 2010	—

हमने खेल गाँव परियोजना की प्रगति को मूल समय सूची के संदर्भ में काफी विलम्बित पाया। (बॉक्स 6 देखें)

बॉक्स 6

खेल गाँव परियोजना की प्रगति
(जुलाई 2009)

मद	समाप्ति प्रतिशत
आवासीय परिसर	55
प्रशिक्षण स्थल	39
आंतरिक विकास कार्य	60
प्रवेश सड़क	52
अस्थायी संरचनाए	कार्य अभी भी सौंपा नहीं गया है।

खेल गाँव परियोजना हेतु मुख्य अड़चने बॉक्स 7 में दर्शाई गई हैं। हमने निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति को भी धीमा पायाः

- प्रवेश सड़क हेतु विकास कार्य तथा निर्माण कार्य अप्रैल 2009 की नियत समाप्ति तिथि तक केवल क्रमशः 40 प्रतिशत तथा 37 प्रतिशत हुआ था। नियत कार्य सीमाओं को धीमी प्रगति के कारण संशोधित किया गया किन्तु संशोधित कार्य सीमाओं का भी पालन नहीं हो सका।
- प्रशिक्षण स्थल के मामले में, 30 प्रतिशत कार्य किया गया था यद्यपि अवधि का दो तिहाई समय पहले ही बीत चुका था।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गुणवत्ता आश्वासन हेतु तृतीय दल की नियुक्ति, मई 2008 में जाकर ही की जब तक निष्पादन अवधि का 25 प्रतिशत समय बीत चुका था।

खिलाड़ियों के प्रवेश हेतु प्रवेश सड़क के निर्माण की प्रगति

इसके अतिरिक्त, हमने कार्य निष्पादन में प्रक्रियात्मक विलम्बों के भी कुछ उदाहरण पाए, जैसा कि नीचे प्रस्तुत हैः

- यद्यपि क्रीड़ा स्थल ब्यौरों की प्राप्ति दिसम्बर 2006 में हुई फिर भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फरवरी 2007 में ही तकनीकी सलाहकार नियुक्त किए।
- परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्रों ने 17 महीनों तक का लम्बा समय लिया; इसके परिणामस्वरूप निष्पादन समय कम बचा।
- तरणताल, अभ्यास हाल, व्यायामशाला, दौड़ ट्रैक तथा आंतरिक विकास (सड़कों एवं भूमिगत पार पथ) हेतु निर्माण कार्यों को एक वर्ष के विलम्ब के पश्चात अप्रैल 2008 में ही ठेकेदारों को सौंपा जा सका था।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बोलीकर्ताओं की सूची को अंतिम रूप देने तथा आर.एफ.पी. (RFP) तैयार करने में विलम्ब के कारण, आवासीय परिसर के विकास हेतु निजी साझेदार का चयन करने में 10 महीने लिए।

खेल गाँव में विकास कार्य

खेल गाँव के समीप फ्लाईओवर का निर्माण

प्रत्युत्तर में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया किः

- खेल गाँव परियोजना महत्वपूर्ण रूप से विलम्बित नहीं हुई थी तथा जून 2010 की अनुबंधित समयसीमा के भीतर आयोजन समिति को सभी सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी।
- आवासीय परियोजना हेतु कार्यसीमाओं को, अक्षरधाम मंदिर प्राधिकारियों, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा स्थल पर आपत्ति प्रकट करने, मुकदमेबाजी, कमरों/फ्लैटों की आकृति तथा आवश्यकताओं के कारण संशोधित करना पड़ा था।

आवासीय परियोजना निजी-सार्वजनिक साझेदारी (PPP) पर आधारित एक अद्वितीय परियोजना थी तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए कई प्रक्रियाएं नई थीं।

बॉक्स
7

खेल गाँव परियोजना हेतु मुख्य अड़चने

मामला	कठिनाई	स्थिति
स्थान चयन तथा शोर रोकने की व्यवस्था	वर्तमान निर्माण स्थल के पास रेलवे लाईन (हावड़ा की तरफ जाने वाली) होने के कारण शोर आता है। पहले एक अन्य वैकल्पिक स्थल पर विचार हुआ था पर अनुमतियों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों के मद्देनजर उसे अस्वीकृत करना पड़ा। एक समझौते के रूप में, जनवरी 2006 में यह सहमति हुई थी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, ध्वनि स्तर को कम करने हेतु अस्थायी ध्वनि रोकने वाले उपकरण लगायेगा तथा रेलवे को, खेल अवधि के दौरान हौन्किंग (Honking) को कम करने हेतु, ट्रेन चालकों को निर्देश देने के लिए अनुरोध किया जाएगा।	रेलवे ने दिसम्बर 2008 में जाकर ही शोर बन्द करने के लिए लगाये जा रहे उपकरणों हेतु डिजाईन स्वीकृत किए। कार्य प्रारम्भ करने हेतु रेलवे की अनुमति अभी भी प्रदान नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, ध्वनि स्तर को केवल कम ही किया जाएगा किन्तु आवासीय क्षेत्र को एक पूर्णतया "शांत क्षेत्र" सुनिश्चित करना सम्भव नहीं होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निकास सम्मेलन के दौरान अपने लिखित उत्तर में बताया कि स्थाई ध्वनि रोक लगाया जाना है। इसके लिए राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला से अनुमोदन प्राप्त हो चुका था तथा रेलवे के साथ अंतिम डिजाइनों पर विचार-विमर्श किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, ये ध्वनि रोक लगाने का कार्य 3 से 4 माह का समय लेगा तथा खेल अवधि के समीप ही इसकी आवश्यकता होगी।
पर्यावरण मामलों से सम्बन्धित मुकदमा	पर्यावरण के आधार पर निर्माण स्थल के चयन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) अक्तूबर 2007 में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। नवम्बर 2008 में, उच्च न्यायालय ने इस मामले पर एक समिति की नियुक्ति का आदेश दिया।	उच्चतम न्यायालय ने दिसम्बर 2008 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी थीं हालांकि मुकदमा अभी भी लम्बित था।
प्रवेश हेतु प्रस्तावित सड़कें (अगले पृष्ठ पर नक्शा देखें)	मीडिया व अतिविशिष्ट व्यक्तियों (VIP) तथा सामान व कार्मिकों के लिए नोएडा लिंक सड़क से दो अलग प्रवेश व निकास मार्गों की योजना थी। यह प्रस्तावित सड़कें, एक 15 मीटर चौड़ी भूमि पट्टी से गुजरती है जो उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर हैं और उनसे अनुमति नहीं मिल पायी है।	प्रत्युत्तर में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया कि भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (LAC) को भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव जुलाई 2009 में भेजा गया था।
आवासी स्थान हेतु निजी साझेदार	आवासीय स्थान (1168 फ्लैट) के निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सितम्बर 2007 में एमार- एमजीएफ (EMMAR-MGF) के साथ एक लोक निजी साझेदारी (PPP)[10] किया। कार्य लक्ष्यों में संशोधन एवं समयसीमायें बढ़ाने के पश्चात भी निजी भागीदार कोई भी कार्यसीमा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। दिसम्बर 2008 में उसने वैश्विक मंदी के कारण वित्त की परेशानियों का हवाला देते हुए कार्य धीमा कर दिया।	मई 2009 में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 766 करोड़ रू के बेल-आउट पैकेज[11] का ऐलान किया जिसके अंतर्गत इसने कुल अपार्टमेंटों के दिल्ली विकास प्राधिकरण के मौजूदा एक तिहाई भाग के अतिरिक्त परियोजना विकासकों के भाग में से 333 अतिरिक्त फ्लैटों को खरीदने का निर्णय लिया।

[10] PPP: लोक निजी साझेदारी

[11] PPP की प्रभावकारिता तथा बेल-आउट पैकेज के औचित्य को अनुवर्ती लेखापरीक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा।

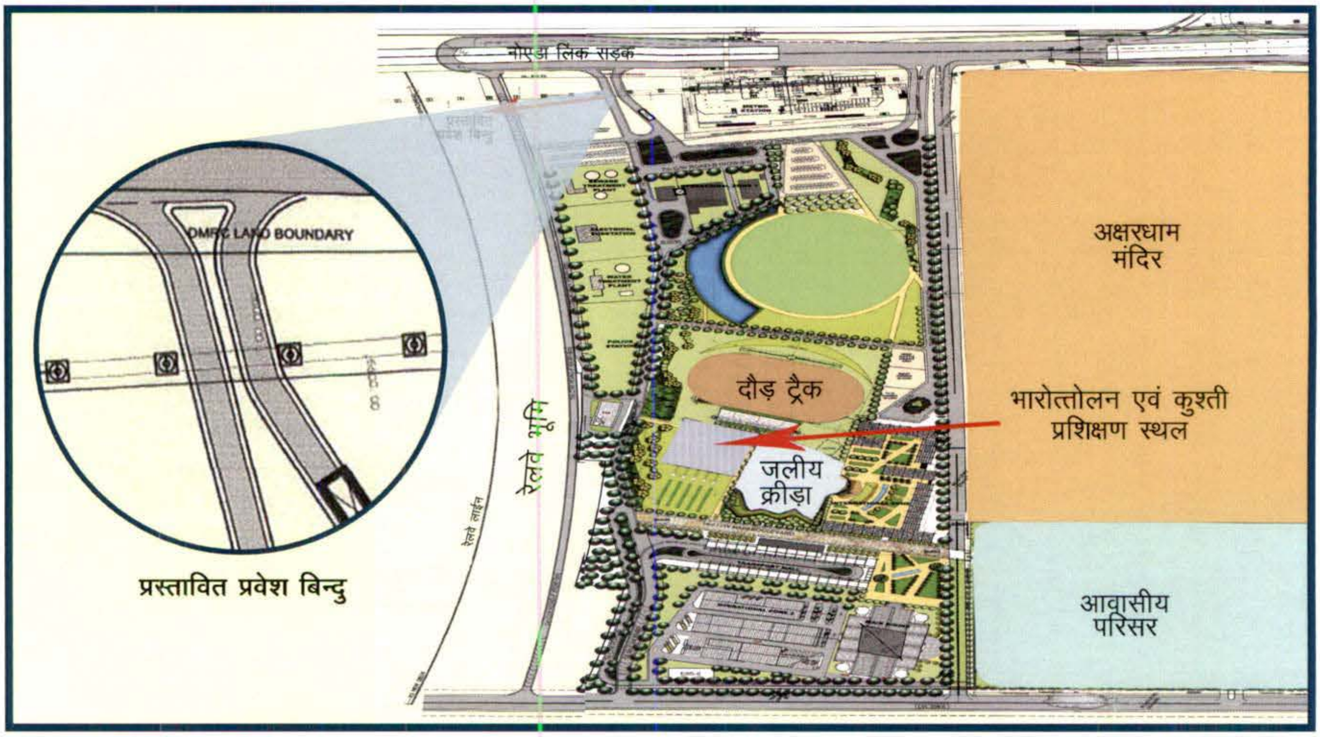

प्रस्तावित प्रवेश सड़कों को दर्शाने वाला खेल गाँव का नक्शा (बॉक्स-7 देखें)

- गाँव परियोजना हेतु सड़क कार्य पर जानबूझ कर ध्यान केन्द्रित नहीं किया जा रहा था क्योंकि बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने पर ही अभी प्रयास किए जा रहे थे जो पूरे जोरों पर चल रही थीं। खेलों के दौरान सभी सड़कों को अच्छी स्थिति में रखना सुनिश्चित करने के लिए उपरी सतह को तैयार करने में विलम्ब करने का निर्णय जानबूझकर लिया गया था। खेल गाँव में उपयुक्त प्रवेश उपलब्ध था तथा सभी सड़कों का कार्य पूर्ण होने के करीब था।

कार्यकलापों का एकत्रीकरण

यद्यपि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नवीनतम समयसूची का अनुपालन किया जा रहा है, हमने पाया कि क्रियाकलापों की एक बड़ी संख्या को जून 2010 से खेलों के आरम्भ होने तक निर्धारित किया जा रहा है। इन क्रियाकलापों का एकत्रीकरण, लागत तथा गुणवत्ता के साथ बिना समझौते के कार्य समय से पूर्ण करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक तथा मॉनिटरिंग संसाधनों पर कड़ा दबाव डालेगा।

अनुशंसा 3

- *खेल गाँव परियोजना हेतु अड़चनों का सरकार द्वारा अच्छे सामंजस्य से उच्च प्राथमिकता पर निदान किया जाना चाहिए।*

अध्याय **6** # शहरी अवसंरचना परियोजनाएं

मुख्य शहरी अवसंरचना परियोजनाओं (पुल एवं फ्लाईओवर) के स्थान

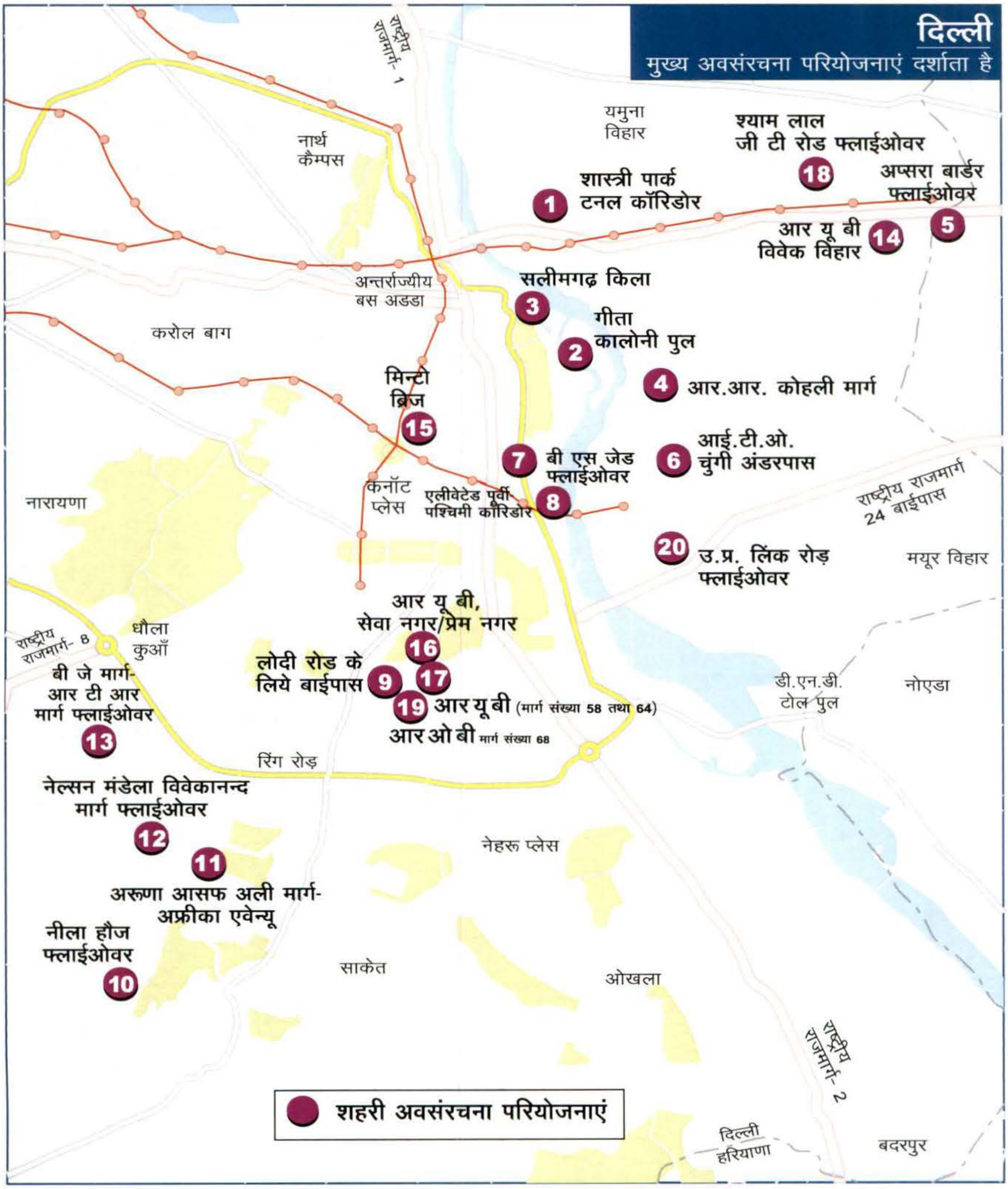

मुख्य पुल एवं फ्लाईओवर परियोजनाओं की स्थिति तथा जोखिम निर्धारण अनुलग्नक IX में विवरण दिया गया है

उच्च जोखिम
मध्यम जोखिम
न्यून जोखिम
पृथक किया

क्र.	परियोजना	प्रगति	स्थिति
1	शास्त्री पार्क सुरंग कॉरीडोर	0%	जुलाई 2009 में पृथक किया
2	गीता कालोनी पुल	100%	पूर्ण हो चुका है
3	सलीमगढ़ किला-वेलोड्रम रोड़	17%	समाप्ति की तिथि जुलाई 2010
4	आर.आर. कोहली मार्ग फ्लाईओवर	93%	समाप्ति की तिथि अप्रैल 2009
5	अप्सरा बार्डर फ्लाईओवर	20%	समाप्ति की तिथि मार्च 2010
6	आई.टी.ओ. चुंगी अण्डरपास	79%	समाप्ति की तिथि जून 2009
7	बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग फ्लाईओवर	0%	जुलाई 2009 में पृथक किया
8	एलीवेटेड पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर	0%	जुलाई 2009 में पृथक किया
9	बारापुला नाला पर एन.एच.24 बाईपास से एन.एच. 8 सुयोजित लिंक रोड	41%	समाप्ति की तिथि मार्च 2010
10	नीला हौज पर पुल	30%	समाप्ति की तिथि मार्च 2010
11	अरूणा आसफ अली मार्ग/ अफ्रीका एवेन्यू	95%	समाप्ति की तिथि फरवरी 2009
12	नेल्सन मंडेला/विवेकानन्द मार्ग	76%	समाप्ति की तिथि फरवरी 2009
13	बी.जे. मार्ग/आर.टी.आर. सड़क	85%	समाप्ति की तिथि फरवरी 2009
14	विवेक विहार रेलवे क्रासिंग पर पुल के नीचे सड़क	35%	समाप्ति की तिथि नवम्बर 2010
15	मिन्टो ब्रिज का चौड़ीकरण	15%	समाप्ति की तिथि नवम्बर 2010
16	सेवा नगर, रेल पुल के नीचे मार्ग	32%	समाप्ति की तिथि अप्रैल 2010
17	RUB से संबद्ध रोड संख्या 58 एवं 64	13%	समाप्ति की तिथि सितम्बर 2010
18	श्यामलाल कॉलेज, जी.टी. रोड फ्लाईओवर	31%	समाप्ति की तिथि सितम्बर 2010
19	सड़क संख्या 68 पर ROB	2%	समाप्ति की तिथि अप्रैल 2010
20	उत्तर प्रदेश लिंक रोड़ फ्लाईओवर	10%	समाप्ति की तिथि अप्रैल 2010

स्त्रोतः युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की वेब मॉनीटरिंग प्रणाली से 25 जून 2009 की मासिक प्रगति रिपोर्ट।

जोखिम निर्धारण मापदण्ड

हमने निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार खेल स्थलों हेतु जोखिम का निर्धारण किया है:

1. निम्न जोखिम जहाँ नियोजित समाप्ति से कमी 25 प्रतिशत से कम हैं
2. मध्यम जोखिम जहाँ कमी 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच क्रमबद्ध है
3. उच्च जोखिम जहाँ कमी 50 प्रतिशत से अधिक है

विवेक विहार फ्लाईओवर पर निर्माण

6.1 विहंगावलोकन

राष्ट्रमण्डल खेल 2010 का एक मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट अवसंरचना का सृजन करना है। यह निम्नलिखित छः मुख्य वर्गों में आते है:

- पुल एवं फ्लाईओवर;
- सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ा करना;
- सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था;
- सुन्दरीकरण एवं स्ट्रीटस्केपिंग परियोजनाएं;
- क्रीडा स्थलों के नजदीक पार्किंग; तथा
- दिल्ली में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का पुनर्नवीकरण

खेल गांव तथा जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के बीच उन्नत (elevated) कॉरिडोर का संदर्भ प्रकरण 6 में दिया गया है:

पुल एवं फ्लाईओवर परियोजनाओं को खेल परियोजना से पृथक करना

खेलों हेतु लोक निर्माण विभाग, दिल्ली राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही 35 फ्लाईओवर एवं पुल परियोजनाओं में से छः परियोजनाए मई 2009 तक आरम्भ नहीं हुई थी। इनमें से से तीन परियोजनाओं (उन्नत (elevated) पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग फ्लाईओवर तथा शास्त्री पार्क सुरंग कॉरिडोर) को हमने उनके स्थान के आधार पर खेलों के लिये महत्वपूर्ण माना है।

ड्राफ्ट प्रतिवेदन के प्रत्युत्तर में लोक निर्माण विभाग, दिल्ली राज्य सरकार ने इंगित किया कि सभी छः परियोजनाओं को राष्ट्रमण्डल खेल 2010 से पृथक कर दिया गया था। हम मानते हैं कि इन्हें अलग करना एक व्यवहारिक निर्णय है (क्योंकि इन्हें खेलों हेतु समय से पूर्ण नहीं किए जा सकता था), किन्तु इसका असर प्रतिकूल यातायात प्रबंधन के रूप में होगा जिसके निदान की आवश्यकता होगी।

प्रकरण 6 खेल गाँव तथा जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के बीच उन्नत (elevated) कॉरिडोर

लोक निर्माण विभाग (P.W.D.) (दिल्ली राज्य सरकार) ने खिलाड़ियों एवं अधिकारियों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 को जाने वाली रिंग रोड़, मथुरा रोड़ एवं अन्य सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने हेतु, खेल गाँव तथा जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के बीच एक कॉरिडार का प्रस्ताव किया।

प्रारम्भ में, इसे एक दबा हुआ (depressed) कॉरिडार के रूप में सोचा गया था परन्तु दिल्ली शहरी कला आयोग एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सुझावों के पश्चात अगस्त 2006 में इसे विस्तारित सुरंग में परिवर्तित किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रारम्भ में अनुमति प्रदान करने के पश्चात, बाद में परियोजना अस्वीकृत कर दी तथा दिल्ली शहरी कला आयोग ने परियोजना को अस्वीकृत करने में एक वर्ष से अधिक समय लिया। परियोजना को सराय काले खाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 को जोड़ते हुए बारापुल्ला नाला सहित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम तक तलस्तरीय कॉरिडार के रूप में परिवर्तित करते हुए सितम्बर 2008 में कार्य शुरू किया गया। इस कार्य को मार्च 2010 तक समाप्त होना है। यह सड़क अब रिंग रोड़ पर अन्य ट्रैफिक के साथ ही मिलेगी और ट्रैफिक भीड़भाड़ को कम करने का सोचा हुआ लक्ष्य आंशिक रूप से विफल होगा।

ड्राफ्ट प्रतिवेदन जारी करने के उपरान्त हमने पाया कि मई 2009 तक परियोजना की 12 प्रतिशत की प्रगति के प्रति परियोजना ने 41 प्रतिशत की प्रगति को प्रदर्शित किया। 1जुलाई 2009 को हमारे द्वारा भौतिक सत्यापन ने इंगित किया कि अब तक प्रथम दो स्तंभों पर ही कास्टिंग समाप्त हुई थी। लोक निर्माण विभाग, दिल्ली राज्य सरकार ने 25 जून 2009 की मासिक प्रगति प्रतिवेदन में से अन्य परियोजना " बारहपुला नाला के साथ जोड़ " को हटा दिया था; हम अवगत नहीं हैं कि क्या प्रगति दर्शाने एवं निम्न जोखिम प्रोफाइल प्रकट करने हेतु इन दोनों परियोजनाओं को जोड़ दिया गया था।

6.2 महत्वपूर्ण पुल एवं फ्लाईओवर परियोजनाएं

35 फ्लाईओवर और पुल परियोजनाओं में से,

- छः परियोजनाएं (जो कि प्रारम्भ नहीं हुई थी) खेल परियोजनाओं से पृथक कर दी गई थी;
- छः परियोजनाएं पूरी हो गई थी;
- 23 परियोजनाएं समय से पीछे चल रही थी।

विवरणों को अनुलग्नक- VIII में दर्शाया गया है।

हमने 35 पुल एवं फ्लाईओवर परियोजनाओं में से 20[12] को उनके स्थान (खेल गाँव, क्रीडा स्थलों, हवाई अड्डे आदि को जोड़ने) के आधार पर 'महत्वपूर्ण' माना है।

इन 20 परियोजनाओं में से, हमने 9 को धीमी प्रगति के कारण उच्च जोखिम वाली माना है। यदि ये परियोजनाएं खेलों हेतु समय पर पूर्ण नहीं होती हैं तो इन विलम्बों का समय से निदान न करने की दशा में सड़कों पर ट्रैफिक की अधिकता को उप इष्टतम उपायों जैसे गैर खेल ट्रैफिक में कटौती, उसका विचलन और उस पर प्रतिबन्ध करके संभालना पड़ सकता है। जिससे जन साधारण को असुविधा की आशंका भी है।

प्रत्युत्तर में, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली राज्य सरकार ने इंगित किया कि तीन परियोजनाएं (RUB 58-64, श्याम लाल कालेज फ्लाईओवर, तथा उत्तर प्रदेश लिंक रोड़) के लिये खेलों से पहले पूरा ना होने का जोखिम है ऐसी मुकदमेबाजी तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि के अहस्तांतरण के कारण था।

तथापि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि के अहस्तांतरण के जोखिम को कम करने के लिए अब भूमि अधिग्रहण प्रावधान खोजे जा रहे हैं। दिल्ली नगर पालिका परिषद ने बताया कि उनकी परियोजनाओं की सेवाओं को हटाने, पेड़ काटने, ट्रैफिक विपथन, भूमि अधिग्रहण एवं अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया में अनेक एजेंसियों के होने के साथ-साथ, विभिन्न अनिवार्य अनुमतियों के कारण प्रारम्भिक विलम्ब हुए थे।

अन्य शहरी परियोजनाओं की स्थिति का सार बॉक्स-8 में है।

अनुशंसा 4

- *यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं हेतु कम से कम, संशोधित समय सीमा का अनुपालन किया जाये। इस उद्देश्य हेतु ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की आवश्यकता है।*
- *विभिन्न एजेन्सियों से लम्बित अनुमतियों/अनापत्ति प्रमाण पत्रों की समस्या को उच्चतम स्तर पर उच्च प्राथमिकता पर हल किया जाना चाहिए।*
- *बाधा रहित निर्माण स्थल की अनुपलब्धता भी एक मुख्य अड़चन हैं तथा भूमि अधिग्रहण के मामलों की भी शीघ्रता से निदान करने की आवश्यकता है।*

[12] इसमें तीन परियोजनायें शामिल हैं जिन्हें खेलों से पृथक कर दिया गया है।

बॉक्स 8

शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की स्थिति

श्रेणी	स्थिति
मुख्य सड़कों को चौड़ा करना तथा सुदृढ़ीकरण	लोक निर्माण विभाग (P.W.D.) मार्च 2009 की लक्षित समाप्ति तिथि तक दो तिहाई कार्य ही समाप्त कर सका। दिल्ली नगर निगम (M.C.D.) की अधिकतर सड़कों पर कार्य, स्वीकृति एवं ठेका सौंपने में विलम्ब के कारण पीछे चल रहे हैं।
सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था में सुधारीकरण	दिल्ली राज्य सरकार की अक्तूबर 2008 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इसके बावजूद, एक भी एजेन्सी- दिल्ली नगर निगम (M.C.D.), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (N.D.M.C.), तथा लोक निर्माण विभाग (P.W.D.) मई 2009 तक कार्य पूरा नहीं कर सकी। दिल्ली नगर निगम (M.C.D.) का, चरण-I हेतु का कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण था जबकि चरण-II हेतु का निविदा कार्य अभी भी चल रहा था। लोक निर्माण विभाग (P.W.D.) की सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था की कुल प्रगति 55 प्रतिशत थी।
सुन्दरीकरण एवं स्ट्रीटस्केपिंग परियोजनाएं	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (N.D.M.C.) ने दिसम्बर तथा मार्च 2008 तक समाप्ति समय सीमा के साथ क्रमशः कनाट प्लेस तथा गोल मार्किट के उन्नयन हेतु परियोजनाएं निर्धारित की थी। कनाट प्लेस परियोजना को दिल्ली शहरी कला आयोग से नवम्बर 2008, में अंतिम अनुमति प्राप्त हुई तथा इनर एवं आउटर सर्कल ब्लाकों में बाहरी मरम्मत आरम्भ की गई है। गोल मार्किट पुनर्विकास परियोजना निविदाधीन थी तथा उस पर मुकदमेबाजी भी चल रही है। दिल्ली नगर निगम ने बागवानी कार्यकलापों के माध्यम से सड़कों को सुन्दर बनाने का प्रस्ताव रखा था। तथापि यह अभी आरम्भ नहीं हुआ था क्योंकि सड़क परियोजनाएं अभी पूरी नहीं हुई थीं। सात क्रीड़ा स्थलों के लिए, लोक निर्माण विभाग ने क्रीड़ा स्थलों के समीप सड़कों के स्ट्रीटस्केपिंग की योजना तैयार की थी; इन कार्यों के लिए लागत अनुमान "स्वीकृति स्तर" पर है।
पार्किंग परियोजनाएं	जून-जुलाई 2008 में, दो क्रीडा स्थलों: जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम तथा दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर. के. पुरम के बाहर दो पार्किंग परियोजनाएं निर्धारित की गई थी। प्रथम परियोजना समयानुसार चल रही थी पर द्वितीय परियोजना हेतु निविदा कार्य फरवरी 2009 में ही जाकर प्रारम्भ हुआ तथा कार्य 31 जुलाई 2009 तक सौंपा जाना था।
केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का पुनर्नवीकरण	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 46 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का 20 एवं 26 परियोजनाओं के दो चरणों में संरक्षण एवं बचाव का कार्य प्रारम्भ किया जिन्हें क्रमशः नवम्बर 2008 तथा जून 2009 तक पूरा किया जाना था। मार्च 2009 तक, परियोजनाओं के प्रथम चरण हेतु निविदा कार्य भी पूरा नहीं हुआ था तथा द्वितीय चरण पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ था। अन्य परियोजनाओं के विपरीत, इन पुनर्नवीकरण परियोजनाओं का कार्य एक तकनीकी एवं धीमी प्रक्रिया है जिसके निष्पादन समय में कमी नहीं की जा सकती है।

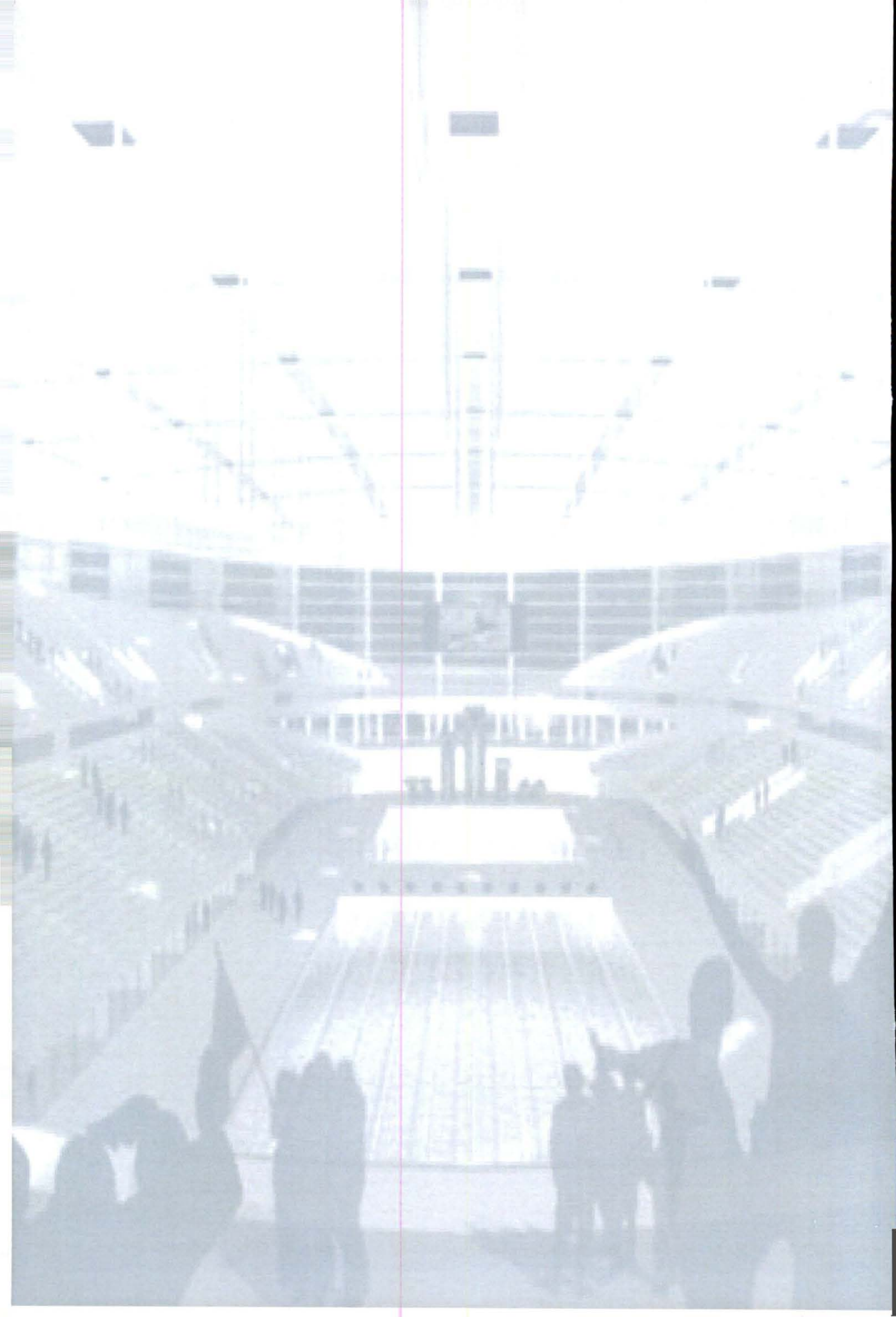

अध्याय 7 अतिथियों एव पर्यटकों हेतु आवास

चार्ट-3 : मई 2009 तक आवास की स्थिति

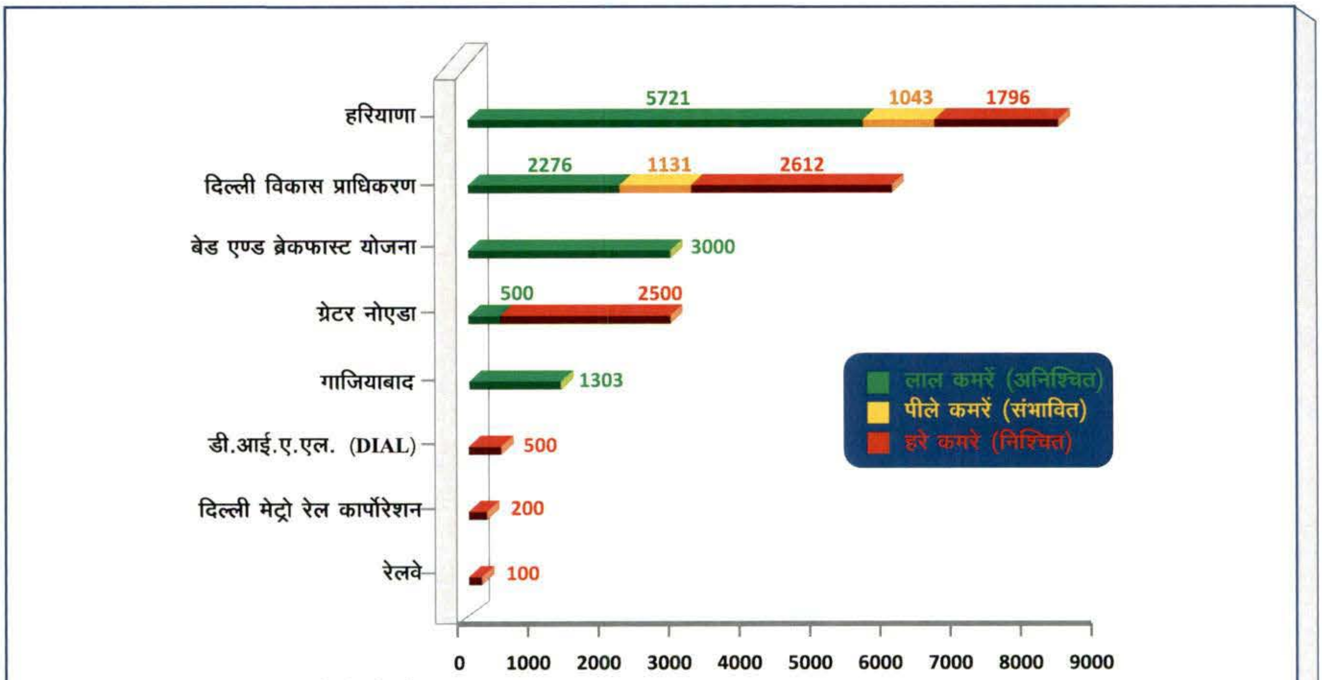

स्त्रोतः युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय वेब मॉनीटरिंग रिपोर्ट

बिड (Bid) दस्तावेज में खेलों को देखने के लिए आनेवाले दर्शकों की संख्या 30,000 तक अनुमानित की गई थी लेकिन पर्यटन मंत्रालय (MoT), भारत सरकार ने बाहर से आने वाले दर्शकों की आवासीय आवश्यकता का निर्धारण करते हुए यह संख्या 1,00,000 पर अनुमानित की, जिसके लिए लगभग 40,000 कमरों की आवश्यकता होगी। अतः दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पहले से उपलब्ध होटलों के 11,000 कमरों को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों एवं आगंतुकों हेतु लगभग 30,000 कमरों की अतिरिक्त आवश्यकता को प्रक्षेपित किया गया था।

होटल आवास को मॉनीटर करने के लिए कार्यबल

पर्यटन मंत्रालय ने अतिरिक्त होटल आवास के सर्जन के लिए विभिन्न एजेन्सियों की प्रगति को मॉनीटर करने हेतु एक कार्यबल बनाया है। प्रगति की समीक्षा करने के लिए तथा विभिन्न स्त्रोतों से कमरों की उपलब्धता की स्थिति को अद्यतन करने के लिए, नियमित बैठकें की गई हैं। हम पर्यटन मंत्रालय की मॉनीटर करने की प्रक्रिया के साथ मोटे तौर पर सन्तुष्ट हैं।

हमने पाया कि निश्चित एवं संभावित कमरों की कुल प्रक्षेपित संख्या 14,274 (अक्तूबर 2008) में घटकर 11,974 हो गई थी (मई 2009) (चार्ट 3 देखें)। कुल 185 होटल निर्माण स्थलों में से 63 स्थलों पर कार्य अभी भी प्रारम्भ[13] नहीं हुआ था। पर्यटन मंत्रालय ने प्रत्युत्तर में बताया कि कमरे की स्थिति, होटल परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर प्रत्येक कार्यबल बैठक में बदल जाती थी।

"लाल कमरों" (अनिश्चित) का सबसे बड़ा स्त्रोत दिल्ली विकास प्राधिकरण है। हमने पाया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (जनवरी 2006 में यह जिम्मेदारी सौंपे जाने से पहले ही) 6 निर्माण स्थलों पर 650 कमरों के लिए नीलामी कर चुकी थी तथा अन्य 33 निर्माण स्थलों पर 5369 कमरों के लिए नीलामी मार्च 2008 में की गई। हमारा विश्लेषण बताता था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनिश्चित कमरों के मुख्य कारण निम्नलिखित हैः-

- होटल मालिकों द्वारा अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब के साथ-साथ स्थानीय एजेन्सियों को भवन योजना भेजने में विलम्ब थे। मई 2009 तक, 33 मामलों में से केवल 17 में भवन योजना स्वीकृत हो चुकी थी, मुख्यतः दिल्ली शहरी कला आयोग (DUAC) व दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) से स्वीकृतियां लम्बित थी।

- वर्तमान में 33 निर्माण स्थलों में से केवल 9 निर्माण स्थल (जिससे 1741 कमरे बनेंगे) ही निश्चित रूप से खेलों से पहले निर्मित हो सकेंगे, इनके अतिरिक्त पहले के बैच के निर्माण स्थलों में से 6 निर्माण स्थलों में से 535 निश्चित कमरे प्राप्त होंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रत्युत्तर में बताया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि होटल कमरे जल्दी पूरे किये गये थे, भूखण्ड स्वामियों के साथ बैठकें करके और अनुमति को सुलभ बनाते हुए, पूर्व कार्यात्मक कार्यवाही कर चुके थे। 16 परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनुमति प्राप्त की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त, होटल मालिकों द्वारा भवन योजनाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब, वर्तमान अर्थव्यवस्था की मन्दगति तथा वित्तपोषण में कठिनाईयों को आरोप्य था।

पर्यटन मंत्रालय के अनुसार ग्रेटर नौएडा के 2500 कमरे भवन निर्माण करने वालों की निविदा (Bid) के अभाव में संभव नहीं हो सके; रेलवे, दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन तथा DIAL से प्रक्षेपित कमरे भी संभव हो पाना मुश्किल होगा। तथापि, पर्यटन मंत्रालय का मूल्यांकन इंगित करता था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 1492 अनुमोदित 'बेड एवं ब्रेकफास्ट' ईकाइयाँ ही उपलब्ध थीं।

आवासीय स्थान हेतु अन्य विकल्पों के संबंध में,

- मंत्रियों के समूह ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के 3,179 मकानों के साथ जसोला एवं वसंत कुंज में निर्मित 5,500 कमरों को सस्ते अतिथि आवास स्थान के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया; इन मकानों की साज-सज्जा एवं संचालन भारतीय पर्यटन विकास निगम (ITDC) द्वारा किया जाएगा। हमने पाया कि यह भी बाधा मुक्त नहीं थे क्योंकि खेल समय अवधि में इनके वाणिज्यिक उपयोग हेतु अनुमति प्रतीक्षित थी तथा इनकी प्रस्तावित प्रवेश सड़कों के स्थान पर लम्बित न्यायिक विवाद, अनियमित झुग्गियों, विद्युत पाइलॉन आदि जैसी बाधाएं थीं।

- 2009 के सर्वेक्षण के आधार पर, लाइसेंस प्राप्त विश्रामगृहों में 11,083 कमरों पर सस्ते अतिथि गृहों के लिए विचार किया जाएगा।

- ढूँढे जा रहे अन्य विकल्पों में विश्वविद्यालय छात्रावास तथा मोटर-गृह सम्मिलित हैं जबकि आयोजन समिति, रक्षा विभाग के खाली स्थलों पर तंबूदार अतिथि आवास स्थान के लिए विचार कर रही थीं। हमने पाया कि रक्षा विभाग से अनुमति अभी भी प्रतीक्षित थीं। इसके अतिरिक्त, कैम्प एवं कारवाँ स्थलों हेतु क्षेत्र सर्वेक्षण भी नहीं किया गया था तथा बिजली, पानी एवं बुनियादी सुविधाओं हेतु विकास कार्य की अभी योजना भी नहीं बनी थीं। पर्यटन मंत्रालय ने बताया कि कैम्प/कारवां स्थलों से आवास का अभी ध्यान नहीं रखा गया था और जब यह उपलब्ध होगा तो बोनस के रूप में मिलेगा।

- विश्वविद्यालय छात्रावासों को बेहतर करने के सम्बन्ध में कार्य अभी विचार के स्तर पर ही था।

अनुशंसा 5

- *"निश्चित" रूप में प्रक्षेपित अधिकांश कमरे दिल्ली से बाहर हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। सड़क एवं शहरी बुनियादी ढॉचे की परियोजनाओं को समय से पूरा करने सहित इन स्थानों से आगंतुकों के सुगम आवागमन को सुविधाजनक बनाने हेतु उपायों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।*

- *"निश्चित" एवं "संभावित" कमरों में अपेक्षित कमी को ध्यान में रखते हुए नियत समय सीमाओं के भीतर, व्यवहार्यता को देखते हुए, अतिथि आवास स्थान हेतु अन्य विकल्पों तथा विकास योजनाओं पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।*

[13] तथापि, इसके प्रत्युत्तर में, पर्यटन मंत्रालय ने 63 निश्चित श्रेणी, 21 'संभावित' स्थल तथा 31 'अनिश्चित' स्थल, कुल 115 होटल स्थलों को सूचित किया।

अध्याय 8 मीडिया एवं प्रसारण की स्थिति

खेलों की सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुख्य प्रसारण वितरण एवं उपयुक्त कर्मचारियों तथा आवश्यक उपकरणों युक्त उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाओं का प्रावधान जरूरी है। मीडिया एवं प्रसारण सम्बन्धी गतिविधियों की प्रगति के विषय में हमारा मूल्यांकन निम्न स्थिति दर्शाता है।

बॉक्स 9

मुख्य मीडिया एवं प्रसारण मुद्दे

मुद्दे	स्थिति/अभ्युक्तियाँ
मुख्य प्रसारण अनुबन्ध	आयोजन समिति ने, प्रसार भारती (PB) के एक घटक दूरदर्शन (DD) को खेलों के प्रसारणकर्ता के रूप में मार्च 2007 में औपचारिक रूप से सूचना दी जबकि 2003 के बोली (Bid) दस्तावेज में इसे मुख्य प्रसारणकर्ता के रूप में दर्शाया गया था। भूमिका, उत्तरदायित्वों एवं कार्य की अन्य विशिष्टताओं को अंतिम रूप देने हेतु आयोजन समिति तथा दूरदर्शन के बीच मुख्य प्रसारण अनुबन्ध पर हस्ताक्षर अन्ततः मई 2009 में हुआ।
विशेष दलों का गठन	सूचना एवं प्रसारण मंत्री के नवम्बर 2006 के अनुदेशों के अनुसार, दूरदर्शन/प्रसार भारती को अभी तक मुख्य प्रसारण प्रबंधन दल, अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण प्रबंधन दल, प्रसारण स्थल संचालन एवं सेवाओं हेतु दलों का गठन करना था। प्रसार भारती ने बताया (जुलाई 2009) की इन दलों का गठन अब कर दिया गया है।
प्रस्तुति एवं प्रसारण तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण केन्द्र की तैयारी हेतु संविदा	खेलों को एच.डी.टी.वी.(HDTV) फॉरमेट में प्रस्तुत एवं प्रसारित किया जाना है। क्योंकि दूरदर्शन के पास यह क्षमता नहीं है इसलिए नवम्बर 2007 में अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण केन्द्र (IBC) के निर्माण के साथ-साथ प्रस्तुति एवं प्रसारण को भी बाह्य एजेंसियों से कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए संविदाओं को अगस्त 2008 तक सौंपा जाना था, किन्तु अभी तक इन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। निकास सम्मेलन के दौरान प्रसार भारती ने पुष्टि की कि निर्माण एवं प्रदर्शन के लिए RFP चुनिंदा संस्थाओं (Entities) को जारी किया गया था और संविदाएं 17 सितम्बर 2009 तक, उसी माह में आयोजित विश्व प्रसारणकर्ता सम्मेलन (WBM) के समय प्रदान कर दी जाएंगी। अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण केन्द्र के संबंध में RFP और मूल्यांकन को अक्तूबर 2009 तक अन्तिम रूप दिया जाएगा।
अधिकार धारकों हेतु रेट कार्ड	अधिकार धारक प्रसारणकर्ताओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण केन्द्र पर जगह एवं सुविधाओं हेतु रेट कार्ड, जिसे अक्तूबर 2008 तक अंतिम रूप दिया जाना था, अभी तक अंतिम रूप नहीं ले सका है। निकास सम्मेलन के दौरान, प्रसार भारती ने बताया कि मूल सुविधाओं के लिए रेट कार्ड को अन्तिम रूप दिया गया था परन्तु इसके कुछ तत्व सितम्बर 2009 में केवल विश्व प्रसारणकर्ता सम्मेलन (WBM) के बाद शामिल किए जाएंगे।
खेल-पूर्व एच.डी.टी.वी. कार्यक्रम	एच.डी.टी.वी. फॉरमैट में खेल पूर्व कार्यक्रम को तीन चरणों में, जिसमें चरण-I (जनवरी 2009 से आरम्भ) के दौरान अवसंरचना निर्माण स्तर सहित खेल के साथ जनता एवं युवाओं को जोड़ने का विचार किया गया था। एच.डी.टी.वी. फॉरमैट में प्रस्तुति व प्रसारण हेतु इन-हाउस क्षमता न होने के कारण इस विषय में कोई प्रगति नहीं हुई थी। अभी तक खेल पूर्व आयोजन, वर्तमान फॉरमैट में ही सम्मिलित किये जाते रहे हैं। निकास सम्मेलन के दौरान, प्रसार भारती ने पुष्टि की कि यह निर्माण और प्रस्तुति के लिए प्रबंधक को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही होगा और यह क्वीन बेटन रिले की प्रस्तुति के अतिरिक्त मासिक कैपसूल सहित अक्तूबर 2009 से आरम्भ किया जाएगा। अतः इसका यह अर्थ हुआ कि खेल पूर्व कार्यक्रम का चरण-I, वास्तविक रूप से अन्य चरणों के साथ मिल जाएगा।

मुद्दे	स्थिति/अभ्युक्तियाँ
एच.डी.टी.वी. मास्टर रिकॉर्डिंग हेतु फॉरमैट	फरवरी 2009 में प्रसार भारती के पूछने पर आयोजन समिति ने मास्टर रिकार्डिंग टेपों हेतु एच.डी. कैम-एस.आर. (HDCAM-SR) फॉरमैट का सुझाव दिया था। हालांकि प्रसार भारती ने अधिक लागत के कारण इस फॉरमैट को अस्वीकार कर दिया था। निकास सम्मेलन के दौरान, प्रसार भारती ने इस निर्णय की पुष्टि की कि मास्टर रिकार्डिंग एच.डी. कैम (HDCAM) फॉरमेट में की जायेगी।
अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण केन्द्र (IBC)	आई.बी.सी. को प्रगति मैदान में स्थापित किया जाना है। प्रसार भारती ने जनवरी 2010 में आई.टी.पी.ओ.[14] से नियत स्थान सौंपने का अनुरोध किया ताकि अगस्त 2010 तक आई.बी.सी. में अधिकार धारकों को उनका स्थान सौंपा जा सके। आई.टी.पी.ओ. ने ऐसा करने से इंकार कर दिया और बताया कि वह इस स्थान को अप्रैल 2010 तक ही दे पायेंगे। निकास सम्मेलन के दौरान प्रसार भारती ने पुष्टि की कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण के लिए स्थान अप्रैल 2010 में ही उपलब्ध हो सकेगा और अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण केन्द्र अधिकार धारकों के लिए 15 सितम्बर 2010 (खेलों से तीन सप्ताह पहले) तक ही तैयार हो सकेगा।
मुख्य प्रैस केन्द्र (MPC)	वास्तुकार एवं तकनीकी परामर्शदाता की नियुक्ति, जो कि अप्रैल 2008 तक होनी थी तथा विस्तृत अभिचित्र एवं रूपरेखा को अंतिम रूप देना, जो अप्रैल 2009 तक किया जाना था, अभी तक पूरे नहीं हो सके है। निकास सम्मेलन के दौरान, प्रैस सूचना केन्द्र (PIB) ने इंगित किया कि उन्हें इस कार्य हेतु अपना कार्यक्षेत्र, आयोजन समिति और अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकारों के साथ मई 2009 में हुई एक कार्यशाला के बाद ही स्पष्ट हुआ था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम BECIL टर्नकी के आधार पर सुपुर्दगी साझेदार (turnkey delivery partner) होगा। मुख्य प्रैस केन्द्र के अतिरिक्त विभिन्न स्टेडियमों में 20 वेन्यू मीडिया केन्द्र (VMCs) भी होंगे।
अन्य तैयारियाँ	आयोजन समिति एवं दूरदर्शन के बीच घरेलू प्रसारण अधिकार समझौता, जिसे मार्च 2007 तक किया जाना था, अभी तक हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, आयोजन समिति द्वारा भुगतान टी.वी. (Pay T.V.), डी.टी.एच. तथा मोबाईल एवं इंटरनेट हेतु अधिकारों का विपणन अभी तक होना बाकी है। टेलीकॉम संचालक की नियुक्ति, जो अक्तूबर 2007 तक की जानी थी को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया जा सका है।

[14] आई.टी.पी.ओ.: भारतीय व्यापार उन्नयन संगठन, जो प्रगति मैदान का प्रदर्शनी एवं मेलों को कराने हेतु संचालन करती है।

अध्याय 9 वित्तीय प्रबंधन

आयोजन समिति का प्रक्षेपित संचालन राजस्व एवं व्यय

राजस्व स्रोत	अद्यतन बोली (Bid) दस्तावेज के अनुसार (दिसम्बर 2003) (करोड़ रू. में)[15]	आयोजन समिति के अगस्त 2007 के अनुमानों के अनुसार (करोड़ रू. में)	आयोजन समिति के जुलाई 2008 के अनुमानों के अनुसार (करोड़ रू. में)
प्रायोजकता शुल्क	450	450	960
प्रसारण अधिकार	300	300	370
व्यापार लाईसेंसिंग से होने वाली आय	60	50	50
टिकटों की बिक्री एवं विविध	30	100	100
दान (डोनेशन)	NIL	NIL	300
कुल अनुमानित राजस्व	**840**	**900**	**1780**
अनुमानित संचालन व्यय	635	767	1780
अनुमानित बचत	**205**	**133**	**0**

9.1 राजस्व सृजन

राष्ट्रमण्डल खेल-2010 को राजस्व निरपेक्ष होना है। भारत सरकार द्वारा आयोजन समिति को 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण आधार पर निधियां दी गई है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 1780 करोड़ रु का अनुमानित राजस्व सृजन समान राशि के कुल परिचालन व्यय को पूर्णरूप से चुकाएगा अनुमानित राजस्व सृजन जो कि अगस्त 2007 में 900 करोड़ रु तक स्थिर था, एक वर्ष के अन्तराल में लगभग दुगना हो गया है। तथापि उपलब्ध दस्तावेज, हमें राजस्व के बढ़ते हुए अनुमान की दुरूस्तता के लिए संतुष्ट नहीं कर सके। उदाहरण के लिएः

- आयोजन समिति द्वारा 300 करोड़ रू. के दान (डोनेशन) अनुमानित किये गये थे, जिसने प्रारम्भ में बताया कि इसे अखिल भारतीय आधार पर स्वीकृत/चयनित वस्त्र व्यापारियों सहित गम्भीर बाजारीकृत उपभोक्ता प्रचार के माध्यम से जुटाया जायेगा। तथापि, निकास सम्मेलन के दौरान, आयोजन समिति ने स्पष्ट किया कि दान के कारण 300 करोड़ रू. का प्रक्षेपित राजस्व कॉरपोरेट न्यासों से अपेक्षित था और आयकर अधिनियम की धारा-80 जी के अंतर्गत ऐसे दानों के लिए छूट, भारतीय कॉरपोरेट द्वारा दान देने हेतु प्रेरक होगी।
- 450 करोड़ रू. से 960 करोड़ रू. तक प्रायोजकता शुल्क के प्रक्षेपण में वृद्धि प्रायोजककर्ताओं[16] की विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुमानित संख्या और सकल लक्ष्य मूल्यों पर आधारित बतायी गयी है। तथापि, इन संख्याओं पर आधारित परिकलन 1330 करोड़ रू. से 1366 करोड़ रू. के बीच लक्षित राजस्व के आंकड़े प्रदान करता है।
- निकास सम्मेलन में चर्चा के दौरान, आयोजन समिति ने इंगित किया कि प्रायोजकता राजस्व का अधिकांश हिस्सा 'वस्तुओं के रूप में मूल्य' (Value in Kind)[17] के रूप में होगा; जो कि खर्चे की प्रर्तिपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। फिर भी, हमें यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे इस प्रकार के वेल्यू इन काइंड (जो कि विशिष्ट उत्पाद एवं ब्रांड होगें) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत परिचालन खर्च के पृथक शीर्षों की प्रर्तिपूर्ति करने के लिए यथातथ्य रूप में प्रयोग किये जा सकेंगे ।

[15] अमेरीकी डॉलर से 45 रूपये प्रति डॉलर की दर पर रूपये में परिवर्तित

[16] मुख्य साझेदार, साझेदार, प्रायोजक, सह-प्रायोजक तथा आपूर्तिकर्ता

[17] यह हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में उल्लेखित नहीं किया गया है। फिर भी, राष्ट्रमण्डल युवा खेल 2008, पुणे में वेल्यू इन काइंड से कुल राजस्व का 31 प्रतिशत बना था।

इसके अतिरिक्त, 1780 करोड़ रू. के प्रक्षेपित राजस्वों में से,

- अब तक केवल 214 करोड़ रू. का राजस्व सुनिश्चित किया गया है (प्रसारण अधिकारों हेतु छः अंतर्राष्ट्रीय संविदा को हस्ताक्षर करने के माध्यम से)।

- निर्धारित समय सीमाओं के अनुसार, प्रायोजकता अधिकारों की बिक्री का कार्य नवम्बर 2007 से प्रारम्भ किया जाना था तथा आयोजन समिति द्वारा नियुक्त प्रायोजकता परामर्शदाता को जून 2009 तक 40 करोड़ रू. के राजस्व की व्यवस्था करनी थी, लेखापरीक्षा की समाप्ति तक कोई भी प्रायोजकता अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं हुआ था। आयोजन समिति ने बताया कि प्रायोजकता अभियान वैश्विक मंदी तथा आम चुनावों के कारण धीमा हो गया था। संशोधित समय सीमाओं के अनुसार, प्रायोजकता हेतु अंतिम बातचीत को 2010 की पहली तिमाही के लिए नियत किया गया है। निकास सम्मेलन के दौरान, आयोजन समिति ने इंगित किया कि उनके सलाहकार ने 70 से अधिक कम्पनियों के लिए 'प्रारम्भिक बातचीत ' की है और प्रत्याशित प्रायोजककर्ताओं के लिए प्रस्तुतीकरण जुलाई 2009 के बाद बनाए जाएंगे।

- अभी तक टिकट, व्यापार एवं लाईसेंसिग से राजस्व सृजन प्रारम्भ ही नहीं हुआ है। टिकेटिंग एजेन्सी की नियुक्ति हेतु RFP जून 2009 में जारी की गई थी। अब आयोजन समिति ने टिकेटिंग एजेन्सी को जुलाई 2009 तक चुनने के लिए योजना बनाई है और टिकेटिंग रणनीति और मूल्य नीति को अगस्त और सितम्बर 2009 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा तथा टिकटो की बिक्री दिसबंर 2009 मे आरम्भ होगी ।

ध्यान देने योग्य है कि आयोजन समिति के कार्यकारी बोर्ड की मार्च 2009 की बैठक के कार्यवृत्त ने इंगित किया है कि आयोजन समिति भारतीय ओलंपिक संघ को आयोजकता राजस्व का 5 प्रतिशत अदा करेगी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या आयोजन समिति का राजस्व प्रक्षेपण, भारतीय ओलम्पिक संघ को इस भुगतान का निबल है क्योंकि वस्तुओं के रूप में मूल्य (Value in Kind) प्रायोजकता के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को भुगतान कैसे किया जाएगा।

राष्ट्रमण्डल खेल-2010 के आयोजन की राजस्व निरपेक्षता

निकास सम्मेलन के दौरान, आयोजन समिति से आश्वासनों के बावजूद, हम अभी भी आश्वस्त नहीं हैं कि खेलों का आयोजन नकद टर्म (cash terms) में राजस्व निरपेक्ष होगा।

प्रत्युत्तर में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने पुष्टि की कि आयोजन समिति को निर्मुक्त की गई निधियां ऋण के आधार पर थी तथा आगे बताया कि यह निर्णय लिया गया है कि आयोजन समिति द्वारा प्राप्त सभी राजस्व मासिक आधार पर सरकारी लेखे को क्रेडिट किये जाने है तथा पुनर्भुगतान हेतु समायोजित किए जाएगें। इसके अतिरिक्त, आयोजन समिति को पहले से ही प्राप्त राजस्वों को तुरन्त वापस करने के लिए कहा गया है।

9.2 व्यय प्रतिरूप

खेलों के आयोजन हेतु व्यय के संचालन की विस्तृत समीक्षा अनुवर्ती लेखापरीक्षाओं में की जायेगी क्योंकि अभी भी अधिकांश व्ययों को अंतिम रूप से किया/दर्ज किया जाना है बाकी है।

फिर भी, प्रक्षेपित संचालन व्ययों का श्रेणी-वार ब्यौरा चार्ट 4 में दिया गया है।

चार्ट-4 प्रक्षेपित संचालन लागतों का ब्यौरा

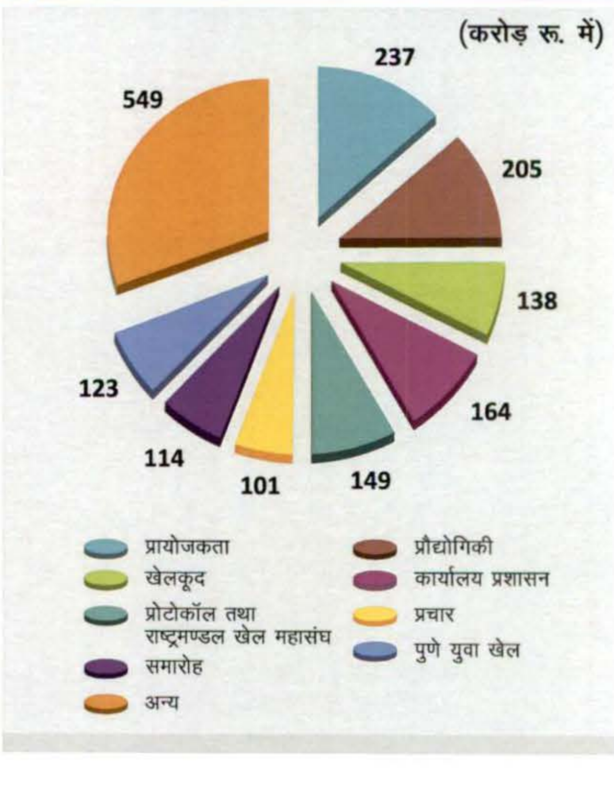

9.3 निधि की उपलब्धता तथा उपयोग

9.3.1 बजट को अन्तिम रूप देना

आयोजन समिति को 10 करोड़ रु की तदर्थ राशि अपनी कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुलाई 2005 में संस्वीकृत की गई थी। आयोजन समिति ने अपना पहला बजट प्रस्ताव नवम्बर 2005 में प्रस्तुत किया। यह अप्रैल 2007 में ही अनुमोदित हुआ था। जुलाई 2008 में दूसरा संशोधित बजट प्रस्ताव का अभी तक अनुमोदन लम्बित है।

प्रत्युत्तर में, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने बताया कि बजट की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया में CCEA अनुमोदन के साथ-साथ EFC मेमो को तैयार करना तथा इसके अनुमोदन सहित कई कार्यवाही सम्मिलित होती है। व्यय की नई मदों की ध्यानपूर्वक संवीक्षा, तथा प्राप्तकर्ता संगठनों की वैधानिक स्थिति समझने तथा भारत सरकार की अभिरूचियों को बचाने हेतु संस्थानिक प्रबंधनों को निश्चित करने हेतु समय लिया गया था। यह देखते हुए कि अधिक समय पहले ही बीत चुका है, हमने अवलोकित किया कि अनुमोदन प्रक्रिया अधिक शीघ्रता से की जानी चाहिए।

9.3.2 निधियों की निर्मुक्ति एवं उपयोग

हमने पाया कि खेल मंत्रालय द्वारा निधियों की निर्मुक्ति में विलम्ब का परिणाम कार्य निष्पादन में विलम्बों में हुआ। विशेषतः निम्न में,

- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए, इसके द्वारा विकसित किए जाने वाले खेल स्थलों हेतु युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा निधियों की निर्मुक्ति में विलम्ब की पुष्टि की है तथा सूचित किया कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को तब निधियाँ प्रदान की गई थीं जब इसके[18] पास केवल अपर्याप्त शेष बचा था।
- कादरपुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल शूटिंग रेंज कार्य, जो युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की निधियों से सीधे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित किया जा रहा था, के संबंध में, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने पुष्टि की कि अनिश्चित देयताओं के संचयन के कारण निधियों की अनुपलब्धता ने कार्य की गति को प्रभावित किया।
- दिल्ली विश्वविद्यालय ने बताया कि रग्बी 7 से संबंधित कार्य, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय से निधियों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण समय से शुरू नहीं हो सका।

दूसरी तरफ, 2006-09 के दौरान दिल्ली राज्य सरकार द्वारा 246 करोड़ रू. की कुल निर्मुक्तियों में से दिल्ली नगर निगम ने केवल 51 करोड़ रू. का उपयोग किया।

9.3.3 निधि के उपयोग की मानीटरिंग

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय विभिन्न एजेन्सियों (जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधियों के उपयोग के संबंध में गलत प्रस्तुतीकरण) द्वारा निधियों के वास्तविक उपयोग को प्रभावी रूप से अभिनिश्चित एवं मॉनीटर करने तथा निधियों की निर्मुक्ति की पूर्व शर्तों की अनुपालना में असमर्थ था। (जैसे कि AITA द्वारा पूर्व निर्मुक्ति के क्रय के लेखों की लेखा परीक्षा जांच प्रस्तुत किए बिना नई निर्मुक्तियां की गई)

अनुशंसा 6

- *प्रायोजकता तथा अन्य स्त्रोतों से राजस्व सृजन के लिए जल्दी कदम उठाने की कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि खेलों के लाभ लेने का सुअवसर समय के बीतने के साथ तेजी से घट रहा है।*
- *भारतीय ओलम्पिक संघ को प्रायोजकता राजस्व के 5 प्रतिशत का भुगतान, खेलों के केवल नगद राजस्व आधिक्य यदि कोई हो, में से ही किया जाना चाहिए।*

[18] केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की नियम पुस्तिका की धारा 3.4 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा कार्य की अनुमानित लागत के 33.33 प्रतिशत के जमा का अनुबंध करती है।

अध्याय 10 अन्य क्षेत्र

क्रीड़ा स्थल एवं अन्य मुख्य अवसंरचनाओं की तैयारियों के अवलोकन के अतिरिक्त हमने अनुपूरक अवसंरचनाओं (स्वास्थ्य, परिवहन एवं विद्युत सेवाओं) के सृजन अथवा उन्नयन तथा सम्बन्धित गतिविधियों(खेलों के लिए स्वयं सेवक कार्यक्रम तथा स्थायी विरासत योजना) की प्रगति की भी जाँच की। जिसका सार निम्नलिखित है:

बॉक्स 10

अनुपूरक अवसंरचनाएं एवं सम्बन्धित गतिविधियाँ

क्षेत्र	स्थिति/अभ्युक्तियाँ
स्थायी विरासत हेतु योजना	आयोजन समिति ने खेलों के दूरगामी प्रभाव तथा इनकी पूर्ण विरासत के लिए व्यापक विरासत योजना अभी तक विकसित नहीं की है। इसके विपरीत मेलबोर्न में राष्ट्रमण्डल 2006 खेलों के लिए विरासत योजना 2003 में ही तैयार कर ली गई थी और ग्लासगो के 2014 राष्ट्रमण्डल खेलों हेतु भी यह योजना तैयार है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने अपने पाँच स्पर्धा केन्द्रों (जिनकी 2475 करोड़ रू. की लागत पर मरम्मत की जा रही है) के उपयोग, संचालन तथा अनुरक्षण हेतु विरासत योजना बनाने के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं किए हैं। हालांकि 2006 में निजी-सार्वजनिक साझेदारी (Private Public Partner) समझौते पर विचार हुआ था लेकिन इसे अभी मूर्तरूप देना बाकी है। डर यह है कि उच्च निवेश के माध्यम से सृजित यह विश्वस्तरीय खेलकूद अवसंरचना खेलों के बाद पूरी तरह उपयोग में नहीं लाई जा सकेगी। भारतीय खेल प्राधिकरण ने प्रत्युत्तर में कहा कि वह जल्दी ही औपचारिक रूप से एक लेन-देन परामर्शदाता को नियुक्त करेगा तदोपरान्त उसके बाद की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने के लिए कार्य करेगा एवं एक व्यवसायी योजना विकसित करेगा। संभावित राजस्व साझेदारी समझौतों के सहित, क्रीडा स्थल के बाद में प्रयोग हेतु अर्ध-सरकारी/गैर-सरकारी क्रीडा स्थल मालिकों-दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल तथा अखिल भारतीय टेनिस संघ के साथ कोई भी समझौते (MoU) नहीं हुए हैं। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने प्रत्युत्तर में बताया कि वे समझौतों को (MOUs) अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में थे।
स्वास्थ्य अवसंरचना	खेलों के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना में शामिल है: ■ खेल गाँव में एक पॉलीक्लीनिक तथा क्रीड़ा स्थलों तथा अन्य स्थानों पर चिकित्सा केन्द्र; ■ सफदरजंग अस्पताल में क्रीड़ा के दौरान लगने वाली चोट हेतु केन्द्र (Sports Injury Center) की स्थापना; ■ खेलों के दौरान निश्चित देखभाल के लिए अन्तरंग रोगी उपचार एवं रोग निदान हेतु राममनोहर लोहिया अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा जी.बी. पन्त अस्पताल को नामित किया जाना; तथा ■ अस्पताल पूर्व आपात काल देखभाल, एम्बुलैंस प्रबंधन और आपदा प्रबंधन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जून 2007 की मूल समयसारिणी के तहत: ■ दिसम्बर 2007 तक इस क्षेत्र में आवश्यकताओं का निर्धारण कर लिया जाना था; ■ मार्च 2009 तक एम्बुलैन्स की खरीद होनी थी; ■ मार्च 2009 तक अस्पतालों का उन्नयन किया जाना था; ■ तथा जनवरी 2010 तक सफदरजंग अस्पताल में क्रीड़ा के दौरान लगने वाली चोट हेतु केन्द्र और अप्रैल 2010 तक खेल गाँव में पालीक्लीनिक तैयार किया जाना था। मई 2009 में, दिल्ली स्वास्थ्य सेवा, दिल्ली राज्य सरकार ने खेलों के लिए चिकित्सा प्रबंधन हेतु एक संकल्पना कार्यकारी योजना तैयार की थी; यह योजना ऐसे प्रबंधन (Institutional Mechanism) और सहयोगी योजना और सुपुर्दगी के समय सीमा हेतु संस्थागत प्रक्रिया का ब्यौरा देती है। हमने पाया कि आर.के. खन्ना स्टेडियम को छोड़कर, सभी स्पर्धा स्थलों पर चिकित्सा केन्द्रों हेतु स्थानों का निर्धारण कर लिया गया है। खेलों हेतु दिल्ली राज्य सरकार द्वारा 150 रोगी वाहनों की व्यवस्था की जानी हैं। निकास सम्मेलन के दौरान, दिल्ली स्वास्थ्य सेवा ने इंगित किया कि एम्बूलेंसो के प्रावधान और संचालन हेतु निजी पार्टनरों की पहचान कर ली गई थी।

क्षेत्र	स्थिति/अभ्युक्तियाँ
स्वयंसेवक कार्यक्रम	बोली (Bid) दस्तावेज में 18,000 स्वयंसेवकों की आवश्यकता अनुमानित की गई थी। स्वयं सेवक कार्यक्रम के लिए दिल्ली राज्य सरकार के पूर्ण उत्तरदायित्व के विषय में स्पष्टता के अभाव का विवरण बॉक्स-3, पृष्ठ 9 पर देखें। तत्पश्चात, मई 2009 में, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (MYAS) ने अन्य स्टेकधारियों के परामर्श से, 25 प्रतिशत आरक्षित पूल के साथ 25,000[19] स्वंयसेवकों की कुल आवश्यकता का निर्धारण किया। स्वंयसेवक के स्रोत, व्यापक परिनियोजन कर्तव्य तथा प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक प्रबंधन की भी पहचान कर ली गई हैं। समग्र प्रबंधन एवं समन्वयन की भूमिका आयोजन समिति को सौंप दी गई हैं।
परिवहन सेवाएं	दिल्ली परिवहन निगम (DTC) आगुंतकों एवं दर्शकों हेतु, पर्याप्त संख्या में बस प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसने सितम्बर 2008 में 2500 बसों हेतु आदेश दिया था लेकिन जून 2009 तक एक भी बस प्राप्त नहीं हुई थी तथा एक आपूर्तिकर्ता के साथ अभी औपचारिक समझौता होना भी बाकी था। दिल्ली परिवहन निगम (DTC) द्वारा 29 बस डिपों के निर्माण की भी योजना थी। इनमें से 8 डिपों, जिनके लिए दिल्ली परिवहन निगम के पास पहले से ही स्थान उपलब्ध था, में से केवल एक डिपो ही पूर्ण एवं क्रियात्मक है। अन्य 21 डिपों में से 12 डिपो हेतु ही भूमि अर्जित की गई है परन्तु उनमें भी कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। आयोजन समिति द्वारा वी.आई.पी. एवं वी.वी.आई.पी. अतिथियों के परिवहन हेतु वाहनों को किराए पर लेने की योजना जिसे मार्च 2009 तक पूरा किया जाना था, को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना शेष है।
विद्युत आपूर्ति	अवरोध रहित विद्युत आपूर्ति हेतु 5196 करोड़ रू की लागत पर एक 1500 मैगावाट गैस क्षमता का, विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाना था। कार्य को अप्रैल 2008 में सौंपा गया था परन्तु आपसी समन्वय के मुद्दों के कारण कार्य निर्धारित समय से तीन महीने पीछे चल रहा है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) ने दिल्ली क्षेत्र में 25 ट्रांसमिशन प्रणाली संबंधित परियोजनाएं प्रारम्भ की है। जिसमें से केवल एक परियोजना ही पूर्ण हुई है और 5 परियोजनाओं पर कार्य अभी भी शुरू किया जाना है। 1464 करोड़ रू की अनुमानित लागत में से मार्च 2009 तक केवल 46 करोड़ रू का ही उपयोग किया गया था।

(के. आर. श्रीराम)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

प्रतिहस्ताक्षारित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

[19] विशिष्ट स्त्रोतों से 25,000 स्वंयसेवकों के अतिरिक्त, आयोजन समिति ने अपने ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रत्युत्तर में अपनी ओर से अतिरिक्त 5,000 सामान्य स्वंयसेवकों को दर्शाया।

अनुलग्नक

अनुलग्नक सूची

अनुलग्नक - I राष्ट्रमण्डल खेल-2010 परियोजना में शामिल विभिन्न अभिकरणों का विवरण

अनुलग्नक - Iक प्रतियोगिता स्थलों हेतु अभिकरणों का विवरण

अनुलग्नक - Iख प्रशिक्षण स्थलों हेतु अभिकरणों का विवरण

अनुलग्नक - II राष्ट्रमण्डल खेल परियोजना का वर्तमान अनुमान

अनुलग्नक - III आधारभूत योजना दस्तावेजों को अंतिम रूप देना

अनुलग्नक - IV कार्यात्मक क्षेत्र

अनुलग्नक - V क्रीड़ा स्थल विशिष्टताओं की योजना में विलम्ब

अनुलग्नक - VI मुख्य परियोजनाओं हेतु अनुमति की स्थिति

अनुलग्नक - VII खेल स्थलों पर कार्यों की समाप्ति में जोखिम

अनुलग्नक - VIII अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण

अनुलग्नक - IX मुख्य शहरी अवसंरचना परियोजनाओं का जोखिम निर्धारण

शब्दावली

अनुलग्नक - I राष्ट्रमण्डल खेल - 2010 परियोजना में शामिल विभिन्न अभिकरणों का विवरण

क्र.सं.		संस्था/अभिकरण का नाम	भूमिका एवं उत्तरदायित्व
1.	ए.ए.आई.	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	एयरपोर्ट क्षेत्र के आसपास ऊँचे निर्माण कार्य के लिये अनुमति प्रदान करना
2.	ए.आई.टी.ए.	अखिल भारतीय टेनिस संघ	टेनिस हेतु क्रीडा स्थल स्वामी
3.	ए.एस.आई.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	संरक्षित स्मारकों से संबंधित अनुमति प्रदान करना तथा स्मारकों के पुनर्नवीकरण का कार्य
4.	सी.जी.ए.	राष्ट्रमण्डल खेल संघ	राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ में अपने देशों का प्रतिनिधित्व करना
5.	सी.जी.एफ.	राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ	राष्ट्रमण्डल खेलों से संबंधित सभी मामलों में उच्चतम प्राधिकरण
6.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	भारतीय खेल प्राधिकरण के स्टेडियमों हेत कार्यकारी अभिकरण
7.	डी.डी.ए.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण स्थलों हेतु स्थल स्वामी तथा कार्यान्वयन अभिकरण
8.	डी.एफ.एस.	दिल्ली अग्नि शमन सेवा	अग्नि बचाव/अग्नि सुरक्षा तथा बचाव की दृष्टि के साधनों से संबंधित अनुमति प्रदान करना
9.	डी.एच.एस.	निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, दिल्ली सरकार	स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्यकारी अभिकरण
10.	डी.जे.बी.	दिल्ली जल बोर्ड	नई निर्माण परियोजनाओं हेतु अनुमति प्रदान करना तथा खेल गांव तथा स्थलों पर जल प्रदान एवं जलनिकासी सुविधाएं प्रदान करना
11.	डी.एम.आर.सी.	दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन	दर्शकों एवं आगन्तुकों को मैट्रो रेल के माध्यम से परिवहन प्रदान करना
12.	डी.पी.	दिल्ली पुलिस	सुरक्षा हेतु कार्यकारी एजेन्सी
13.	डी.पी.सी.सी.	दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति	प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अनुमति प्रदान करना
14.	डी.यू.	दिल्ली विश्वविद्यालय	रग्बी 7 हेतु प्रतियोगिता स्थल तथा एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, नेट बाल तथा रग्बी 7 हेतु प्रशिक्षण स्थल
15.	डी.यू.ए.सी.	दिल्ली शहरी कला आयोग	भवन योजना से संबंधित अनुमति प्रदान करना
16.	जी.एन.सी.टी.डी.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार	दिल्ली राज्य सरकार, एक अंशधारी जिसने होस्ट सिटी संविदा पर हस्ताक्षर किए
17.	आई.ओ.ए.	भारतीय ओलंपिक संघ	भारत का राष्ट्रमण्डल खेल संघ है
18.	आई.टी.डी.सी.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	आवासों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों की साज-सजा
19.	जे.एम. आई.	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	रग्बी 7 तथा टेबल टेनिस हेतु प्रशिक्षण क्रीड़ा स्थल
20.	एल. एवं डी.ओ.	भूमि एवं विकास संगठन	अपने क्षेत्राधिकार में भूमि से संबंधित अनुमति प्रदान करना
21.	एम. सी. डी.	दिल्ली नगर निगम	लेआउट प्लान संबंधी अनुमति सौन्दर्यीकरण एवं अन्य शहरी अवसंरचनाएं
22.	एम.ओ.ई.एफ.	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय	वन एवं पर्यावरण से संबंधित अनुमति प्रदान करना

अनुलग्नक - I

क्र.सं.		संस्था/अभिकरण का नाम	भूमिका एवं उत्तरदायित्व
23.	एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय	समग्र सुरक्षा संबंधित मामलों हेतु उत्तरदायी
24.	एम.एच.एफ.डब्ल्यू.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉनिटरिंग हेतु उत्तरदायी
25.	एम.वाई.ए.एस.	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय	केन्द्र मंत्रालय, जो राष्ट्रमण्डल खेल 2010 परियोजना की मॉनीटरिंग हेतु उत्तरदायी है
26.	एन.डी.एम.सी.	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	स्थल के निर्माण तथा शहर सौन्दर्यीकरण परियोजना हेतु उत्तरदायी
27.	ओ.सी.	आयोजन समिति	खेलों के सफलता पूर्वक संचालन हेतु उत्तरदायी गैर लाभकारी स्वायत्त निकाय
28.	पी.बी.	प्रसार भारती	राष्ट्र मंडल खेल 2010 हेतु मेजबान प्रसारणकर्ता
29.	पी.डब्ल्यू.डी.	लोक निर्माण विभाग (दिल्ली राज्य सरकार)	स्थल के निर्माण तथा शहरी अवसंरचना परियोजना हेतु उत्तरदायी दिल्ली राज्य सरकार का एक अभिकरण
30.	एस.ए.आई.	भारतीय खेल प्राधिकरण	पाँच मुख्य स्टेडियमों अर्थात जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गाँधी खेल परिसर, मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम, डॉ.एस.पी.एम. एक्वाटिक्स परिसर तथा डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज का स्थल स्वामी
31.	सी.आर.पी.एफ.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल शूटिंग परिसर कादरपुर हेतु क्रीड़ा स्थल स्वामी

अनुलग्नक - Iक ➡ प्रतियोगिता स्थलों हेतु अभिकरणों का विवरण

क्र.सं.	खेल का नाम	स्थल का नाम	स्थल स्वामी का नाम	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम
1.	एक्वाटिक्स	डॉ. एस.पी.एम. एक्वाटिक्स परिसर	भारतीय खेल प्राधिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
2.	तीरंदाजी	यमुना खेल परिसर तथा इंडिया गेट	दिल्ली विकास प्राधिकरण	दिल्ली विकास प्राधिकरण
3.	एथलेटिक्स	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम	भारतीय खेल प्राधिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
4.	बैडमिंटन	सीरी फोर्ट खेल परिसर	दिल्ली विकास प्राधिकरण	दिल्ली विकास प्राधिकरण
5.	मुक्केबाजी	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद
6.	साइक्लिंग	वेलोड्रम इंदिरा गांधी खेल परिसर	भारतीय खेल प्राधिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
7.	जिमनास्टिक	इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गाँधी खेल परिसर	भारतीय खेल प्राधिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
8.	हॉकी	मेजर ध्यान चन्द राष्ट्रीय स्टेडियम	भारतीय खेल प्राधिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
9.	लॉन बॉल	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम	भारतीय खेल प्राधिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
10.	नेट बॉल	त्यागराज खेल परिसर	दिल्ली राज्य सरकार	लोक निर्माण विभाग
11.	रग्बी7एस	दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली विश्वविद्यालय	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
12.	शूटिंग	डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज	भारतीय खेल प्राधिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
		केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर, कादरपुर	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
13.	स्क्वैश	सीरी फोर्ट खेल परिसर	दिल्ली विकास प्राधिकरण	दिल्ली विकास प्राधिकरण
14.	टेबल टेनिस	यमुना खेल परिसर	दिल्ली विकास प्राधिकरण	दिल्ली विकास प्राधिकरण
15.	टेनिस	आर.के. खन्ना खेल परिसर	ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन	एस.जी. लखनपाल एसोसिएट्स
16.	भारोत्तोलन	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम	भारतीय खेल प्राधिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
17.	कुश्ती	इंदिरा गाँधी खेल परिसर	भारतीय खेल प्राधिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

अनुलग्नक - Iख प्रशिक्षण स्थलों हेतु अभिकरणों का विवरण

क्र.सं.	खेल का नाम	स्थल का नाम	स्थल स्वामी का नाम	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम
1.	एक्वाटिक्स	मेजर ध्यान चन्द राष्ट्रीय स्टेडियम सीरी फोर्ट परिसर यमुना खेल परिसर खेल गाँव	भारतीय खेल प्राधिकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण
2.	एथलेटिक्स	त्यागराज खेल परिसर छत्रसाल स्टेडियम खेल गाँव दिल्ली विश्वविद्यालय-पोलो ग्राउंड	दिल्ली राज्य सरकार दिल्ली राज्य सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विश्वविद्यालय	लोक निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
3.	तीरंदाजी	यमुना खेल परिसर	दिल्ली विकास प्राधिकरण	दिल्ली विकास प्राधिकरण
4.	बैडमिंटन	सीरी फोर्ट खेल परिसर साकेत खेल परिसर	दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण	दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण
5.	मुक्केबाजी	दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली विश्वविद्यालय	
6.	साइक्लिंग	वेलोड्रॉम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम परिसर	भारतीय खेल प्राधिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
7.	जिमनास्टिक	इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम यमुना खेल परिसर (संगीतमय जिमनास्टिक)	भारतीय खेल प्राधिकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण
8.	हॉकी	मेजर ध्यान चन्द राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर शिवाजी स्टेडियम यमुना खेल परिसर	भारतीय खेल प्राधिकरण नई दिल्ली नगरपालिका परिषद दिल्ली विकास प्राधिकरण	लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली नगरपालिका परिषद दिल्ली विकास प्राधिकरण
9.	लॉन बॉल	दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम यमुना खेल परिसर	दिल्ली विकास प्राधिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण
10.	नेट बॉल	त्यागराज खेल परिसर दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली राज्य सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय	लोक निर्माण विभाग इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
11.	रग्बी7एस	सेंट स्टीफन कॉलेज हिन्दू कॉलेज खालसा कॉलेज रामजस कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कामर्स दौलत राम कॉलेज जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड राइट्स
12.	शूटिंग	डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज	भारतीय खेल प्राधिकरण	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
13.	स्क्वैश	सीरी फोर्ट खेल परिसर	दिल्ली विकास प्राधिकरण	दिल्ली विकास प्राधिकरण
14.	टेबल टेनिस	यमुना खेल परिसर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	दिल्ली विकास प्राधिकरण जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	दिल्ली विकास प्राधिकरण राइट्स
15.	टेनिस	आर.के. खन्ना खेल परिसर सीरी फोर्ट खेल परिसर	ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन दिल्ली विकास प्राधिकरण	एस.जी. लखनपाल एसोसिएट्स दिल्ली विकास प्राधिकरण
16.	भारोत्तोलन	खेल गाँव	दिल्ली विकास प्राधिकरण	दिल्ली विकास प्राधिकरण
17.	कुश्ती	श्रीराम कॉलेज हॉल (महिला कुश्ती) खेल गाँव लूडलो कॉसल हॉल	दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली राज्य सरकार	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड दिल्ली विकास प्राधिकरण लोक निर्माण विभाग

अनुलग्नक - II ➡ राष्ट्रमण्डल खेल परियोजना का वर्तमान अनुमान

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	मंत्रालय/राज्य	व्यय की मद		कुल अनुमान	स्त्रोत
1.	दिल्ली राज्य सरकार	भारत सरकार द्वारा सिविक परियोजनाओं हेतु अनुदान	1770	4720	भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
		दिल्ली राज्य सरकार द्वारा परियोजना निर्माण, बसों की खरीद, मेडिकल, जल वितरण, सफाई आदि हेतु निधि	2950		योजना विभाग, दिल्ली राज्य सरकार
2.	भारतीय खेल प्राधिकरण	खेल परियोजनाओं के निर्माण हेतु	2475	2475	भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
3.	आयोजन समिति	खेलों के आयोजन हेतु	1628	1628	भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
4.	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय	आर.के. खन्ना स्टेडियम (AITA) में टेनिस स्थल के निर्माण हेतु	63	1503	भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
		टीमों की तैयारी	678		
		ओवरलेज	400		
		दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्थलों का सुदृढ़ीकरण/निर्माण	347		
		कादरपुर शूटिंग रेंज में बिग बोर शूटिंग रेंज का निर्माण	15		
5.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	खेल गाँव में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र एवं अन्य खेल परियोजनाओं हेतु	1035	1153	भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
		खेल गाँव का निर्माण	118		निर्माण कार्य लेखापरीक्षा कक्ष-I, दिल्ली विकास प्राधिकरण
6.	अन्य	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा कनाट प्लेस व जनपथ का पुनर्निमाण/सड़कों का सौंदर्यीकरण, स्ट्रीट लाईट्स का आधुनिकीकरण	221	662	वित्त (बजट) विभाग, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
		भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्मारकों का उन्नयन	26		भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सफदरजंग अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजुरी सेंटर का निर्माण एवं संचालन	71		भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
		राष्ट्रमण्डल युवा खेल, पुणे के लिये सिविक परियोजनाएं	134		भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
		राष्ट्रमण्डल युवा खेल, पुणे के लिये खेल परियोजनाओं हेतु महाराष्ट्र सरकार को निधि	210		भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
7.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	मेजबान प्रसारणकर्ता दूरदर्शन/आल इंडिया रेडियो, अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण केन्द्र	415	463	भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
		प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रचार,	20		
		ITPO (किराया एवं सुदृढ़ीकरण)	28		

अनुलग्नक - II

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	मंत्रालय/राज्य	व्यय की मद		कुल अनुमान	स्त्रोत
8.	गृह मंत्रालय	राष्ट्रमण्डल युवा खेल, पुणे में सुरक्षा प्रबन्ध	7	284	भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
		गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा प्रबन्ध	277		
			योग	12888	

कार्यकलाप-वार अनुमानित लागत का विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र.सं..	कार्यकलाप	व्यय
1.	क्रीड़ा स्थल विकास	5214
2.	शहरी अवसंरचना विकास	4550
3.	आयोजन समिति का प्रचालन व्यय	1628
4.	प्रसारण	463
5.	सुरक्षा	284
6.	अन्य	749
	योग	12888

अनुलग्नक - III ➡ आधारभूत योजना दस्तावेजों को अंतिम रूप देना (मई 2009 तक)

क्र.सं.	वास्तविक निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक समय सीमा	राष्ट्रमण्डल खेल संघ द्वारा स्वीकृति	विलम्ब (माह में)
1.	आयोजन समिति की संस्थापना	मई 2004	फरवरी 2005	9
2.	आयोजन समिति की सामान्य संगठनात्मक योजना	मई 2004	अगस्त 2007	39
3.	आयोजन समिति तथा खेलों की मुख्य योजना (Master Plan)	मई 2004	नवम्बर 2008	54
4.	संयुक्त विपणन करारनामे की लिखित स्वीकृति (Joint Marketing Agreement)	दिसम्बर 2005	लम्बित	41
5.	खेल कार्यक्रमों हेतु स्वीकृति	अक्तूबर 2007	नवम्बर 2007	1
6.	सांस्कृतिक कार्यक्रमों की स्वीकृति	अक्तूबर 2007	लम्बित	19
7.	अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय व्यवसाय कार्यक्रम की स्वीकृति	अक्तूबर 2007	लम्बित	19
8.	खेल प्रतीक तथा अन्य खेल चिन्ह की रूपरेखा तथा प्रयोग की नवीनतम नीति सम्मिलित करना	अक्तूबर 2007	लम्बित	19
9.	आवश्यकताओं के विवरण सहित प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी हेतु कार्यान्वयन योजनाएं	अक्तूबर 2007	लम्बित	20
10.	टेस्ट खेलों (Test event) के आयोजन तथा टेस्ट खेल नीतियों (Test Event Strategy) हेतु योजना	अक्तूबर 2008	लम्बित	8
11.	प्रवेश टिकटों के वितरण की प्रणाली	अक्तूबर 2008	लम्बित	8
12.	खेल सामूहिक आवभगत कार्यक्रम हेतु योजना	अक्तूबर 2008	लम्बित	8
13.	राष्ट्रमण्डल खेल संघ की लिखित अनुमति हेतु प्रमाणन की प्रणाली	अक्तूबर 2008	लम्बित	8
14.	कार्यालयी रिपोर्ट की रूपरेखा	अक्तूबर 2008	लम्बित	8
15.	सामूहिक आवभगत योजना	अक्तूबर 2008	लम्बित	8
16.	प्रवेश योजना के वितरण की प्रणाली	अक्तूबर 2008	लम्बित	8

अनुलग्नक IV

कार्यात्मक क्षेत्र

16 कार्यात्मक क्षेत्रों (हरे रंग में दर्शित) में ड्राफ्ट संचालनात्मक योजना बनाई जा चुकी है (मई 2009 की स्थिति अनुसार)

क्र.सं.	कार्यात्मक क्षेत्र का नाम	क्र.सं.	कार्यात्मक क्षेत्र का नाम
1.	आवास	18.	अधिग्रहण
2.	प्रमाणन	19.	शिष्टाचार
3.	प्रसारण	20.	जोखिम प्रबन्धन
4.	कैटरिंग	21.	सुरक्षा
5.	समारोह	22.	दर्शक सेवाएं
6.	समन्वय तथा सरकारी संबंध	23.	प्रायोजकता
7.	साफ सफाई तथा अवशिष्ट प्रबन्धन	24.	खेल
8.	वित्त एवं लेखा	25.	अनुरक्षण एवं पर्यावरण
9.	खेल गाँव विकास एवं प्रचालन	26.	टिकटिंग
10.	क्वीन्स बेटन रिले	27.	परिवहन
11.	प्रौद्योगिकी	28.	स्थल विकास एवं प्रचालन
12.	विधिक	29.	कार्यबल
13.	योजनाकला	30.	संचार
14.	प्रेस प्रचालन	31.	इमेज एवं लुक
15.	चिकित्सा एवं मादक औषधि नियंत्रण	32.	विरासत सम्पत्ति
16.	व्यापारी माल तथा लाइसेंसिंग	33.	राष्ट्रमण्डल खेल संघ संबंध
17.	कार्यालय प्रशासन	34.	टी.वी. अधिकार

अनुलग्नक - V ➡ क्रीडा स्थल विशिष्टताओं की योजना में विलम्ब

क्र.सं.	स्थल	क्रीडा स्थल विवरण सुपुर्द करना	क्रीडा स्थल स्वामी द्वारा अवधारणा रूपांकन पूर्ण करना	आयोजन समिति की अवधारणा रूपांकन अनुमति	अंतिम रूपांकन को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि/अंतिम रूपांकन की सशर्त अनुमति	निर्माण कार्य आरम्भ करने की निर्धारित तिथि	निर्माण कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि
	आयोजन समिति निर्धारित द्वारा समयसीमा	**दिसम्बर 2006**	**मई 2007**	**जून 2007**	**जुलाई 2007**	**सितम्बर 2007**	**दिसम्बर 2009**
1.	खेल गाँव (दिल्ली विकास प्राधिकरण)	4.12.2006	30.6.2007	18.9.2007	17.2008	1.10.2007	मार्च 2010
2.	सीरी फोर्ट खेल परिसर (बैडमिंटन एवं स्क्वैश) दिल्ली विकास प्राधिकरण	30.3.2007	5.5.2007	16.5.2007	17.2008	1.1.2008	दिसम्बर 2009
3.	यमुना खेल परिसर (टेबल टेनिस)	4.11.2006	27.2007	17.5.2007	17.2008	1.1.2008	दिसम्बर 2009
4.	तीरंदाजी-प्राथमिक (यमुना खेल परिसर) दिल्ली विकास प्राधिकरण	1.6.2007	21.1.2008	17.3.2008	117.2008	मार्च 2009	दिसम्बर 2009
5.	तीरंदाजी-अंतिम (इंडिया गेट, अस्थायी ढांचा)	15.6.2007	21.1.2008	26.6.2008	157.2009	सितम्बर 2010	सितम्बर 2010
6.	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम (एथलेटिक्स) भारतीय खेल प्राधिकरण	दिसम्बर 2006	1.5.2007	3.9.2007	117.2008	29.8.2007	नवम्बर 2009
7.	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम (लॉन बॉल) भारतीय खेल प्राधिकरण	4.12.2006	5.10.2007	5.11.2007	17.2008	अभी घोति किया जाना है	दिसम्बर 2009
8.	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम (भारोत्तोलन) भारतीय खेल प्राधिकरण	4.12.2006	1.10.2007	4.11.2007	17.2008	अप्रैल 2008	दिसम्बर 2009
9.	राष्ट्रीय स्टेडियम (हॉकी) भारतीय खेल प्राधिकरण	4.12.2006	18.5.2007	26.5.2007	17.2008	30.9.2007	सितम्बर 2009
10.	इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम (साइक्लिंग) भारतीय खेल प्राधिकरण	1.12.2006	18.6.2008	26.6.2008	157.2009	1.1.2009	मार्च 2010
11.	इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम (जिमनास्टिक) भारतीय खेल प्राधिकरण	4.12.2006	1.8.2007	3.9.2007	17.2008	1.1.2008	अक्तूबर 2009
12.	इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम (कुश्ती) भारतीय खेल प्राधिकरण	4.12.2006	10.10.2007	31.10.2007	17.2008	23.8.2008	दिसम्बर 2009
13.	कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, भारतीय खेल प्राधिकरण	9.12.2006	25.6.2008	277.2008	29.11.2008	1.11.2008	दिसम्बर 2009
14.	एस.पी.एम. पूल (एक्वाटिक्स) भारतीय खेल प्राधिकरण	15.12.2006	1.9.2007	3.9.2007	17.2008	15.11.2007	अक्तूबर 2009
15.	त्यागराज स्टेडियम (नेट बॉल) दिल्ली राज्य सरकार	7.11.2006	5.5.2007	19.5.2007	23.8.2007	15.9.2007	सितम्बर 2009
16.	तालकटोरा स्टेडियम (मुक्केबाजी) दिल्ली राज्य सरकार	4.11.2006	18.1.2007	15.5.2007	317.2008	8.12.2007	अक्तूबर 2009
17.	दिल्ली विश्वविद्यालय (रग्बी7एस)	12.3.2007	317.2007	12.9.2007	17.2008	15.9.2008	जनवरी 2010
18.	आर.के. खन्ना स्टेडियम (टेनिस) AITA	30.3.2007	177.2007	277.2007	17.2008	4.6.2008	दिसम्बर 2009
19.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल फुल बोर शूटिंग रेंज, कादरपुर, हरियाणा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	15.12.2006	117.2008		157.2009	अप्रैल 2009 में कार्य प्रारम्भ किया गया	दिसम्बर 2009

सभी मामलों में आयोजन समिति द्वारा सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई

अनुलग्नक VI मुख्य परियोजनाओं हेतु अनुमति की स्थिति

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आवेदित मामले	लंबित मामले	मामले जिनमें छः महीने के उपरान्त भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लंबित थे	मामले जिनमें छः महीने के उपरान्त अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किए गए
1.	दिल्ली शहरी कला आयोग (डी.यू.ए.सी.)	19	7	7	4
2.	दिल्ली अग्नि शमन सेवा (डी.एफ.एस.)	17	1	1	5
3.	दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.)	5	1	–	3
4.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.)	7	–	–	5
5.	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.)	12	1	–	5
6.	वन संरक्षण (सी.ओ.एफ.)	15	6	4	3
7.	दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.)	15	5	5	5
8.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.)	2	–	–	1
9.	दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.)	14	6	5	5
10.	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.)	7	–	–	3
11.	भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एवं डी.ओ.)	1	–	–	–
	योग	**114**	**27**	**22**	**39**

अनुलग्नक – VII खेल स्थलों पर कार्य की समाप्ति में जोखिम (जून 2009 तक) की स्थिति

क्र.सं.	क्रीड़ा स्थल एवं खेल	नियोजित परियोजना प्रगति (प्रतिशतता)	वास्तविक परियोजना प्रगति (प्रतिशतता)	कमी (प्रतिशतता)	जोखिम
क	ख	ग	घ	ड़	च
1.	डा. एस.पी.एम. जल क्रीड़ा परिसर **प्रतियोगिता स्थलः** जल क्रीड़ा	93	42	55	उच्च
2.	यमुना खेल परिसर **प्रतियोगिता स्थलः** तीरंदाजी, टेबल टेनिस **प्रशिक्षण स्थलः** जल क्रीड़ा, जिमनास्टिक, लॉन बॉल, तीरंदाजी	12, 53 16,20,15,16	7, 46 12,12,10,10	42, 13 2540,33,38	मध्यम
3.	इंडिया गेट **प्रतियोगिता स्थलः** तीरंदाजी	NA	NA	NA	निम्न
4.	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम **प्रतियोगिता स्थलः** एथलेटिक्स व भारोत्तोलन	78, 75	54, 43	31, 43	मध्यम
5.	सीरी फोर्ट खेल परिसर **प्रतियोगिता स्थलः** बैडमिन्टन एवं स्क्वैश **प्रशिक्षण स्थलः** बैडमिन्टन, जल क्रीड़ा, स्क्वैश, टेनिस	51 3,8,8,11	46 0,2,5,0	10 10075,38,100	निम्न
6.	तालकटोरा इन्डोर स्टेडियम, **प्रतियोगिता स्थलः** बॉक्सिंग	99	73	26	मध्यम
7.	इन्दिरा गांधी स्टेडियम, **प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण स्थलः** साइक्लिंग, जिमनास्टिक और कुश्ती	51,6674	35,5643	31,1542	मध्यम
8.	त्यागराज खेल परिसर, **प्रतियोगिता स्थलः** नैटबॉल **प्रशिक्षण स्थलः** एथलेटिक्स	95 95	69 69	27	मध्यम
9.	दिल्ली विश्वविद्यालय, **प्रतियोगिता स्थलः** रग्बी7एस **प्रशिक्षण स्थलः** एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, नैट बॉल, कुश्ती, रग्बी7एस (विभिन्न कालेजों के क्रीड़ास्थल)	47 7540,31, 65-69	34 12,30,10, 28-69	28 84,25,68,--	मध्यम
9 (क).	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, **प्रशिक्षण स्थलः** रग्बी7एस एवं टेबल टेनिस	39	14	64	मध्यम
10.	डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, **प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण स्थलः** शूटिंग	69	42	39	मध्यम
11.	केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल (CRPF) **परिसर, कादरपुर, प्रतियोगिता स्थलः** शूटिंग	31	40	—	निम्न
12.	आर.के.खन्ना खेल परिसर, **प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण स्थलः** टेनिस	54	45	17	निम्न
13.	मेजर ध्यान चंद स्टेडियम परिसर, **प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण स्थलः** हॉकी **प्रशिक्षण स्थलः** जल क्रीड़ा	90 72	75 0	17	निम्न
14.	खेल गांव, **प्रशिक्षण स्थलः** एथलेटिक्स, तैराकी, भारोत्तोलन एवं कुश्ती	70,51,6045	40,55,55,30	43,--,8,33	मध्यम

अनुलग्नक – VII

क्र.सं.	क्रीड़ा स्थल एवं खेल	नियोजित परियोजना प्रगति (प्रतिशतता)	वास्तविक परियोजना प्रगति (प्रतिशतता)	कमी (प्रतिशतता)	जोखिम
क	ख	ग	घ	ड़	च
15.	छत्रसाल स्टेडियम, **प्रशिक्षण स्थलः** एथलेटिक्स	28	19	32	मध्यम
16.	साकेत खेल परिसर, **प्रशिक्षण स्थलः** बैडमिंटन	9	6	33	मध्यम
17.	शिवाजी स्टेडियम, **प्रशिक्षण स्थलः** हॉकी	78	26	67	मध्यम
18.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के.पुरम **प्रशिक्षण स्थलः** लॉन बॉल	NA	NA	NA	निम्न
19.	लूडलो कॉसल हॉल, **प्रशिक्षण स्थलः** कुश्ती	21	12	43	मध्यम

जोखिम के मूल्यांकन का मापदण्ड

(i) ड = (ग-घ)/ग X 100

(ii) निम्न जोखिम जहाँ कमी 25% से कम हैं।

(iii) मध्यम जोखिम जहाँ कमी 25% से 50% है।.

(iv) उच्च जोखिम जहाँ कमी 50% से अधिक है।.

(v) सभी विशिष्टः केवल प्रशिक्षण क्रीडा स्थलों का मध्यम या निम्न जोखिम पर निर्धारण किया गया है क्योंकि यहाँ अन्य प्रतियोगिता क्रीड़ा स्थलों के मुकाबले कार्य की गुंजाइश कम है।

(vi) ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी करने के पश्चात चार स्पर्धा केन्द्रों की मई-जून 2009 माह में योजित परियोजना प्रगति में परिवर्तन का औचित्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। अपवाद स्वरूप इन चार स्पर्धा स्थलों में जोखिम का निर्धारण योजित प्रगति मई 2009 तथा वास्तविक प्रगति जून 2009 के आधार पर किया गया है।

अनुलग्नक – VIII अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आरम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कुल अवधि	जुलाई 2009 तक अपेक्षित प्रगति	जुलाई 2009 तक वास्तविक प्रगति	कमी	कारण
1.	पूर्वी दिल्ली से उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी दिल्ला को जोड़ने हेतु शास्त्री पार्क सुरंग कारिडोर	परियोजना आरम्भ नहीं हो सकी तथा राष्ट्रमण्डल खेल परियोजनाओं की सूची से हटा दी गई						दिल्ली शहरी कला आयोग से दिसम्बर 2007 से अनुमति प्रतिक्षित है।
2.	गीता कालोनी पुल							परियोजना पूर्ण
3.	सलीमगढ़ किले से वेलोड्रम सड़क तक रिंग रोड़ बाईपास	दिसम्बर 2008	जुलाई 2010	20 माह	40	17	23	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनापत्ति प्रमाण पत्र की देरी से प्राप्ति (12 माह से अधिक) तथा दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा अनुमति प्रदान न करना
4.	आर.आर. कोहली मार्ग	अप्रैल 2007	अप्रैल 2009	24 माह	100	93	7	उत्तर प्रदेश सरकार से भूमि के स्थानांतरण में विलम्ब क्योंकि मामला न्याय प्रक्रिया के अधीन है
5.	अप्सरा बार्डर	अप्रैल 2008	मार्च 2010	24 माह	67	20	47	अधिग्रहण, उपयोगिता सेवाओं को हटाने तथा अतिक्रमण हटाने में विलम्ब
6.	आई.टी.ओ. चुंगी अंडरपास	नवम्बर 2006	जून 2009	26 माह	100	79	21	
7.	खेल गाँव से इंदिरा गांधी स्टेडियम के लिए बहादुरशाह जफर मार्ग	परियोजना आरम्भ नहीं हो सकी तथा राष्ट्रमण्डल खेल परियोजनाओं की सूची से हटा दी गई						दिल्ली शहरी कला आयोग से अनुमति प्रतीक्षित है
8.	पूर्वी दिल्ली से कनाट प्लेस क्षेत्र तक पूर्व पश्चिम ऐलिवेटिड कॉरिडोर द्वारा खेल गाँव से इंदिरा गाँधी स्टेडियम तथा यमुना खेल परिसर को जोड़ना	परियोजना आरम्भ नहीं हो सकी तथा राष्ट्रमण्डल खेल परियोजनाओं की सूची से हटा दी गई						1. दिल्ली शहरी कला आयोग से अनुमति प्रतीक्षित 2. योजना JNNURM के अंतर्गत अभी कार्यान्वित की जानी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जानी थी। 3. सलाहकार की नियुक्ति में विलम्ब
9.	बारापुला नाला पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 बाईपास से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 तक लिंक रोड़	सितम्बर 2008	मार्च 2010	18 माह	61	41	20	1. डिजाइन में परिवर्तन 2. दिल्ली शहरी कला आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की अप्राप्ति 3. यह सुनिश्चित नहीं है कि क्रमांक 35 में दर्शाई गई परियोजना इसमें जोड़ी गई है।
10.	नीला हौज पर पुल	अप्रैल 2008	मार्च 2010	24 माह	66	30	36	
11.	अरूणा आसफ अली मार्ग/अफ्रीका एवेन्यू	मई 2007	फरवरी 2009	20 माह	100	95	5	1. स्थानीय आवासीय कल्याण संघों (RWA) द्वारा उपयोगिता सेवाओं को हटाने का विरोध 2. बी.जे. मार्ग - आर.टी.आर. मार्ग फ्लाईओवर पर पुनः विचार 3. ठेकेदार द्वारा मानव शक्ति तथा मशीनरी की अपर्याप्त नियुक्ति/तैनाती
12.	बी.जे. मार्ग/ आर.टी.आर. मार्ग	मई 2007	फरवरी 2009	20 माह	100	85	15	
13.	नेल्सन मंडेला/ विवेकानन्द मार्ग	मई 2007	फरवरी 2007	20 माह	100	76	24	

अनुलग्नक – VIII

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आरम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कुल अवधि	जुलाई 2009 तक अपेक्षित प्रगति	जुलाई 2009 तक वास्तविक प्रगति	कमी	कारण
14.	विवेक विहार रेलवे क्रासिंग पर पुल के नीचे सड़क	जुलाई 2007	नवम्बर 2008	16 माह	100	35	65	1. उपयोगिता सेवा (बिजली की लाईन) के हटाये जाने में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब 2. रेलवे द्वारा कार्य के निष्पादन में विलम्ब के कारण कार्य पर रोक
15.	मिन्टो ब्रिज को चौड़ा करना	अप्रैल 2008	नवम्बर 2009	18 माह	89	15	74	1. सी.ओ.एफ. से अनापत्ति प्रमाण पत्र (दिसम्बर 2008) प्राप्त करने में 23 माह का विलम्ब 2. रेलवे कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है 3. अक्तूबर 2008 में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के भाग पर भी कार्य निष्पादन करेगा। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के भाग में कार्य प्रदान करने की प्रक्रिया अभी आरम्भ नहीं की गई है
16.	सेवा नगर, रेलवे लाईन के नीचे पुल	अक्तूबर 2008	अप्रैल 2010	18 माह	55	32	23	1. वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा झुग्गियों के अतिक्रमण को हटाने में विलम्ब
17.	RUB पर सड़क संख्या 58-64	फरवरी 2007	सितम्बर 2009	32 माह	94	13	81	न्यायालय से स्टे तथा उसके उपरान्त औद्योगिक स्थापनाओं को खाली करवाने हेतु न्यायालय द्वारा दिया गया समय
18.	श्याम लाल कॉलेज जी.टी. रोड़	सितम्बर 2007	सितम्बर 2009	24 माह	92	31	61	कुछ क्षेत्र के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि के भाग में न्यायालय द्वारा स्टे
19.	ROB पर सड़क संख्या 68	मई 2008	अप्रैल 2010	24 माह	63	2	61	
20.	उत्तर प्रदेश लिंक रोड़	अक्तूबर 2008	अप्रैल 2010	18 माह	55	10	45	उत्तर प्रदेश सरकार से 25 एकड़ भूमि अपेक्षित है जो अभी तक प्रदान नहीं की गई है
21.	ROB पर सड़क स 63							परियोजना पूर्ण
22.	मुकरबा चौक							परियोजना पूर्ण
23.	मंगोलपुरी							परियोजना पूर्ण
24.	बेहरा एन्कलेव							परियोजना पूर्ण
25.	नागलोई							परियोजना पूर्ण
26.	शास्त्री नगर पुस्ता सड़क	अप्रैल 2007	अप्रैल 2009	24 माह	100	93	7	उत्तर प्रदेश सरकार से भूमि के हस्तांतरण में विलम्ब क्योंकि मामला अभी न्यायाधीन है
27.	नारायणा	मार्च 2007	नवम्बर 2009	32 माह	87	71	16	रक्षा क्षेत्र में यातायात के विपथन तथा अन्य यातायात मुद्दों से विलम्ब

अनुलग्नक – VIII

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आरम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कुल अवधि	जुलाई 2009 तक अपेक्षित प्रगति	जुलाई 2009 तक वास्तविक प्रगति	कमी	कारण
28.	आजादपुर	अप्रैल 2007	जून 2009	26 माह	100	74	31	अतिक्रमण को हटाने के कारण विलम्ब
29.	क) सड़क संख्या 56 का कारिडोर सुधार	अप्रैल 2008	मार्च 2010	24 माह	67	20	47	उपरगामी (Overhead) लाईन के हटाये जाने में विलम्ब
	ख) गाजीपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 24 बाईपास पर फ्लाईओवर	अप्रैल 2008	मार्च 2010	24 माह	67	40	27	
30.	खेल गाँव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 24 तथा बुद्ध सड़क	मार्च 2009	सितम्बर 2010	18 माह	22	16	6	1. परियोजना मार्च 2009 में जाकर ही आरम्भ की गई थी 2. COF से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विलम्ब
31.	अंतर्राज्यीय बस अड्डा - आनन्द विहार	उपलब्ध नहीं.	उपलब्ध नहीं.	उपलब्ध नहीं.	उपलब्ध नहीं.	उपलब्ध नहीं.	उपलब्ध नहीं	कार्य मई 2009 में प्रदान किया गया
32.	सीरी फोर्ट खेल परिसर हेतु जे.बी.टीटो मार्ग एवं सीरी फोर्ट रोड़ स्थित जंक्शन पर सिगनल मुक्त दाँया मोड़	परियोजना आरम्भ नहीं हो सकी तथा राष्ट्रमण्डल खेल परियोजनाओं की सूची से हटा दी गई						अतिक्रमण एवं मुकदमे बाजी के कारण परियोजना संशोधित की गई। अगस्त 2008 में अनुमोदन हेतु संशोधित योजना को दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भेजा गया। तब से मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लम्बित है।
33.	पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास यातायात की भीड़भाड़ हटाने के लिए एस.पी. मुखर्जी मार्ग कॉरिडोर	परियोजना आरम्भ नहीं हो सकी तथा राष्ट्रमण्डल खेल परियोजनाओं की सूची से हटा दी गई						मार्च 2005 में दिल्ली विकास प्राधिकरण तकनीकी समिति द्वारा परियोजना स्वीकृत की गई। दिल्ली नगर निगम ने योजना में संशोधन किए तथा अक्तूबर 2008 में UTTIPEC, दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रेषित किया। मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लम्बित है
34.	मसूदपुर कॉरिडोर सुधार तथा महिपालपुर सुरंग परियोजना	परियोजना आरम्भ नहीं हो सकी तथा राष्ट्रमण्डल खेल परियोजनाओं की सूची से हटा दी गई						परियोजना को छोड़ने के कारण उपलब्ध नहीं
35.	बारापुला नाला पर सुयोजन	जुलाई 2008	जून 2010	24 माह				यह परियोजना युवा कार्यक्रम एवं खूलकूद मंत्रालय की वेब मॉनिटरिंग प्रणाली की 25 जून 2009 की प्रगति रिपोर्ट से हटा दी गई है। यह सुनिश्चित नहीं है कि क्या यह परियोजना क्रम संख्या 9 के साथ जोड़ दी गई है।

अनुलग्नक - IX मुख्य शहर अवसंरचना परियोजना का जोखिम निर्धारण

क्र.सं.	परियोजना का नाम (क)	नियोजित परियोजना प्रगति (प्रतिशतता) (ख)	वास्तविक परियोजना प्रगति (प्रतिशतता) (ग)	कमी (प्रतिशतता) (घ)	जोखिम (ङ)
1.	शास्त्री पार्क सुरंग कॉरीडोर	शून्य	शून्य	100	जुलाई 2009 में पृथक कर दिया गया।
2.	गीता कालोनी पुल	100	100	0	पूर्ण हो चुका है
3.	सलीमगढ़ किला-वेलोड्रम मार्ग	40	17	58	उच्च
4.	आर.आर. कोहली मार्ग फ्लाईओवर	100	93	7	निम्न
5.	अप्सरा बार्डर फ्लाईओवर	67	20	70	उच्च
6.	आई.टी.ओ. चुंगी अण्डरपास	100	79	21	निम्न
7.	बहादुर शाह जफ़र मार्ग फ्लाईओवर	शून्य	शून्य	100	जुलाई 2009 में पृथक कर दिया गया।
8.	एलीवेटेड पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर	शून्य	शून्य	100	जुलाई 2009 में पृथक कर दिया गया।
9.	बारापुला नाला पर एन.एच.24 बाईपास से एन.एच. 8 सुयोजित लिंक रोड	61	41	33	मध्य
10.	नीला हौज पर पुल	66	30	55	उच्च
11.	अरूणा आसफ अली मार्ग/अफ्रीका एवेन्यू	100	95	5	निम्न
12.	नेल्सन मंडेला/विवेकानन्द मार्ग	100	76	24	निम्न
13.	बी.जे. मार्ग/आर.टी.आर. मार्ग	100	85	15	निम्न
14.	विवेक विहार रेलवे क्रासिंग पर पुल के नीचे मार्ग	100	35	65	उच्च
15.	मिन्टो ब्रिज का चौड़ीकरण	89	15	83	उच्च
16.	सेवा नगर, रेलवे लाईन के नीचे मार्ग	55	32	42	मध्य
17.	आर.यू.बी. से संबद्ध रोड संख्या 58 एवं 64	94	13	86	उच्च
18.	श्यामलाल कॉलेज, जी.टी. रोड फ्लाईओवर	92	31	66	उच्च
19.	मार्ग संख्या 68 पर आर.ओ.बी.	63	2	97	उच्च
20.	उत्तर प्रदेश लिंक रोड़ फ्लाईओवर	55	10	82	उच्च

टिप्पणी: जोखिम निर्धारण हेतु मापदण्ड

(i) घ=(ख-ग)/ख X 100
(ii) निम्न जोखिम जहाँ कमी 25% से कम हैं
(iii) मध्यम जोखिम जहाँ कमी 25% से 50% है
(iv) उच्च जोखिम जहाँ कमी 50% से अधिक है
(v) तीन परियोजनाएं जो अभी तक प्रारम्भ नहीं की गई हैं राष्ट्रमण्डल खेल 2010 की सूची से हटा दी गई है।
(vi) गीता कालोनी पुल पहले ही पूर्ण किया जा चुका है इसलिए कोई जोखिम नहीं है।

शब्दावली

ए.ए.आई.	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण
ए.आई.टी.ए.	अखिल भारतीय टेनिस संघ
ए.एस.आई.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
सी.जी.ए.	राष्ट्रमंडल खेल संघ
सी.जी.एफ.	राष्ट्रमंडल खेल महासंघ
सी.एम.	मुख्यमंत्री
सी.ओ.एस.	सचिव समिति
सी.पी.एम	क्रांतिक पथ प्रणाली
सी.पी.डब्ल्यू.डी.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
सी.डब्ल्यू.जी	राष्ट्रमंडल खेल
डी.डी.	दूरदर्शन
डी.डी.ए.	दिल्ली विकास प्राधिकरण
डी.एफ.एस.	दिल्ली अग्नि शमन सेवा
डी.आई.ए.एल.	दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड
डी.एम.आर.सी.	दिल्ली मेट्रो रेल निगम
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.टी.एल.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड
डी.यू.	दिल्ली विश्वविद्यालय
डी.यू.ए.सी.	दिल्ली शहरी कला आयोग
ई.के.एस.	मैसर्स इवेंट नॉलेज सर्विसिस
एफ.ए.एस.	कार्यात्मक क्षेत्र
जी.डी.ए.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
जी.एन.सी.टी.डी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.ओ.एम.	मंत्रियों का समूह
जी.ओ.पी.	सामान्य संगठन योजना
एच.बी.	मेजबान प्रसारक
एच.सी.सी.	मेजबान शहर संवीदा
आई.एण्ड.बी.	सूचना एवं प्रसारण
आई.बी.सी.	अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण केन्द्र
आई.ओ.ए.	भारतीय ओलम्पिक संघ
आई.एस.डी.	अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद विभाग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
आई.टी.डी.सी.	भारतीय पर्यटन विकास निगम
आई.टी.पी.ओ.	भारतीय व्यापार उन्नयन संगठन
जे.एल.एन.एस.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
जे.एम.आई.	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय
एल.ए.सी.	भूमि अधिग्रहण कलेक्टर
एल.जी.	लेफ्टीनेन्ट गवर्नर
एम.सी.डी.	दिल्ली नगर निगम
एम.ई.ए.	विदेश मंत्रालय
एम.एच.एफ.डब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एम.ओ.डी.	रक्षा मंत्रालय
एम.ओ.टी.	पर्यटन मंत्रालय
एम.ओ.यू.डी.	शहरी विकास मंत्रालय
एम.वाई.ए.एस.	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
एन.डी.एम.सी.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद
एन.एच.ए.आई.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एन.आ.सी.	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
एन.ओ.आई.डी.ए.	नया ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
पी.बी.	प्रसार भारती
पी.ई.आर.टी.	कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीकी
यो.आ.	योजना आयोग
पी.एम.ओ.	प्रधानमंत्री कार्यालय
पी.एम.एस.	परियोजना मॉनिटरिंग प्रणाली
पी.पी.पी.	लोक निजी साझेदारी
पी.डब्ल्यू.डी.	लोक निर्माण विभाग
आर.एच.बी.	अधिकार धारक प्रसारक
एस.ए.आई.	भारतीय खेल प्राधिकरण
एस.एल.पी.	विशेष अवकाश याचिका
यू.जी.सी.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
वी.ए.एस.	स्थल मूल्यांकन अध्ययन

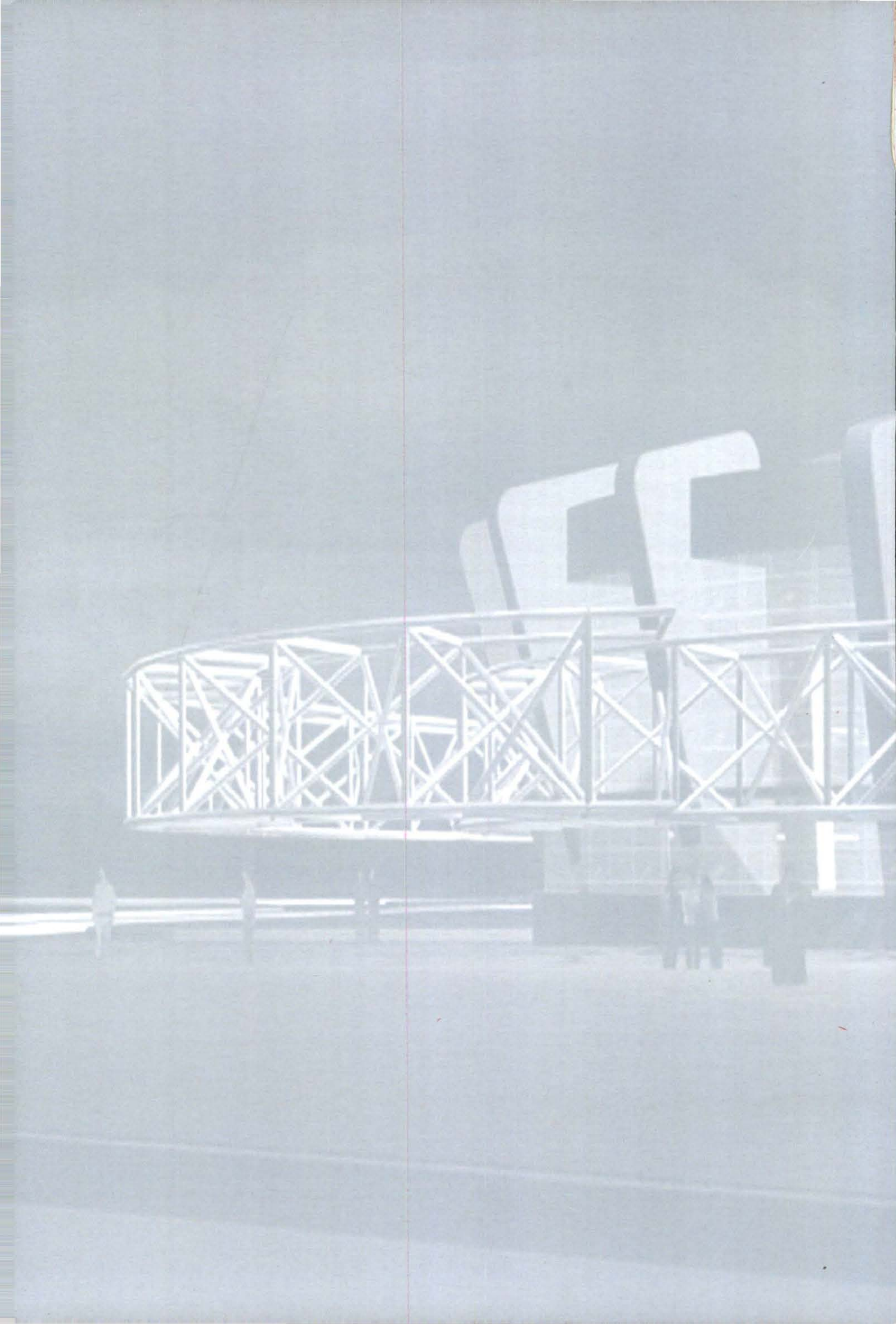

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
जुलाई 2009